पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

पी.एस.बी.

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2012-13

जहाँ सेवा ही जीवन ध्येय है।
Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री डी.पी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Sh. D.P. Singh
Chairman & Managing Director

श्री पी.के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक
Sh. P.K. Anand
Executive Director

श्री रजत सच्चर
Sh. Rajat Sachar

श्री बी.पी. कानूनगो
Sh. B.P. Kanungo

श्री महेश गुप्ता
Sh. Mahesh Gupta

श्री करनपाल सिंह सेखों
Sh. Karanpal S. Sekhon

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

श्री राजेंद्रन नारायणन
Sh. Rajendran Narayanan

श्री सुरेश ठाकुर
Sh. Suresh Thakur

श्री संजीव कुमार अरोरा
Sh. Sanjiv K. Arora

श्री एस.पी.एस. विर्क
Sh. S.P.S. Virk

विषय-सूची/Contents

		पृष्ठ संख्या/Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य/Highlights	2
2.	निदेशक मंडल/Board of Directors	3
3.	नोटिस/Notice	4 -15
4.	निदेशक रिपोर्ट/Director's Report	16 - 49
5.	बेसल–II के अंतर्गत प्रकटीकरण/Disclosure under Basel-II	50 -73
6.	निगमित शासन की रिपोर्ट/Corporate Governance	74 -125
7.	वित्तीय विवरण/Financial Statements :	126 -179
	तुलन–पत्र/Balance Sheet	126
	लाभ–हानि खाता/Profit & Loss Account	127-128
	अनुसूचियाँ/Schedules	129 -179
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र/Cash Flow Statement	180 -181
	स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट/Independent Auditors' Report	182 -185
8.	उपस्थिति पर्ची/Attendance Slip	186
9.	ईसीएस अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म ECS Mandate Form/Bank Account Details	187
10.	प्रॉक्सी फार्म/Proxy Form	188 -191

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

		रुपए लाखों में/Rupees. in lacs यथा/as on 31.03.2013
1.	जमा Deposits	7064150
2.	सकल अग्रिम Gross Advances	5184335
3.	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	1418063
4.	सकल निवेश Gross Investments	2259024
5.	शुद्ध लाभ Net Profit	33922
6.	आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.44%
7.	शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	2.16%
8.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–I) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-I)	12.71%
9.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.91%

24 जून, 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित

Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय : "बैंक हाउस", 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

Head Office : "Bank House", 21 Rajendra Place, New Delhi-110008

निदेशक मंडल / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
Chairman & Mg.Director

श्री डी.पी. सिंह, आई.ए.एस.
Shri D.P.Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
Executive Director

श्री पी.के.आनन्द
Shri P.K.Anand

निदेशक
Directors

श्री रजत सच्चर
Sh. Rajat Sachar

श्री बी.पी.कानूनगो
Sh. B.P.Kanungo

श्री महेश गुप्ता
Sh. Mahesh Gupta

श्री करनपाल सिंह सेखों
Sh. Karanpal Singh Sekhon

श्री एस.पी.बबूता
Sh. S.P.Babuta

श्री आर.नारायणन
Sh. R.Narayanan

श्री सुरेश ठाकुर
Sh. Suresh Thakur

श्री संजीव कुमार अरोरा
Sh. Sanjiv K. Arora

श्री एस.पी.एस.विर्क
Sh. S.P.S.Virk

महाप्रबंधक / General Managers

श्री जी.एस.बिंद्रा
Sh. G.S.Bindra

श्री एम.जी.श्रीवास्तव
Sh. M.G.Srivastava

श्री जी.एस.सचदेवा
Sh. G.S.Sachdeva

श्री जी.एस.सेठी
Sh. G.S.Sethi

श्री इकबाल सिंह भाटिया
Sh. Iqbal Singh Bhatia

श्री दीपक कुमार मैनी
Sh. Deepak K. Maini

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

श्री एस.पी.एस.कोहली
Sh. S.P.S.Kohli

श्री आर.सी.नारायण
Sh. R.C.Narayan

श्री जी.एस.ढल्ल
Sh. G.S.Dhall

लेखा परीक्षक/ Auditors

जी.एस.गोयल एण्ड कं.
G.S.Goel & Co.

एस.बी.जी.एण्ड कं.
S.B.G. & Co.

ओ.पी.तुलसियां एण्ड कं.
O.P.Tulsyan & Co.

आर.एम.लाल एण्ड कं.
R.M.Lall & Co.

बी.के.श्राफ एण्ड कंपनी
B.K.Shroff & Co.

आर.कोठारी एण्ड कंपनी
R.Kothari & Co.

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक **निर्यात भवन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड रेफेरल के सामने, नई दिल्ली – 110057 में वृहस्पतिवार, 20 जून, 2013 को प्रातः 09.00 बजे** आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगेः

1. बैंक का 31 मार्च, 2013 के तुलन–पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश का अनुमोदन एवं घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 मई, 2013

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE

Notice is hereby given that the Third Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on **Thursday, the 20th June, 2013 at 9.00 A.M., at Niryat Bhawan,** Federation of Indian Export Organistions, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057 to transact the following business:

1. **To** discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2013, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare dividend on Equity Shares for the financial year 2012-13.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 14th May 2013

[D.P.Singh]
Chairman & Managing Director

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोगः

यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों ,तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो ,को वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस देने और सभी या अन्य कोई मामला जोभी हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा सिवाय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियम 61. आम बैठक में मतदानः

i. किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।

ii. जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।

iii. उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी हो, बैंठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र कि प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर रजामंदी सर्वसम्मति से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्व अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।

iv. किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर रजामंदी देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले ,बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर , जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो , जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवां हिस्सा रखता हो की मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।

v. जों व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो ,वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते है।

vi. स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार किये जाएंगे।

vii. मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग को मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

viii. किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

i. उक्त अधिनियम की धारा 3(23) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा।

ii. उक्त अधिनियम की धारा 3(23) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नही व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकारी प्राप्त होगा तथा मतदान की स्तिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (i) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकारी होगा। स्पष्टीकरणः इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्रायः है कोई भी निगमित निकाय ।

iii. सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होगें, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नही होगा ।

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

i. At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

ii. Save as otherwise provided in the Regulations, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

iii. Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

iv. Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v. The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi. A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

viii. The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i). Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

विनियम 69 विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

i. केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों मे जिसे विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की और से उन्ही अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह बैंक का एकल शेयरधारक हो । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों मे से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/व्यक्तियों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

ii. कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित रहेगा या मतदान नही करेगा जबतक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नही कर दी जाती।

विनियम 70 प्रतिनिधि

i. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में, वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर मे प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसकी एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।

ii. बशर्ते कि प्रतिनिधि का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढ़ंग से हस्ताक्षरित हो ,जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है ,यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश,मजिस्ट्रेट,बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।

iii. कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास पंजीकृत हो।

iv. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह फार्म "बी" में हो।

v. प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रतिसहरणीय होगा।

vi. यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।

vii. इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र का गारंटीकर्ता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।

viii. कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।

Regulation 69. Voting by Duly Authorised Representative:

i. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Punjab & Sind Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Punjab & Sind Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70. Proxies:

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

ii. Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.

iii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Punjab & Sind Bank .

iv. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.

v. An instrument of proxy deposited with Punjab & Sind Bank shall be irrevocable and final.

vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vii. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

viii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

टिप्पणियां

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में सहभागिता करने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्त करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नही है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नही होगा।

किसी भी व्यक्ति जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा।

विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार, प्रॉक्सी को दिए जाने वाले लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मत देने का अधिकार नही होगा जिससे लिखित संबंधित है।

प्रॉक्सी प्रारूप तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में वार्षिक सामान्य बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 15.06.2013 को सांय 5 बजे यानि कि दिन की समाप्ति या उससे पूर्व जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसको उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपी के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 15.06.2013 को सायं 5 बजे या इससे पहले प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008 प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता।

3. **पंजीकरण एवं उपस्थिति पर्चीः**

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु , दिनांक 20.06.2013 को प्रातः 8 बजे पंजीकरण प्रक्रिया, बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। **शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से उपस्थिति पर्ची भरकर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथीस्थिति 'प्रॉक्सी'या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, संबंधित होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पॉसपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।**

4. **शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र–व्यवहारः**

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में है, से पंजीकृत पते में हुए परिवर्तनों की बैंक के शेयर अंतरण एजेन्टों को निम्न पते पर सूचना देने का अनुरोध हैः

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड
इकाईः पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
44, कम्यूनिटी सेन्टर, दूसरा तल,
नरायणा औद्योगिक क्षेत्र,
फेज–I, पी.वी.आर. नारायणा के पास,
नई दिल्ली–110028

शेयरधारकों जिनके पास शेयर अभौतिक स्थिति में हैं, उक्त परिवर्तनों को अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित करें।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK

The proxy so appointed, however, will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of the Punjab & Sind Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form in order to be effective must be received at Head Office, Accounts & Audit Department, Shares Cell, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 15.06.2013 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office, Accounts & Audit Department, Shares Cell, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Third Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 15.06.2013.

No person shall be appointed as authorized representative who is an officer or employee of the Punjab & Sind Bank.

3. REGISTRATION AND ATTENDENCE SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.00 a.m. on 20.06.2013, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in the attendance slip, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as ‘Proxy' or ‘Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.**

4. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.
Unit: Punjab & Sind Bank
44, Community Centre, IInd floor,
Naraina Indl. Area, Phase-I,
Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

5. रजिस्टर का बंद होनाः

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 08.06.2013 से 20.06.2013 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक एवं (ख) बैंक द्वारा घोषित लाभांश भुगतान करने हेतु बंद रहेंगे।

6. लाभांश का भुगतानः

बैंक के निदेशक मंडल ने 01.05.2013 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रत्येक रू. 10/– के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रू. 2.68 (रूपए दो तथा अढ़सठ पैसे) की दर से लाभांश संस्तुत किया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा तृतीय सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगाः

क. दिनांक 07.06.2013 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 07.06.2013 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग. तृतीय वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

7. लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तनः

क. इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते के ऐसे पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नही करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मेंडेट से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को दें। इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नही है।

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियों नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रोनिक रूप में हैं) का अवश्य ही उल्लेख करें।

8. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई होः

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

"अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि हेतु बचे अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी की उप धारा (I) के अंतर्गत थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी की उप धारा (I) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य तथा रूप में किया जाएगा और उसके पश्चात् इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या फंड को प्रस्तुत नही किया जाएगा।

9. सदस्यों से अनुरोधः

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं। कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नही की जाएंगी।

5. CLOSURE OF BOOKS

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 08.06.2013 to 20.06.2013 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) payment of the dividend, approved by the shareholders at the meeting.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 01.05.2013 has recommended a dividend of Rs. 2.68 (Rupees Two and paise sixty eight only) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2012-13. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the Third Annual General Meeting, will be paid as under:

a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of trading hours on 07.06.2013, i.e., previous day of start of book closure.

b. To all the shareholders in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., Link Intime India Pvt. Ltd. on or before the close of business hours on 07.06.2013, i.e., previous day of start of book closure.

c. The dividend will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of Third Annual General Meeting.

7. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

a. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholders.

b. Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

8. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

9. REQUEST TO SHAREHOLDERS :

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Abridged Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Abridged Annual Report shall be provided at the venue of the Third Annual General Meeting.

10. शेयरधारकों के मताधिकार :

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो केंद्र सरकार के अतिरिक्त, वह मताधिकार देने का पात्र नही होगा।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कारयोलय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते है–

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
शेयर कक्ष,
21–राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल,
नई दिल्ली–110008.
टेलीफोन– 011– 25782926, 25817353
ई–मेलः complianceofficer@psb.org.in

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/ उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नही है। अतः बैठक में सहभागिता करने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 मई, 2013

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

10. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders and investors may contact the Shares Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Accounts & Audit Department,
Shares Cell,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008
Telephone : 011-25782926, 25817353
Email: complianceofficer@psb.org.in

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 14th May 2013

[D.P.Singh]
Chairman & Managing Director

निदेशक मंडल की रिपोर्ट– 2012–13

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन–पत्र और लाभ–हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल हर्ष का अनुभव करता है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2013–14 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2008–09 में आई वैश्विक आर्थिक मन्दी के कारण अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिस्कल तथा मौद्रिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया तथा वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में क्रमशः 8.6 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की, परन्तु आन्तरिक व बाह्य कारणों के संयोजन के कारण वर्ष 2011–12 अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर 6.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 में अनुमानित 4.8 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2013 में सुधार की संभावना है तथा वर्ष 2013–14 में सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में सुधार लाने में सहायक होंगे।

यद्यपि भारतीय अर्थव्यस्था की वर्तमान मंदगति अंशतः बाह्य तत्वों से प्रभावित है, परंतु साथ ही आंतरिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2011–12 में 8.2 प्रतिशत के साथ सेवा क्षेत्र में संवृद्धि दर मंद रही, तथा पिछले 6 वर्षों से दहाई में रही वृद्धि–दर वर्ष 2012–13 में घटकर 6.6 प्रतिशत रही, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में भारी गिरावट आई, जबकि कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों की कम वृद्धि ने भी इसे काफी हद तक प्रभावित किया। परन्तु इस गिरावट के बावजूद, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अपेक्षा सेवा–क्षेत्र ने इन विपरीत बाह्य परिस्थितियों में भी अधिक लचीलापन दिखाया।

कृषि वृद्धि दर में सुधार लाने के लिए, जहां बाज़ार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सुदृढ़ एवं सुसंगत योजनाओं की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाओं में निजी निवेश बढ़ा है, खाद्य कीमतें, खाद्य स्टॉक प्रबंधन तथा खाद्य वितरण सुधरा है तथा कृषि के लिए पूर्वानुमेय व्यापार योजना अपनाई गई है। भारत सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति से भारत में कृषि उत्पादन के विपणन तथा नई तकनीकी में निवेश का मार्ग सहज हो सकता है। रोज!गार, आय तथा खाद्य सुरक्षा के लिए तीव्र कृषि वृद्धि अत्यावश्यक है।

मूल्य समर्थन की अपेक्षा अन्य उपायों के माध्यम से खाद्य उत्पादन प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ मांग पर राजकोषीय अभ्यारोपण को कम करते हुए उच्च मुद्रा–स्फीति से, संघर्ष सरकार के लिए मुख्य होगा। पिछले वर्ष के विपरीत, जब खाद्य मुद्रा–स्फीति उच्च प्रोटीन खाद्य मूल्यों से निर्धारित होती थी वर्तमान वर्ष में यह विशेष रूप से अनाज से प्रभावित होगी।

एक तरफ जांच प्राधिकारियों को मुद्रा–स्फ़ीति रोकने के लिए संतुलन व्यवस्था बनानी है तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक वृद्धि की गति तीव्र हो।

निवल निर्यात में कमी के साथ भुगतान संतुलन तथा बाह्य स्थिति पर भारत का भुगतान संतुलन दबाव में आया है तथा चालू खाता घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशत पर अरक्षणीय है। इसके अतिरिक्त, चालू राजकोष में, विदेशी विनिमय आरक्षित निधि अमेरिकी $ 286 बिलियन तथा अमेरिकी $ 295.6 बिलियन के बीच अस्थिर रही, जबकि अक्तूबर, 2012 से जनवरी 2013 की अवधि के दौरान भारतीय रुपये का मूल्य प्रति अमेरिकी डॉलर 53.02 रुपये से 54.78 रुपये के बीच रहा।

बढ़ती आबादी को रोज़गार उपलब्ध कराने में, भावी संचालकों ने 2011–30 तक आयु वर्ग 30–49 वर्ष की भारतीय श्रम शक्ति के लगभग आधे परिवर्धन को ग्रहण करने की सम्भावना प्रकट की। भारत औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन कर रहा है, विशेष रूप से निम्न उत्पादकता वाले निर्माण–क्षेत्र में तथा उत्पादन में पर्याप्त औपचारिक रोज़गार नहीं है, जिससे कि विशिष्ट उच्च उत्पादन हो। उच्च उत्पादकता वाला सेवा क्षेत्र भी पर्याप्त रोज़गार सृजन नहीं कर रहा है। क्योंकि कृषि क्षेत्र के संकुचन तथा जनसांख्यकीय लाभांश दोनों के कारण एक बड़ी संख्या में लोग नए रोज़गार की तलाश में हैं, यह स्थिति गम्भीर समस्या बन जाएगी, क्योंकि अच्छे रोज़गार, वृद्धि के साथ–साथ समावेशन के अच्छे स्तर, इन दोनों का ही मार्ग है, भारत को अपनी सृजनता में समर्थ बनाने का मार्ग सोचना ही होगा।

विस्तृत कर आधार तथा व्यय प्राथमिकता प्रामाणिक मध्यम अवधि राजकोषीय समेकन योजना की मुख्य सामग्री है। मांग दबाव के साथ तथा संवर्धित कृषि उत्पादन से मुद्रा–स्फीति का स्तर निम्न होना चाहिए, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को नीतिगत दरों को कम करने हेतु अपेक्षित लचीलापन प्राप्त हो। कुछ बाधाएं, विशेष रूप से विनियामक, नौकरशाही तथा वित्तीय बाधाएं यदि कुछ सहज हों तो न्यूनतम ब्याज–दरें उद्योग तथा सेवा–क्षेत्र में निवेश गतिविधियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दे सकती हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक–क्षेत्र पर व्यय भी अत्यधिक बढ़ा है, जिसमें सबसे बडा हिस्सा शिक्षा–क्षेत्र तथा उसके बाद स्वास्थ्य को दिया गया है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 15 प्रमुख योजनाओं पर लगभग 7 लाख रुपये खर्च किए गए। जनाधिकारों की रक्षा हेतु आरटीआई, एमजीनरेगा, वन अधिकार अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार जैसे अनेक कानूनी कदम भी उठाए गए।

DIRECTOR REPORT-2012-13

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the Year ended 31st March, 2013

ECONOMIC OUTLOOK

Indian economy is likely to grow at 6% in 2013-14 and the economy is looking up. Following the slowdown induced by the global financial crisis in 2008-09, the Indian economy responded strongly to fiscal and monetary stimulus and achieved a growth rate of 8.6 per cent and 9.3 per cent respectively in 2009-10 and 2010-11, but due to a combination of both external and domestic factors, the economy decelerated growing at 6.2 per cent and an estimated 4.8 per cent in 2011-12 and 2012-13 respectively. The global economy is also likely to recover in 2013 and various government measures will help in improving the Indian economy's outlook for 2013-14.

While India's recent slowdown is partly rooted in external causes, domestic causes are also important. The slowdown in the rate of growth of services in 2011-12 at 8.2 per cent, and particularly in 2012-13 to 6.6 percent from the double-digit growth of the previous six years, contributed significantly to slowdown in the overall growth of the economy, while some slowdown could also be attributed to the lower growth in agriculture and industrial activities. But despite the slowdown, the services sector has shown more resilience to worsening external conditions than agriculture and industry.

For improved agricultural growth, there is a need for stable and consistent policies where markets play an appropriate role, private investment in infrastructure is stepped up, food prices, food stock management and food distribution improves, and a predictable trade policy is adopted for agriculture. FDI in retail allowed by the government can pave the way for investment in new technology and marketing of agricultural produce in India. Fast agricultural growth remains vital for jobs, incomes and food security.

The priority for the Government will be to fight high inflation by reducing the fiscal impetus to demand as well as by focusing on incentivizing food production through measures other than price supports. But unlike the previous year, when food inflation was mainly driven by higher protein food prices, this year the pressure has been coming mainly from cereals.

The monitory policy has to do a balancing act in containing the inflation on the one side and ensuring that the economy grows at a rapid pace.

On the Balance of Payments and External Position, with the net exports declining, India's balance of payments has come under pressure and the current account deficit is unsustainable at 6.7% of GDP. Moreover, in the current fiscal, foreign exchange reserves have fluctuated between US$ 286 billion and US$ 295.6 billion, while the rupee remained volatile in the range of Rs. 53.02 to Rs. 54.78 per US dollar during October,2012 to January,2013.

In providing jobs to the growing population, the future holds promise for India provided we can seize the "demographic dividend" as nearly half the additions to the Indian labour force over the period 2011-30 will be in the age group 30-49. India is creating jobs in industry but mainly in low productivity construction and not enough formal jobs in manufacturing, which typically have higher productivity. The high productivity service sector is also not creating enough jobs. As the number of people looking for jobs rises, both because of the population dividend and share of agriculture shrinks, these vulnerabilities will become important. Because good jobs are both the pathway to growth as well as the best form of inclusion, India has to think of ways of enabling their creation.

The widened tax base, and prioritization of expenditure are key ingredients of a credible medium term fiscal consolidation plan. This along with demand compression and augmented agricultural production should lead to lower inflation, giving the RBI the requisite flexibility to reduce policy rates. Lower interest rates could provide an additional fillip to investment activity for the industry and services sectors, especially if some of the regulatory, bureaucratic, and financial impediments to investment are eased.

Expenditure on social services also increased considerably in the 12th Plan, with the education sector accounting for the largest share, followed by health. In the 11th Plan period nearly 7 lakh crore rupees has been spent on the 15 major flagship programmes. A number of legislative steps have also been taken to secure the rights of people, like the RTI, MGNREGA, the Forest Rights Act, and the Right to Education.

सब्सिडी भार को कम करने तथा लाभ लक्षित समूह तक पहुँचे, विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) की सहायता से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा इन लीकेज को बंद किया जा सकता है। 12वीं योजना में ' पर्यावरणीय अस्थिरता' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत सही रास्ते पर है। तथापि, भारत के लिए मुख्य संचालक तथा वृद्धि समर्थ बनना एक चुनौती है ताकि बुनियादी ढांचे, परिवहन क्षेत्र, आवास या अस्थिर कृषि वृद्धि को अनुकूल बनाया जाए।

तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी महीनों में अच्छे परिवर्तन की अपेक्षा करती है। वर्तमान परिदृश्य में सरकार द्वारा तय किए गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना अप्राप्य प्रतीत होता है वित्तीय–वर्ष 2013–14 में वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर निश्चित रूप से सुधरेगी तथा यह 6–6.5 प्रतिशत हो सकती है।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2012 को बैंक के 109493 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 31.03.2013 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 11.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 122485 करोड़ रू. रहा।

लाभ

वित्तीय–वर्ष 2011–12 के दौरान 451.28 करोड़ रू. की तुलना में, बैंक ने वर्ष 2012–13 के दौरान 339.22 करोड़ रू. का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2011–12 के 0.65 प्रतिशत की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल (आर.ओ.ए.) 0.44 प्रतिशत रहा।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें

राशि लाखों में

	समाप्त वर्ष		प्रतिशत में परिवर्तन
	31.03.2013	31.03.2012	
ब्याज की आय	734013	647450	13.37
अन्य आय	41715	41746	(0.07)
कुल आय	775728	689196	12.56
कुल व्यय	681843	613197	11.19
परिचालन लाभ	93885	75999	23.53
शुद्ध लाभ	33922	45128	(24.83)
आस्तियों पर प्रतिफल	0.44%	0.65%	–––
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	2.35%	2.41%	–––
सकल अनर्जक आस्तियां %	2.96%	1.65%	–––
शुद्ध अनर्जक आस्तियां %	2.16%	1.19%	–––
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बासल–I)	12.71	12.81	–––
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % बासल–II)	12.91	13.26	–––
प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)	13.49	19.24	–––

पूंजी एवं आरक्षित निधि

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, बैंक ने वर्ष के दौरान प्रति शेयर रू.10/–के अनुसार 1,98,13,189 इक्विटी शेयरों को भारत सरकार को 70.66 रू. प्रति शेयर की निर्णीत दर पर अधिमान निर्गम के आधार पर जारी किया है। तदनुसार, बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी 19.81 करोड़ रू. की वृद्धि के साथ, 254.02 करोड़ रू. हो गई है और शेयर प्रीमियम 119.94 करोड़ रू. से बढ़ कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम 120.19 करोड़ रू. में से शेयर निर्गम व्यय के 0.25 करोड़ रू.कम कर के) 625.46 करोड़ रू. हो गया है।

In reducing the subsidy burden and for the benefit to reach the targeted group, Direct Benefit Transfer (DBT) with the help of the Unique Identification Number (Aadhaar) can help plug some of the leakages. With the 12th Plan's focus on 'environmental sustainability', India is on the right track. However, the challenge for India is to make the key drivers and enablers of growth-be it infrastructure, the transportation sector, housing or sustainable agriculture-grow consistently.

Indian economic situation is expected to change for better in the coming months, although the fiscal deficit target set by the Government remained unachieved, the annual economic growth for the financial year 2013-14 certainly will be better and may be around 6-6.5%.

WORKING RESULT

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2013, total Business of the Bank recorded an increase of 11.87% at Rs.122485 crore as compared to Rs. 109493 crore as on 31.03.2012.

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs 339.22 crore for the year 2012-13 as compared to that at Rs. 451.28 crore during the FY 2011-12. The Return on Assets (ROA) stood at 0.44% as compared to that at 0.65% in the year 2011-12.

HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013 (RS IN LACS)

(Rs in Lacs)

	Year Ended		%age change
	31.03.2013	31.03.2012	
Interest Income	734013	647450	13.37
Other Income	41715	41746	(0.07)
Total Income	775728	689196	12.56
Total Expenditure	681843	613197	11.19
Operating profit	93885	75999	23.53
Net Profit	33922	45128	(24.83)
ROA	0.44%	0.65%	----
Net Interest Margin (NIM)	2.35%	2.41%	----
Gross NPA%	2.96%	1.65%	----
Net NPA(%)	2.16%	1.19%	-----
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel I)	12.71	12.81	-----
Capital Adequacy Ratio(%) (Basel II)	12.91	13.26	----
EPS	13.49	19.24	----

CAPITAL & RESERVE

During the year, Bank has issued 1,98,13,189 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.70.66 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.19.81 crore to Rs.254.02 crore and Share Premium has increased by Rs 119.94 crore (Share Premium Received Rs.120.19 crore minus Share Issue Expenses Rs 0.25 crore) to Rs. 625.46 crore.

दिनांक 31.03.2012 को बैंक की निवल मालियत 3518.89 करोड़ रू. थी, जो दिनांक 31.03.2013 को 3897.25 करोड़ रू. हो गई है।

दिनांक 31.03.2013 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल. II) 12.91 प्रतिशत है जबकि न्यूनतम 9% निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ कोर सीआरएआर 8.38% पर है।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांड : (टीयर-II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

31.03.2013 को टीयर– II के कुल बकाया 1,365 करोड़. रू. पर अपरिवर्तित हैं।

जमा में वृद्धि

बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2013 को 11.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे 7517.52 करोड़ रू. की संवृद्धि के साथ यह 70641.50 करोड़ रू. हो गई, जो कि दिनांक 31 मार्च, 2012 को 63123.98 करोड़ रू. थी। बैंक की औसत जमा लागत 8.32 प्रतिशत रही, जो कि पिछले वर्ष 7.97% थी।

अग्रिम

दिनांक 31.03.2013 को बैंक के कुल अग्रिम 11.81% वृद्धि के साथ 51843 करोड़ रू. रहे, जो कि दिनांक 31.03.2012 को 46369 करोड़ रू. थे। 31.03.2013 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 11.86% रहा जो कि पिछले वर्ष 11.84% था।

सांविधिक लेखा परीक्षा

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, मार्च, 2013 को समाप्त लेखा वर्ष हेतु मैसर्स जी.एस. गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली, मैसर्स एस. बी.जी. एण्ड कंपनी, दिल्ली, मैसर्स आर.एम. लाल एण्ड कंपनी, लखनऊ और मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कम्पनी, कोलकाता, मैसर्स कोठारी एण्ड कम्पनी कोलकाता को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

अग्रिम

बैंक ने वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान में 11.81% (परीक्षित) की गुणात्मक ऋण वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के सकल अग्रिम जो 31.03.2012 को 46368.63 करोड रू. था, 31.03.2013 को बढ़कर 51843.35 करोड रू. हो गए।

बैंक का साख–पत्र तथा बैंक–गारंटी कारोबार 31.03.2012 की स्थितिनुसार 3474.45 करोड़ रूपए से बढक़र 31.03.2013 को 3578.73 करोड़ रूपए हो गए हैं, जिससे वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 3.00% वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने ऋण कारोबार का विविधिकरण किया है तथा बैंक की सुदृढ ऋण नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों अर्थात उद्योग, मूलभूत सेवाएं, कृषि, खुदरा (वैयक्तिक ऋण) आवास तथा उपभोग जैसे क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस अवधि के दौरान आधारभूत क्षेत्र में 38.48% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र में दिनांक 31.03.2012 को 12097.96 करोड रू. के ऋण बढकर (भा.रि.बैं. की संशोधित परिभाषा के अनुसार) दिनांक 31.03.2013 को 16753.51 करोड रू. हो गए। आवास, वस्त्र, धातु एवं धातु उत्पाद, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक के ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवास क्षेत्र के अग्रिम में 1.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई (31.03.2012 के 4756.17 करोड रू. से बढकर 31.03.2013 को 4847.00 करोड रू.) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दिए अग्रिमों में 25.99% (31.03.12 को 8026.63 करोड़. रू. से 31.03.2013 को रू. 10113.01 करोड़. रू.) की वृद्धि हुई। आधारभूत सेवाओं से इतर उद्योगों को दिए गए ऋणों में 9.55% (दिनांक 31.03.2012 को 8216.29 करोड़ रू. से 31.03.2013 को 9000.80 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसमें मुख्यतः विनिर्माण (16.58%) 799.13 करोड़ रू. से 931.66 करोड़ रू. , खाद्य–प्रसंस्करण (16.22%) 588.53 करोड़ रू. से 683.98 करोड़ रू. आदि शामिल थे। आधारभूत क्षेत्रों को दिए ऋणों में जैसे सड़कें तथा बंदरगाह (57.68%) (अब परिवहन) 1206.75 करोड़ रू. से 1902.86 करोड़ रू., ऊर्जा (34.14%) (पूर्व में पावर व इलैक्ट्रिसिटी) 9068.47 करोड़ रू. से 12164.55 करोड़ रू. की वृद्धि हुई। वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान वस्त्र क्षेत्र हेतु दिए गए ऋणों में (9.81%) 1246.84 करोड़ रू. से 1369. 15 करोड़ रू. की वृद्धि हुई।

उद्योग परिदृश्य के साथ–साथ 31.03.2012 को 11.84ः के अग्रिमों से प्राप्त औसत प्रतिफल 31.03.2013 को 11.86% वार्षिक हो गया।

इसके ऋण मूल्यांकन को और अधिक सुदृढ करने हेतु बैंक ने सनदी लेखाकार तथा तकनीकी कार्मिकों (इंजीनियरों) की भर्ती की है। ऋणों में वृद्धि तथा ऋण आवेदनों के तुरंत निपटान हेतु बैंक ने एक नया व्यापार ग्रुप तैयार किया है, जहां उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे शीघ्रता से स्वीकृत किए जा सकें।

ऋण–निगरानी

बैंक ने अपने सुस्थापित ऋण निगरानी एवं नीति विभाग के माध्यम से, आकर्षक ऋण नीति द्वारा अग्रिम पोर्टफोलियो को निर्देश देना तथा इसकी गुणवत्ता एवं कार्य–निष्पादन को बनाए रखने के लिए निगरानी का कार्य जारी रखा है।

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.3518.89 crore as on 31.03.2012 to Rs 3897.25 crore as on 31.03.2013.

The Capital Adequacy Ratio (Basel II) of the Bank is 12.91% as on 31.03.2013 against the minimum stipulated requirement of 9% with core CRAR at 8.38 %.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2013 remains unchanged at Rs.1,365 crore .

DEPOSIT GROWTH

The total deposit of the Bank registered a growth of 11.91% with Net accretion of Rs 7517.52 crore to reach Rs 70641.50 crore as on March 31, 2013 from Rs.63123.98 crore as on March 31, 2012. The average cost of deposits of the bank stood at 8.32 % compared to 7.97% in previous year.

GROWTH IN ADVANCES

The Bank's Advances increased by 11.81% from Rs. 46369 crore as on 31.03.2012 to Rs 51843 crore as on 31.03.2013. The average yield on Advances stood at 11.86% as on 31.03.2013 compared to 11.84% during the last year.

STAUTORY AUDIT

As approved by Reserve Bank of India, bank has appointed M/s G. S. Goel & Co. Delhi; M/s S.B.G. & Co., Delhi; M/s.R.M. Lall & Co., Lucknow , M/s.O.P Tulsyan & Co, New Delhi; M/s B K Shroff & Co., Kolkata; and M/s R Kothari & Co., Kolkata as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2013.

ADVANCES

The Bank has registered qualitative credit growth of 11.81 % (Audited) during the FY 2012-13. The Gross Advances of the Bank increased from Rs.46368.63 crore as on 31.03.2012 to Rs.51843.35 crore as on 31.03.2013.

Bank Guarantee Letter (BG) and Letter of Credit (LC) business of the bank also increased to Rs3578.73 crore as on 31.03.2013 from Rs.3474.45 crore as on 31.03.2012 thereby registering growth of 3.00 % during FY 2012-13.

The Bank has diversified portfolio of Advances and has extended credit to all sectors i.e Industry, Infrastructures, Services, Agriculture, Retail (Personal Loans) as per vibrant Loan Policy of the Bank. The notable growth of 38.48% has been registered in the Infrastructure sector during the period .The lending in this sector increased from Rs12097.96 Crore as on 31.03.2012 to Rs16753.51 Crore as on 31.03.2013(revised definition as per RBI guidelines). There was notable credit growth in exposure to other preferred sectors like Housing sector, Textiles, Metal & Metal products, Micro, Small & Medium Enterprises (MSME). Advances to Housing Sector increased by 1.19% (from Rs.4756.17 crore as on 31.03.12 to Rs4847.00 crore as on 31.03.13). Credit growth in MSME Sector was 25.99% (from Rs.8026.63 crore as on 31.03.12 to Rs.10113.01 crore as on 31.03.13). Credit exposure to industry other than infrastructure increased by 9.55 %(from Rs 8216.29 crore on 31.03.2012 to Rs9000.80 crore on 31.03.2013) which mainly comprised of sectors viz: Construction (16.58 %) from Rs799.13 crore to Rs931.66 crore, Food processing (16.22%) from Rs 588.53 crore to Rs 683.98 crore etc. Credit growth to infrastructure sector was notably in Roads & Ports (57.68%) (Now Transport) from Rs 1206.75 crore to Rs1902.86 crore, Energy (34.14%) (Earlier Power & Electricity) from Rs 9068.47 crore to Rs12164.55 crore. Growth of credit to Textiles during FY 2012-13 was (9.81%) from Rs 1246.84 crore on 31.03.2012 to Rs1369.15 crore on 31.03.2013.

The average Yield on Advances increased to 11.86 % p.a as on 31.03.2013 from 11.84 % p.a. as on 31.03.2012 in line with industry scenario.

To strengthen its credit appraisal, the Bank has recruited Chartered Accountants & Technical personnel i.e; Engineers. For improving credit off-take & expeditious disposal of loan proposals, Bank has introduced concept of New Business Group where all proposals of high value are given in principle sanction /expression of interest so that these are processed expeditiously.

CREDIT CREDIT MONITORING

The Bank through its well-established Credit Monitoring & Policy Department, continues to give direction to its Advances Portfolio by preparing vibrant Loan Policy of the Bank and also monitor its Advances Portfolio to maintain its quality and performance.

नई गिरावट की उचित एवं प्रभावशाली निगरानी तथा उन्हें कम करने के उपाय करने के लिए विभाग ने प्रधान कार्यालय स्तर पर, वैयक्तिक उच्च मूल्य खातों की निगरानी प्रारम्भ की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अग्रिम पोर्टफोलियो की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग में नियंत्रण–कक्ष की स्थापना की है, जिसे सनदी लेखाकारों (सीए) तथा अनुभवी अधिकारियों की एक टीम ने व्यवस्थित किया है। यह टीम उधार खातों मे उभरती ऋण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करेगी तथा तत्सम्बन्धी उचित सक्रिय कदम उठाने के लिए दैनिक–रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को सौंपेगी।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों, जिनमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, आवास, शिक्षा, छोटे ऋण, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों को सूक्ष्म–ऋण शामिल हैं, को पूर्व की भांति महत्व दिया है।

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 11.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31.03.2012 को रू. 12707 करोड़ रूपए से बढ़कर 31.03.2013 को 14181 करोड़ रूपए हो गए।

कृषि ऋण

बैंक के कृषि–पोर्टफोलियो में अग्रिम दिनांक 31.03.2013 को रू. 5228 करोड़ रूपए थे। मार्च, 2013 के अंत में कृषि ऋणों में 872 करोड़ रू. की वृद्धि हुई। कृषि अग्रिमों में बडी अभिवृद्धि प्रत्यक्ष कृषि के तहत हुई तथा ये अग्रिम 994 करोड़ रू. की शुद्ध वृद्धि के साथ 4698 करोड़ रू. हो गए तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने वित्त–वर्ष 2012–13 में निर्धारित लक्ष्य 5746 करोड़ रू. का 102 प्रतिशत प्राप्त करते हुए विशेष कृषि–ऋण योजना (एसएसीपी) के अन्तर्गत 5878 करोड़ रू. का संवितरण किया।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

वर्ष 2012–13 के दौरान, बैंक के किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 14.7% की वृद्धि के साथ 17389 हो गई। मार्च, 2013 को बैंक के किसान क्रेडिट कार्डों के तहत बकाया ऋण 3448 करोड़ रू. था।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

प्राथमिकता क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बैंक को ऋण संवितरण प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिमों में 10% की वृद्धि के साथ रूपए 572 करोड़ रू. बढ़े तथा 31.03.2013 को 6297 करोड़ रू. हो गए। एमएसई क्रेडिट आबंटन में तेजी लाने हेतु बैंक ने संभाव्य शाखाओं में एमएसई क्रेडिट शिविरों का आयोजन किया, जिनमें 2875 मामलों में रू. 298 करोड़ आबंटित किए गए।

अल्पसंख्यक समुदाय हित :

मार्च, 2013 को अल्पसंख्यक समुदायों को 5688 करोड़ रू. के अग्रिम आंबटित किए गए, जिनमें 19.3% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यह प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम के निर्धारित स्तर 15% की तुलना में 40.11% है।

महिला उद्यमियों को ऋण :

बैंक के महिला उद्यमियों को अग्रिम 31.03.2013 को 128 करोड़ की वृद्धि के साथ 2183 करोड़ रू. रहे तथा एएनबीसी (ANBC) का 4.8% है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणियों को अग्रिम :

समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों की सहायता में बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम मार्च, 2013 को 328 करोड़ रू. हो गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम का 2.31% है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को अग्रिम :

कमजोर वर्ग समूहों को अग्रिम 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से 4562 करोड़ रू. थे। एएनबीसी द्वारा कमजोर वर्गों को निर्धारित अग्रिम 10% की तुलना में 10% रहा।

In order to have proper & effective monitoring to check fresh slippages and devise a strategy for their minimization the Department has started monitoring individual High Value accounts at H O Level.

Towards this end, Bank has set up a Control Room at HO Credit Monitoring Department for monitoring of Credit Portfolio which is manned by team of CAs and experienced officials. The team will identify emerging credit related issues in borrowal accounts and put up the position before the Top Management on daily basis for taking pro-active corrective steps.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro & small enterprises, housing, education, micro-credit, weaker sections, SC/STs and minority communities.

Priority Sector advances of the Bank increased by 11.6 % from Rs.12707 Crore as on 31.3.2012 to Rs 14181 Crore as on 31.3.2013.

AGRICULTURE ADVANCES

Bank's advances under agriculture portfolio stood at Rs.5228 crore as on 31.3.2013 registering a growth of Rs.872 crore as at end-March 2013. The major accretion under Agriculture has been under Direct Agriculture and these advances rose to Rs 4698 crore with an absolute growth of Rs 994 crore and with a growth rate of 27 % over the previous year.

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

Bank has disbursed Rs. 5878 crore under Special Agriculture Credit Plan (SACP) achieving 102% of target of Rs 5746 Crore for the financial year 2012-13.

KISAN CREDIT CARD (KCC)

During the year 2012-13, the total number of KCCs of the Bank increased by 17389 showing growth rate of 14.7%. As at March 2013, the credit outstanding under KCCs was Rs.3448 crore.

MICRO & SMALL ENTERPRISES (MSES)

Micro & Small Enterprises sector is a thrust area of the Bank in credit dispensation. Advances to MSE sector increased by Rs.572 crore registering a growth rate of 10% in 2012-13 and stood at Rs 6297 Crore as on 31.03.2013. In order to augment MSE credit dispensation, Bank organized MSE credit camps in potential branches wherein Rs.298 Crore sanctioned to 2875 cases.

WELFARE OF MINORITY COMMUNITY:

As at March 2013, advances to specified minority communities aggregated to Rs.5688 crore, registering a growth of 19.3% and accounting for 40.11% of the total priority sector advances against the stipulated level of 15%.

CREDIT TO WOMEN ENTREPRENEURS:

Bank's credit to women entrepreneurs stood at Rs.2183 crore as on 31.03.2013 registering a growth of Rs.128 crore as on 31.3.2013 and accounting for 4.8% of ANBC.

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

In support of the underprivileged sections of the society the Bank's advances to SC/ST beneficiaries reached Rs.328 crore as at March 2013. The advances to SC/ST comprised 2.31% of total priority sector advances.

ADVANCES TO ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS:

Advances to weaker sections aggregated to Rs.4562 crore, with a y-o-y growth of 8 %. Advances to weaker sections formed 10 %of ANBC against the norm of 10%.

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों को वित्त सहायता हेतु एक विशेष संगठन बनाया है। वर्ष 2012–13 में इन योजनाओं के अन्तर्गत 946 लाभार्थियों को 14.11 करोड़ रू. स्वीकृत किए गए।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) :

वर्ष 2012–13 के दौरान 463 स्वयं सहायता समूहों को 4.65 करोड़ रू. संवितरित किए।

नए आयाम

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्लैटफॉर्म के तहत दिनांक 26.10.2012 को एटीएम समर्थित 'रूपे किसान डेबिट कार्ड' की शुरुआत की गई।
- किसानों/कृषि उपकरणों की आवश्यकताओं को जानने के लिए भारत सरकार के छह नए कृषि ऋण उत्पादों को कार्यान्वित किया गया, ऋण प्रावधानों में छूट देते हुए ट्रैक्टर वित्त हेतु नई पीएसबी योजना को कार्यान्वित किया गया।
- वर्ष 2012–13 में 57 ग्रामीण शाखाएं खोली गई तथा ग्रामीण शाखाएं बढाने के उद्देश्य से 55 कृषि क्षेत्राधिकारियों के अतिरिक्त 100 नए कृषि क्षेत्राधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- ऑनिक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि., मैसर्स स्टार एग्रीवेयरहाउसिंग एण्ड कोलैटरल मैनेजमेंट लि. तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यमों के लिए ऑन–लाईन ऋण आवेदन कम ट्रैकिंग सुविधा का परिचालन किया गया तथा इच्छित उधारकर्ता हेतु विवरण व तैयार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बैंक पोर्टल पृथक रूप से उपलब्ध करवाया गया।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी, सतलुज ग्रामीण बैंक, बठिंडा पंजाब के छः जिले यथा बठिंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर, मोगा तथा लुधियाना स्थापना काल से ही लाभ में चल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विभिन्न मापदंडों में निम्नानुसार निरंतर प्रगति की हैः–

(रू करोड़ों में)

मानदण्ड	**31.03.2012**	**31.03.2013**
जमा	238.22	264.72
कुल अग्रिम	191.07	203.95
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	181.45	195.18
कृषि अग्रिम	161.45	175.57
शुद्ध लाभ	2.69	1.72

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियां/वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्रों की स्थापना (एफएलसीसी) :

बैंक के पास पंजाब के तीन जिलों–मोगा, फरीदकोट तथा लुधियाना में लीड बैंक की जिम्मेदारी। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग तंत्र से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता/ऋण काउंसलिंग सुविधाओं की जानकारी देने तथा ऋण–भार के कारण वित्तीय तनावग्रस्त लोगों को काउंसिलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उक्त तीनों जिलों में 'पीएसबी सुविधा केन्द्र' के नाम से एफएलसीसी की स्थापना की गई है।

ग्रामीण विकास में योगदान :

बैंक ने अपने ''कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट'' के माध्यम से 3 ग्रामीण विकास केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि ट्रैक्टर रख–रखाव प्रबंधन, पशु कल्याण कैम्प आदि ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वर्ष 2012–13 के दौरान 44 कैम्प आयोजित किए गए।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयासों के अनुसार बैंक ने ''कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट'' के तत्वावधान में पंजाब के तीन अग्रणी जिलों में ग्रामीण युवाओं के मध्य उद्यमिता विकास को बढावा देने तथा स्व–रोजगार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान' स्थापित किए हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान इन प्रशिक्षण संस्थानों में 1204 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे अब तक 3213 बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इससे प्रभावी स्थापन–दर 54 प्रतिशत हो गई है।

A special thrust laid by the Bank in financing weaker sections including SC/STs under various Government sponsored schemes namely Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) and Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP). During the year 2012-13, Rs.14.11 crore has been sanctioned to 946 beneficiaries under these schemes.

SELF HELP GROUPS (SHGS):

During the year 2012-13 the Bank has disbursed Rs 4.65 Crore to 463 SHGs.

NEW INITIATIVES

- Launched ATM enabled 'RuPay Kisan Debit Card' on 26.10.2012 under the platform of National Payment Corporation of India (NPCI).
- Implemented GOI's six new Agri Credit products to meet the credit requirements of farmers/farm households, new PSB scheme for financing tractors with the relaxation in lending norms.
- Opened 57 rural branches in 2012-13 and appointed 100 new Agriculture Field Officers in addition to existing AFOs of 55 in order to increase rural reach.
- Signed MOU with Onicra Credit Rating Agency of India Ltd, M/s Star Agriwarehousing & Collateral Management Ltd and National Housing Bank (Credit Guarantee Fund Trust for Low Income Group Housing).
- Operationalized on-line application cum tracking facility of loan applications for MSMEs and provided a separate Bank's Portal to provide ready information and data to intending borrowers.

RRB SPONSERED BY THE BANK

Sutlej Gramin Bank, Bhatinda, the RRB sponsored by the Bank, covers six districts of Punjab viz. Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana and is in profit since inception. The progress made by the RRB in various parameters is as under –

(Rs. in crores)

Parameter	31.3.2012	31.03.2013 (unaudited)
Deposits	238.22	264.72
Total Advances	191.07	203.95
Priority Sector Advances	181.45	195.18
Agriculture Advances	161.45	175.57
Net Profit	2.69	1.72

Lead Bank Responsibility/Setting up of Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs):

Bank has lead bank responsibilities in 3 districts of Punjab viz., Moga, Faridkot and Ludhiana. Pursuant to the directions of Reserve Bank of India, Bank has set up FLCCs in the name of "PSB Suvidha Centres" in all three lead districts to impart free financial literacy/credit counseling services to the needy to help them avail financial services from Banking system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to debt burden.

Contribution to Rural Development:

The Bank, through its 'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Development '(PSB Trust for DARE), has established three Rural Development Centers to undertake some of Trust's objectives viz. organizing tractor maintenance, animal welfare camps etc. During 2012-13, 44 camps have been organized by these centres.

As per initiative of Ministry of Rural Development, Govt. of India, Bank under the aegis of 'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Development has established 'Rural Self Employment Training Institutes' in three of its lead districts in Punjab to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. During 2012-13, these training institutes have trained 1204 candidates, taking the tally to about 3213 unemployed youths since inception, with an impressive settlement rate of 54%.

वित्तीय-समावेशन

वित्तीय–समावेशन केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि बैंक का एक मिशन है ताकि जन–साधारण के वंचित तथा अयोग्य खंडों को सशक्त किया जाए तथा बैंक का प्रयास है कि वह इन लोगों जैसे कि 'अपवर्जित का समावेशन' को बैंकिंग प्रणाली से जोडे और उन्हें समाज की एक उत्पादक आस्ति बनाएं। इसके लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:–

- बैंक को 2000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले 400 गॉव आबंटित किए गए थे। इन गॉवों को बैंक ने ईंट–गारे की शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कवर किया है, जो कि इस प्रकार हैं :

हमारे बैंक को आबंटित गॉव	: 400
गॉवों मे खोले गए केंद्र	: 397*
बीसी मॉडल के अंतर्गत	: 359
ईंट और गारे की शाखाएं	: 38

* मणिपुर राज्य में राजद्रोह के कारण आबंटित 3 गॉवों में इन्हें खोला नहीं जा सका।

- 49.82 करोड़ की बकाया के साथ 9.19 लाख ''नो फ्रिल खाते'' खोले गए। 3348.61 करोड़ की बकाया के साथ 135445 केसीसी जारी किए गए।
- वर्ष 2012–13 की अंतिम तिमाही के दौरान किसी भी बैंकिंग चैनल के माध्यम से सभी गॉवों को वित्तीय समावेशन केन्द्रों द्वारा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु, बैंक को 2000 से कम जनसंख्या वाले 2316 गॉव आबंटित किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 2013–14 से 2015–16 तक 3 वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :–
- बैंक की नियमित शाखाओं के रूप में कार्य करने के लिए 3 वर्षों में (कम लागत की ईंट व गारा से निर्मित) 120 अति सूक्ष्म स्थाई शाखाओं का प्रारंभ तथा उन्हें सीबीएस नेटवर्क से जोड़ना।
- व्यवसाय प्रतिनिधि / ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) का प्रयोग। बैंक में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण तथा वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तथा सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 19 वित्तीय समावेशन समन्वयकों की नियुक्ति।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीसीटी) सुविधा का कार्यान्वयन :–

वित्त मंत्रालय के दिनांक 16.11..2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष नकदी अंतरण सुविधा को 34 योजनाओं हेतु 43 जिलों में कार्यान्वित कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य है – ''आपका पैसा आपके हाथ'' ।

- बैंक ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तथा एनएसीएच व एपीबीएस के लिए तैयार है।
- बैंक ने कैंप आधारित पद्धति के माध्यम से प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के तहत खाता खोले जाने की मुहिम की शुरुआत की है तथा अनेक क्षेत्रों में डोर–टू–डोर अभियान चलाए गए। बैंक के निकटवर्ती क्षेत्र के 43 प्रमुख जिलों में 31.03.2013 तक कुल 81204 प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीसीटी) खाते खोले गए। खाता खोले जाने के अतिरिक्त बैंक ने 38930 आधार नम्बरों को ग्राहकों के खातों से जोड़ा।

बैंक ने पंजाब के 3 जिलों लुधियाना, फरीदकोट व मोगा में, जो 43 प्रमुख जिलों में नहीं आते हैं, लीड बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह किया। इन जिलों में लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित सरकारी विभागों से मंगवाई गई है तथा विभिन्न योजनाओं के 154476 लाभार्थियों में से 152766 बैंक खाते हमारे बैंक तथा अन्य बैंकों में खोले गए हैं।

आस्ति गुणवत्ता

कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, बैंक ने अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाया है तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। बैंक ने इस वित्तीय–वर्ष में विभिन्न केन्द्रों पर 1837 वसूली कैम्पों का आयोजन किया। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने वसूली प्रबंधन योजना के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र तथा असुरक्षित तकनीकी बट्टे खातों के निपटान हेतु दो अल्पावधि योजनाओं का निरूपण किया है। सभी 1947 मामलों का 165.92 करोड़ रू. में निपटान हुआ।

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is not only a process but a mission for the bank to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under:

- The bank has been allotted 400 villages with population of 2000 and more. These villages have been covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model as under:

Villages allotted to our Bank:	400
Villages covered:	397*
Under BC Model:	359
Under Brick & Mortar branches:	38

* 3 villages in Manipur state could not be covered due to insurgency.

- 9.19 lacs No-Frill Accounts have been opened with a total outstanding of Rs. 49.82 crore.135445 KCCs have been issued with a total outstanding of Rs, 3348.61 crore.
- With a view to ensure coverage of all the villages through any of the banking channels, during the last quarter of 2012-13, the bank has been allotted 2316 villages with population less than 2000. In terms of the directions of RBI, the bank has prepared a Financial Inclusion Plan for 3 years i.e. 2013-14 to 2015-16 and the same has been approved by the board. The highlights of the plan are:
- Opening of 120 permanent Ultra Small Branches (low cost brick & mortar) in 3 years to function as regular branches of the bank and to be connected through CBS network.
- Engaging Business Correspondents/Customer Service Centres (CSCs) .Engaging a total of 19 Financial Inclusion Co-ordinators to cover all the regions, to facilitate implementation of Financial Inclusion and Direct Cash Transfer in the bank.

IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH TRANSFER (DCT)

In terms of the directions dated 16.11.2012 of Ministry of Finance, Direct Cash transfer (DCT) has been implemented in 43 districts for 34 schemes. The motto of the scheme is "Aapka Paisa Aapke Haath".

- The bank has completed all the formalities and is onboard to NACH & APBS.
- The bank has launched a account opening drive under DCT through camps based approach and launched door-to-door campaign in many areas. As on 31.03.2013 the bank has opened 81204 DCT accounts in the region where the bank has presence in 43 pilot districts. Besides opening of accounts, the bank has also seeded 38930 Aadhaar numbers in the accounts of customers.

The bank has lead bank responsibilities in 3 districts i.e. Ludhiana, Faridkot & Moga in Punjab which are not in 43 pilot districts. Lists of beneficiaries in these districts have been sourced from respective Govt. departments and out of 154476 number of beneficiaries in various schemes, 152766 accounts have been got opened in our and other banks.

ASSET QUALITY

Inspite of the difficult Economic conditions, the Bank has taken necessary steps to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The Bank organized 1837 Recovery Camps during the year at various centres. Bank has effectively used provisions of "The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002". During the year Bank formulated two short term schemes for settlement of NPAs under Agriculture sector and unsecured TWO accounts apart from Bank's Recovery Management Policy. In all 1947 cases were settled at Rs.165.92 crore .

वर्ष के दौरान गैर–निष्पादित खातों में बैंक की वसूली पूर्व की भांति अच्छी रही। वसूली में आक्रामक तथा लक्षित प्रयासों के परिणामस्वरूप 202.93 करोड़ रू. की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सहित कुल 529.01 करोड़ रू. से अधिक की वसूली की जा सकी। तकनीकी बट्टा खातों में प्रभ. ावात्मक वसूली में बैंक ने नई ऊँचाईयों को छुआ, जोकि 125 करोड़ रू. के लक्ष्य के सापेक्ष 202.93 करोड़ रू. रहा।

तथापि स्लीपेज बढने के बावजूद, कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2012 के 763.44 करोड़ रू. (1.65%) एवं 547.56 करोड़ रू. (1.19%) की अपेक्षा दिनांक 31.03.2013 को 1536.90 करोड़ रू. (2.96%) तथा 1110.38 करोड़ रू. (2.16%) रहा।

31.03.2013 को गैर–निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति 31.03.2012 की तुलना में निम्नानुसार है :–

एनपीए	**31.03.2012 की स्थिति अनुसार**		**31.03.2013 की स्थिति अनुसार**	
सकल	763.44	1.65%	1536.90	2.96
निवल	547.56	1.19%	1110.38	2.16

दिनांक 31.03.2013 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 50.37% रहा।

निवेश प्रबंधन एवं विदेशी विनिमय

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक की कॉर्पोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम वसूली एवं निवेश नीति के अनुरूप कारोबारी संरचना सहित बैंक का कुल निवेश 12.07% की वृद्धि के साथ 22590.24 करोड़. रु. हो गया।

चालू वित्त वर्ष में गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियॉ तथा सरकारी प्रतिभूति में व्यापारिक क्रियाशीलता खाते पर प्रतिभूति विक्रय लाभ 62.98 करोड़ रु. रहा।

बैंक ने बडे. ही महत्वाकांक्षी ढंग से अपने सोने के सिक्कों का विक्रय किया है। वर्ष 2012–13 में सोने के सिक्कों का विक्रय लाभ कुल 2.56 करोड़ रु. रहा।

वर्ष 2012–13 में विदेशी मुद्रा–अंतरण में विनिमय लाभ 25.01 करोड़. रु. रहा।

जोखि़म प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक में जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मण्डल एवं शीर्षस्थ बैंक प्रबंधन पर है। बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी प्रधान कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.)द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक है।

निम्नलिखित शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से ज़ोखिम प्रबंधन किया जाता है :

1. जोखि़म प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) एक बोर्ड स्तरीय उपसमिति
2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.)
3. आस्ति एवं देयतायें प्रबंधन समिति (एलको)
4. संचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.)
5. आईसीएएपी के अनुसार पूंजीगत योजना समिति

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती है।

नीति–तंत्र

बैंक के समक्ष विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियॉ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं। बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण तथा बैंक के सभी जोखिमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) नीति, निवेश–नीति, ऋण–नीति, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए.), ऋण लेखा–परीक्षा, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, डैरिवेटिव नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय सतत् आयोजना (बी.सी.पी.)तथा आपदा वसूली प्रबंधन (डी.आर.एम.) नीति, स्ट्रेस टैस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने की नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति शामिल हैं। आर.एम.सी. / निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs.529.01 Crore including recovery of Rs.202.93 Crore in Technically Written Off accounts. The Bank crossed a milestone in effecting recovery in Technically Written Off accounts, which stood at Rs 202.93 crores against target of Rs.125 crores.

However, despite higher slippage, the Gross and Net NPAs as on 31.03.2013 have been contained at Rs.1536.90 crores (2.96%) and Rs.1110.38 crores (2.16%) as against Rs.763.44 Crore (1.65%) and Rs.547.56 Crore (1.19%) as on 31.03.2012 respectively.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2013 vis-à-vis previous year is as under: (Rs. in crore)

NPA	As on 31.03.2012		As on 31.03.2013	
Gross	763.44	1.65%	1536.90	2.96
Net	547.56	1.19%	1110.38	2.16

The Provisioning Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O. a/cs), as on 31.03.2013 stood at 50.37 %.

INVESTMENT MANAGEMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total investment increased by 12.07% during current financial year to Rs22590.24 Crores, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year was Rs.62.98 crores on account of trading activities in G-sec and Non SLR Securities.

Bank has been aggressively pushing its gold coins sale. The profit on sale of gold coins was Rs. 2.56crores for the year 2012-13.

Exchange profit in Forex transactions for the year 2012-13 was Rs25.01 crores.

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

Risk is managed through following Apex committees viz.

1. Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee
2. Credit Risk Management Committee (CRMC)
3. Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
4. Operational Risk Management Committee (ORMC) and
5. Capital Planning Committee as per ICAAP

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Investment Policy, Loan Policy, Risk Based Internal Audit (RBIA), Credit Audit, Country Risk Management Policy, Derivatives Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

बैंक का बेसल-II के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 को प्रभावी तिथि से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल.II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए, ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक बेसल– I तथा बेसल– II के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत समानान्तर आधार पर पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सी.आर.ए.आर.)की संगणना करता है। बैंक के निदेशक मण्ड़ल द्वारा सी.आर.ए.आर. की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल–II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने की निर्धारित समय–सीमा के अनुपालन की तैयारी की है। बेसल–II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बेसल–III के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

आई.सी.ए.ए.पी. नीति

बेसल–II, पिलर –2– ''पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एस.आर.ई.पी.)'' विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आतंरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.)नीति को तैयार किया है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय/पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले सम्भावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है।

प्रकटीकरण

बेसल–II पिलर –3– ''बाज़ार अनुशासन'' विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी–निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने निदेशक–मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वैबसाईट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण–जोखिम

ऋण–जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण–कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति–निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कार्पोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्त्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेंटिंग जोखिम मॉडलों को कारपोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेंटिंग के लिए, उद्योगों/पोर्टफोलियों का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेंटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

पूंजी के संरक्षण तथा अनुकूलतम उपयोगिता को हासिल करने के उद्देश्य से बेसल–II के मानदंडों की संचालन स्तर पर जानकारी दी जा रही है तथा उसमें निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है।

बाजा़र जोखि़म

ब्याज–दरों तथा मुद्रा–दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बैंक का पोर्टफोलियो बाज़ार जोखि़म से प्रभावित होता है। बैंक में आस्ति देयता समिति (एलको) बाज़ार जोखिम से संबंधित काम काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम माप–प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का सख्ती से पालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है, जो कि देय होने पर, बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम स्थिति को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा–निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाज़ार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियों पर भी जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) की गणना करता है।

बैंक, सम्भाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज–दर जोखि़मों से होने वाले सम्भावित जोखि़मों को उजागर करने के लिएए समय–समय पर स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास करता है। किसी भी एक जोखि़म कारक के आघात के प्रभाव से पैदा होने वाली बदत्तर स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभावित हल निकाले जाते हैं।

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank is computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II guidelines. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank has geared up to maintain time schedule for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. However, Bank has appointed a consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

Awareness of Basel II norms at the operating level is created and continuously enhanced to achieve the aim of conservation and optimum use of capital.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

In the bank the Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

The Bank periodically undertakes stress test exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity & interest rate risk that may arise due to events that are rare but plausible. The impacts of shock on account of different risk factors that may generate worst case scenario are studied and to counter the impact possible solutions are derived.

परिचालनगत जोखि़म

परिचालनगत जोखि़म प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखि़मों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक ने परिचालनगत जोखि़म के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए जोखि़म हानि के आंकडों के संग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है।

संगठन एवं सहायता सेवा :

बैंक ने वर्ष 2012–13 में 101 नई शाखाएं खोली हैं जिनमें से 38 शाखाएं गैर–बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं जबकि पिछले वर्ष में 63 नई शाखाएं खोली गई थी।

बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर दो विभागों को स्थापित किया है। जिनका विवरण इस प्रकार है– एनईएफटी अन्तरण हेतु डिलीवरी चैनल बैंक ऑफिस, केन्द्रीय प्रक्रिया केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में दिनांक 18.05.2012 से प्रभावी तथा धोखाधड़ी निगरानी विभाग, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में दिनांक 07.02.2013 से प्रभावी हैं।

स्वावलम्बन – नई पेंशन योजना (एनपीएस)

बैंक ने पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (PFRDA)के साथ समूहक के रूप में शामिल होने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया था। हमें पीएफआरडीए के महाप्रबंधक महोदय से दिनांक 25.02.2013 का नियोजन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि हमारा बैंक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण PFRDA के साथ समूहक के रूप में नियुक्ति हुआ है तथा 15 नियुक्ति–पत्रों की एक प्रति प्राप्त हुई है। बैंक में स्वावलम्बन योजना के संचालन हेतु पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण PFRDA की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2013 को बैंक में संवर्ग अनुसार स्टाफ सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है :–

श्रेणी	31 मार्च 2012	31 मार्च 2013
अधिकारी	5587	5932
लिपिक	1460	1640
अधीनस्थ स्टाफ़	994	961
कुल	8041	8533

क. महिला कार्मिक :–

दिनांक 31.03.2013 को कुल 8533 कार्मिकों में से 1423 महिला कार्मिक हैं, जो कुल संख्या का 16.68% है। बजट व्याख्यान में देश में महिला बैंक खोलने हेतु वित्त मंत्रालय के कथन का अनुसरण करते हुए बैंक ने अपनी 4 शाखाओं को 1 अप्रैल,2013 से महिला शाखा के रूप में परिवर्तित किया है।

ख. आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोज़गार :–

बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उनके विकास के लिए सामाजिक लक्ष्यों तथा संवैधानिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक सम्पूर्ण भारत व स्थानीय भर्ती में पदों के आरक्षण हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी हेतु एक विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए महाप्रबंधक स्तर के उच्चाधिकारी को मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों से सम्बन्धित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की शिकायत निवारण सम्बन्धी मामलों को देखेगा।

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank has started the process of collecting Loss Data for migration to advanced approaches of Operational Risk.

ORGANAISATION & SUPPORT SERVICE

Branch Expansion

Bank has opened 101 new branches in 2012-13 which include 38 branches opened in Unbanked rural centres as against 63 new branches opened in the last fiscal.

Bank has also operationalized two HO Dept. namely i) Central Processing Centre, Delivery Channel Back Office for NEFT transactions at HO IT Dept. 21, Rajendra Place, New Delhi w.e.f. 18.05.2012 and ii) Fraud Monitoring Dept. at21, Rajendra Place, New Delhi w.e.f. 07.02.2013.

SWAVALAMBAN- NEW PENSION SCHEME (NPS)

The Bank applied for registration as Aggregator with PFRDA. We received an appointment letter dated 25.02.2013 from General Manger, PFRDA intimating us that our Bank has been appointed as an Aggregator with PFRDA and 15 appointment letter has been received. Bank is in the process of completing the formalities desired by PFRDA for operationalization of Swavalamban Scheme in the Bank.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2013 is as under: -

Category	31st March 2012	31st March 2013
Officers	5587	5932
Clerks	1460	1640
Sub-staff	994	961
Total	8041	8533

A) WOMEN IN EMPLOYMENT: -

Out of the total staff strength of 8533 as on 31.03.2013, the women employees are 1423, constituting 16.68% of the total strength. Also in tune with the Finance Ministry initiative in the Budget presentation to open All Women's Bank in the country, the bank has decided to create four Branches, into all Women branches with effect from 1st April 2013.

B) EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES:-

Bank is committed to the constitutional safeguard and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and other backward classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt.Of India in respect of Reservation Policy for reservation of Posts in all India, local recruitments.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation & other provisions for SC/ST employee. An executive in the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees & takes care of all matters of grievance Redressal of SC/ST employees of the Bank.

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1193 तथा 371 है । विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक विकलाँग
अधिकारी	701	300	488	48	68
लिपिक	228	39	219	100	48
अधीनस्थ स्टाफ	264	32	47	237	16
कुल	1193	371	754	385	132

ग. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

बैंक ने वर्ष 2012–13 के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए 21 मामलों में कुल 131.75 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

घ. पदोन्नतियाँ

बैंक सभी संवर्गों के कार्मिकों के उच्च कार्य–सम्पादन प्रतिफल को बनाए रखने एवं उनके द्वारा उच्च दायित्वों को ग्रहण करने हेतु वर्ष दर वर्ष पदोन्नतियॉ प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत, कार्मिकों को उच्च उत्पादन हेतु प्रेरित करने के कारण व तीव्र कैरियर विकास हेतु उनकी बढ़ती महत्वकाक्षाओं की पूर्ति के लिए विशेष मुहिम चलाई गई।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नतियॉ की गई :–

पदोन्नति स्तर	उ.म.प्र. से म.प्र.	सहा.म.प्र.से उ.म.प्र.	मु.प्र.से स.म.प्र.	प्र.से वरि.प्र.	अधि.से प्र.	कुल
सामान्य	05	24	40	244	312	625
विशेषज्ञ	—	—	—	28	34	62
कुल	05	24	40	272	346	687

ड. प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है । बैंकिंग उद्योग में हाल ही में मौजूदा प्रतिस्पर्धा के माहौल में साथियों के बीच विशेष तौर से स्टाफ को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली में विकास तथा प्रक्रियाओं तथा कानूनी पहलुओं पर जानकारी देना अधिक महत्वपूर्ण है।

जीवंत संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में प्रशिक्षण एवं अभ्यास महत्वपूर्ण कदम है जिसमें कार्मिक अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित होते हैं। यह कार्मिकों की योग्यता में वृद्धि करने एवं उचित दक्षता युक्त होने तथा विभिन्न खण्डों में निरन्तर परिवर्तित होने वाली ग्राहक की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक में नए भर्ती हुए कार्मिकों की कार्य–कुशलता में वृद्धि, ज्ञान तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए इसकी वर्तमान कार्य–शक्ति की स्थिति के पुनर्विन्यास में सहायक सिद्ध हुए, जिससे कि बैंक देश के पूर्णतया तकनीकी एवं सेवा प्रदाता बैंक के रूप में परिवर्तित हो सके।

वित्त–वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक ने अपने 50 प्रतिशत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इस सन्दर्भ में 1 अप्रैल,2012 से 31 मार्च, 2013 के बीच सामान्य बैंकिंग एवं कम्प्यूटर व इससे सम्बन्धित 266 प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसबी सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, चण्डीगढ़ में तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम निब्सकॉम नोएडा में आयोजित किए गए। जिस दौरान विभिन्न संवर्गों के 4129 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त 349 अधिकारियों को शीर्ष स्तर पर, स्पेशल सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण (सीए हेतु) भी प्रदान किया गया। विभिन्न संवर्गों के 3 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भी नामित किया गया।

च. औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध वर्ष पर्यंत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन तंत्र के साथ विचार–विमर्श में भाग लिया तथा इनके समाधान के लिए प्रयत्न भी किए गए।

The staff strength of SC/ST employees stood at 1193 and 371 respectively on 31.03.2013. The staff strength under various reserved categories is as under: -

CATEGORY	SC	ST	OBC	Ex-SM	PH
OFFICERS	701	300	488	48	68
CLERKS	228	39	219	100	48
SUB-STAFF	264	32	47	237	16
Total	1193	371	754	385	132

C) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES: -

During the Financial year 2012-13 the Bank made total payment of Rs.131.75 lac in 21 cases received from the dependants of the deceased employees under the scheme for the payment of Ex Gratia in lieu of appointment on compassionate grounds.

D)PROMOTIONS: -

Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Special drive was made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for fast career progression thereby motivating employees for higher productivity.

Following promotions have been affected during the year: -

Promotions	DGM to GM	AGM TO DGM	CM TO AGM	MGR TO SRM	OFFICER TO MGR	TOTAL
General	05	24	40	244	312	625
Specialist	-	-	-	28	34	62
Total	05	24	40	272	346	687

E) TRAINING & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: -

Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment in the banking industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc., especially amongst the peers.

Training and grooming are important steps in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged & motivated to perform better. It helps in augmenting the competencies of employees & equip them with the right skills & knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The training programmes organized by the Bank are geared towards integrating the new recruits into the Bank & in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to the organizational objectives so as to transform the Bank to a technology & service driven Bank of the country.

The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2012-13. With this in view, 266 programmes were conducted by PSB Centre for Banking Research & Training at Chandigarh in General Banking & Computer related programmes & at NIBSCOM, NOIDA in various fields from 1st April 2012 to 31st March 2013, in which training was imparted to 4129 employees of different cadres.

Beside, 349 Officers were also imparted training at Apex Level, Special soft skill programme & Special training (for CAs). Also, 3 officials in various cadres were also nominated by the Bank for overseas trainings.

F) INDUSTRIAL RELATIONS: -

The industrial relations in the Bank remained cordial through out the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same.

छ. सीधी भर्ती

वित्तीय–वर्ष 2012–13 में सेवा–निवृति की चुनौतियों, निरन्तर व्यापार वृद्धि तथा शाखाओं के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। बैंक की विविध मानवशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए विशेषज्ञ एवं परिवीक्षाधीन, दोनों ही संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक की भर्ती परियोजना में 1 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, स्केल–V, 5 सनदी लेखाकार, स्केल-III, 22 सनदी लेखाकार स्केल – II, 810 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 99 सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी स्केल–I, 65 एएफओ स्केल–I,10 राजभाषा अधिकारी स्केल–I, 4 तकनीकी अधिकारी (3सिविल व 1 इलैक्ट्रिकल) तथा लिपिकीय संवर्ग में 373 सिंगल विंडो ऑपरेटर –A नियुक्त हुए।

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने सीबीएस चरण–II का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है। इसके तहत अब तक बैंक की 841 शाखाओं/कार्यालयों (829शाखाओं + 12 कार्यालयों) में सीबीएस सुविधा हैं, इस प्रकार बैंक–व्यवसाय का 94.73% सीबीएस के तहत कवर किया जा चुका है।

760 शाखाओं में आरटीजीएस व 811 शाखाओं में एनईएफटी के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान 31.03.2013 तक 61 एटीएम इंस्टॉल किए गए, परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत के बड़े शहरों में कुल 179 (146 ऑनसाईट/33 ऑफसाईट) एटीएम बैंक ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। बैंक ने 31.03.2013 के अनुसार 188204 कार्ड जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दक्षिणी ग्रिड, जिसमें चैन्नई, कोलकाता व चण्डीगढ़ आते है, में स्थित बैंक की शाखाओं में सीटीएस परियोजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है तथा मुम्बई (पश्चिमी ग्रिड) जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व गोवा राज्य आते हैं, में सीटीएस कार्यान्वयन प्रक्रिया चल रही है।

यूज़र पासवर्ड चोरी होने/साझा करने के कारण होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु बैंक द्वारा निकट भविष्य में सीबीएस एप्लीकेशन हेतु में लॉग–इन हेतु बॉयोमैट्रिक आधार पर पहचान को प्रयोग किया जाएगा।

बैंक ने प्रधान कार्यालय, बड़े कार्यालयों, लीड बैंक कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों, स्थानीय प्रधान कार्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़ तथा गुरदासपुर अंचल की 27 शाखाओं (20सर्वश्रेष्ठ एवं 7 अन्य शाखाओं) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की शुरुआत की है।

बैंक ने दिनांक 05.10.2012 को पनग्रेन डेबिट कार्ड तथा दिनांक 26.10.2012 को रूपे डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की।

बैंक ने अतिरिक्त डिलीवरी चैनल के रूप में मोबाईल बैंकिंग की शुरुआत करने की भी योजना बनाई है।

आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन के विभिन्न कार्यों में से एक है, जिसके माध्यम से संगठन के संसाधनों का संचालन, निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। यह संगठन के मूर्त और अमूर्त संसाधनों की सुरक्षा तथा उनसे सम्बद्ध धोखाधडी की जांच व उनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वित्तीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता, परिचालनगत या निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का समय पर प्रत्युत्तर तथा उनका बैंकिंग कानूनों तथा विनियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) द्वारा निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग के कार्यों को 8 बार देखा गया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में, बैंक की 679 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट किया गया, 402 शाखाओं में समवर्ती ऑडिट किया गया, 2 करोड़ से ज्यादा की ऋण सुविधाओं का लाभ ले रहे ग्राहकों के 464 खाते की ऋण लेखा परीक्षा की गई, प्रधान कार्यालय के विभागों, समस्त आंचलिक कार्यालयों व 188 शाखाओं में पोस्ट माइग्रेशन शाखाओं में प्रबंध लेखा परीक्षा व निरीक्षण से सम्बद्ध सूचना पद्धति ऑडिट भी किया गया।

वित्तीय–वर्ष 2012–13 में निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग ने ग्राहकों की शिकायतों की जांच की, कुल 1567 नई शिकायतें आई तथा 153 शिकायतों का निपटान किया गया, इसके अतिरिक्त बैंकिंग लोकपाल ने बैंक के विरुद्ध कोई अधिनिर्णय नहीं लिया।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग ने ''समवर्ती ऑडिट पॉलिसी'' ,सूचना पद्धति ऑडिट पॉलिसी'' ,''धोखाधडी से सम्बन्धित जोखिम प्रबंधन पॉलिसी'' तथा ''प्रबंधन ऑडिट पॉलिसी'' और विभाग के मैन्युअल अनुपालन को निरूपित किया है।

G) DIRECT RECRUITMENT: -

The Bank launched a special recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion in the FY 2012-13. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank.

During the year, 1 Chief Information Security Officer in Scale –V, 5 CAs in Scale –III, 22 CAs in Scale –II, 810 Probationary Officers, 99 IT Officers in Scale –I, 65 AFO in Scale –I, 10 Hindi Officers in Scale -I, 4 Technical Officer (3 Civil & 1 Electrical) and 373 Single Window Operators –A in Clerical cadre have joined the Bank under Bank's Recruitment Projects.

INFORMATION TECHNOLOGY

"The Bank has initiated implementation of CBS Phase-II. As on date 841 branches / offices (829 branches + 12 offices) of the Bank are under CBS, thus covering 94.73% business of the Bank.

Electronic fund transfer facility through RTGS is available in 760 branches & NEFT is available in 811 branches.

61 ATMs have been installed during the year up to 31.03.2013, resulting in total of 179 (146 onsite / 33 offsite) ATMs serving the bank's customers in major cities spread all over India. The bank has issued 188204 cards as on 31.03.2013.

The CTS Project is fully implemented in NCR Delhi branches, and at Southern grid which covers Chennai, Kolkatta and Chandigarh. CTS Mumbai (Western grid) is under implementation, which will cover states of Gujarat, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Maharshtra and Goa"

Bank is shortly going to introduce Biometric based Authentication for employees' login into Finacle CBS application to prevent the incidence of frauds taking place on account of password theft/sharing of CBS users.

Bank has introduced video conferencing facility at major offices, Head Office, Lead Bank offices, Zonal offices, LHO Chandigarh, CLC Chandigarh, and 27 branches. (Top 20 branches and 7 other branches of Gurdaspur Zone)

Bank has launched Pungrain Debit Card on 05.10.2012 and Rupay debit & Kisan Card on 26.10.2012.

Bank has planned to introduce mobile banking as an additional delivery channel. "

INTERNAL CONTROL

Internal control is one among various management functions, through which organization's resources are directed, monitored and measured. It plays an important role in preventing and detecting fraud and protecting the organization's resources, both physical and intangible. It endeavours to ensure the reliability of financial reporting, timely feedback on the achievement of operational or strategic goals, and compliance with laws and regulations.

The internal control functions of the Inspection & audit department are overseen by the Audit Committee of the Board (ACB), which met 08 numbers of times during the FY 2012-13.

During FY 2012-13, 679 branches of the Bank were subjected to Risk Based Internal Audit; 402 branches were subjected to Concurrent Audit; 464 account of customers enjoying credit facilities over Rs.2 crore were subjected to Credit Audit, the Information System audit including post Migration audit was conducted in 188 Branches and all the Zonal Offices & departments at Head Office were also subjected to Management Audit & Inspection.

The Inspection & audit department is also monitoring the customer complaints, during FY 2012-13, 1567 number of fresh complaints were received and 153 complaints were disposed off, further, no award has been passed by the Banking Ombudsman against the Bank .

During the year the Inspection & audit department formulated 'Concurrent Audit Policy', 'Information System Audit Policy', 'Fraud Risk Management Policy' and 'Management Audit Policy' and Compliance Manual of the department.

अनुपालन कार्य :-

दिनांक 01.10.2009 से अनुपालन कक्ष पूर्णतः अनुपालन विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। वित्तीय–वर्ष 2011–12 के दौरान एक व्यापक अनुपालन योजना बनाई गई, वर्ष 2012–13 के दौरान जिसकी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सभी आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के अनुपालन निदेर्शिका प्रारूपित/अद्यतित की गई। प्रधान कार्यालय योजना एवं विकास विभाग ने भी बैंक की कार्य–निर्देशिका तैयार की, जिसे बैंक की इंट्रानेट साईट पर भी अपलोड किया गया है।

विभाग ने बैंक में कार्य–अनुपालन के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के परिपत्र में जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुसरण किया। अनुपालन विभाग ने सांविधिक/विनियामक अपेक्षाएं तथा विनियामक/भारत सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को भेजी जाने वाली कोई अन्य आवश्यक सूचनाओं का भेजा जाना सुनिश्चित किया है। अनुपालन विभाग ने प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सचिवालय से प्राप्त डाक का शीघ्र उत्तर देने के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित विवरणी समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के समस्त परिपत्रों तथा वित्तीय–वर्ष 2012–13 में जारी आंतरिक दिशानिर्देशों का सार मासिक आधार पर तैयार किया गया तथा इसे स्टाफ के संदर्भ हेतु बैंक की इंट्रानेट साईट पर भी अपलोड किया गया।

अनुपालन विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया कि प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों तथा शाखाओं की कार्य–पद्धति उनके कार्य–निर्देशिका से जुड़ी है। इस कार्य–पद्धति का वार्षिक अनुपालन ऑडिट तथा नियमित अंतराल पर कुछ शाखाओं की अचानक क्रॉस–चेकिंग के माध्यम से नियमित रूप से जांचा गया।

जन-सम्पर्क एवं प्रचार :-

''वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक ने जन–सामान्य के बीच तथा कार्पोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक सुनियोजित मल्टीमीडिया नीति अपनाई है।

बैंक ने इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान मे रखते हुए प्रिंट मीडिया द्वारा अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्य डिस्प्ले/सूचनाओं को विभिन्न समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित करवाकर ख्याति प्राप्त की है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान दिल्ली मेट्रो डिस्प्ले चैनलों पर, टर्मिनल 3 नई दिल्ली एवं मुम्बई हवाई अड्डा पर पद–यात्री ट्रॉलियों पर और नई दिल्ली स्टेशन (पहाड़गंज तथा अजमेरी गेट की तरफ), निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वी.टी.स्टेशन मुम्बई तथा लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्लोबल टॉवरों के साथ ही टर्मिनल 3 नई दिल्ली हवाई अड्डा पर टौटेम पर बैंक के खुद्रा ऋण योजना तथा मुम्बई हवाई अड्डा पर विज्ञापन वाले गुब्बारे के जरिये बैंक का प्रचार–प्रसार करने में आउटडोर मीडिया का प्रयोग किया गया।

बैंक को वर्ष 2013 के कलैंडर के माध्यम से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई, जिसे बैंक के ग्राहकों तथा इसके शुभचिन्तकों के मध्य वितरित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बैंक को प्रिंट मीडिया एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रेस–विज्ञप्तियों के कवरेज के अतिरिक्त प्रेस कान्फ्रेंसों के आयोजनों से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई।

इन सभी कार्यों द्वारा बैंक को पुनः राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर मिला तथा प्रचार–प्रसार के स्तर पर आशातीत ख्याति प्राप्त हुई।

सतर्कता

निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में तथा भ्रष्टाचार रहित वातावरण के प्रति स्टाफ को जागरुक बनाने के लिए, विभाग ने अमृतसर, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में तीन कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उच्चाधिकारियों – श्री जे.एम.गर्ग, सतर्कता आयुक्त, चण्डीगढ़, श्री के.डी. त्रिपाठी, आईएएस, सचिव, नई दिल्ली तथा श्री अनिल सिन्हा, आईपीएस, अतिरिक्त सचिव, अमृतसर द्वारा सम्बोधित किया गया। इसके साथ इन कार्यशालाओं में बैंक की लगभग 80 प्रतिशत शाखाओं को कवर करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त बैंक ने इस वित्तीय–वर्ष के दौरान परिचालनगत जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ियों की पहचान, निगरानी एवं निवारण पर निब्सकॉम, नोएडा, सीबीआरटी चण्डीगढ़ तथा सीबीआई अकादमी, गाज़ियाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एवं फोरेंसिक सांईस, रोहिणी दिल्ली तथा सतर्कता स्टडी सर्कल, कोलकाता द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2. सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासन प्राधिकारियों तथा जांच प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुसरण किए जाने के परिणामस्वरूप, आरडीए (नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों) के निपटान के साथ–साथ जांच प्रक्रिया के समयबद्ध निपटान में महत्वपूर्ण सुधार आया है। इस सम्बन्ध में विवरण नीचे दिया गया है। यह स्थिति पहली बार है कि 6 महीने से अधिक समय से विलम्बित जांच मामलों की संख्या 3 से कम हुई है।

COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Cell was upgraded into a full-fledged Compliance Department wef 1.10.2009. A comprehensive Compliance Policy was drafted during FY 2011-12, which was reviewed during 2012-13. Further, Compliance Manuals of Zonal Offices and various HO Departments were drafted/updated during the year. HO P&D Department also drafted the Functional Manual of the bank and placed it on the intranet site of the bank.

The Department has followed various guidelines issued by RBI in its Circular dated April 20, 2007, regarding Compliance functions in banks. During the year, Compliance Department has ensured that Statutory/Regulatory and any other mandatory information required to be sent to the Regulator/ GOI or any other Authority, has been sent. The Compliance department also pursued HO Departments for timely submission of returns submitted to RBI/MOF besides early reply to the dak received at CMD Sectt. Futhermore, gists of all RBI circulars and Internal guidelines, issued during the FY 2012-13, were prepared month-wise and placed on the intranet site of the bank for reference of the staff.

The Compliance Department has strived hard to ensure that the functioning of Zonal Offices, branches and HO Departments is synchronized with their Functional Manuals. This functioning has been regularly checked through Annual Compliance Audits and random cross-checking of some of the branches at regular intervals.

PR & PUBLICITY

"During the financial year 2012-13, the Bank adopted a well-planned, multi media strategy to build up its image amongst the Public & also at the Corporate level.

The bank got extensive publicity through the print media by release of its product, tender, financial & other display/notice ads. in different newspapers, magazines, souveniers targeting various audiences all over the country during the period under review.

Publicity was notable through the outdoor media signifying display panels in Delhi Metro Trains, Passengers trolleys carrying Bank's communication at T 3 Delhi,Mumbai Airports and Glowball Towers at New Delhi Railway Station (Pahar Ganj & Ajmeri Gate side), Nizamuddin Railway Station, VT Station Mumbai and Lucknow Junction Railway Station besides display of Bank's Retail Loan Schemes on Totem at T-3 of Delhi Airport & Bank's corporate publicity on display Balloon at Mumbai Airport during the financial year 2012-13.

The bank also received immense publicity through Bank's Wall Calendar 2013 which was widely distributed among clients & well wishers of the Bank.

The bank got huge publicity by way of coverage of its press releases by the print & electronic media as also the press conferences organized by it during the FY 2012-13.

All these activities facilitated the bank to rededicate itself to the service of the nation & enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front."

VIGILANCE

As a measure of preventive vigilance and also to sensitize the staff towards a corruption free environment, the Department organized three conferences / workshops at Amritsar, New Delhi and Chandigarh, which were addressed by top officials of Central Vigilance Commission viz. Shri J.M.Garg, Vigilance Commissioner at Chandigarh, Shri K.D.Tripathi, IAS, Secretary at New Delhi and Shri Anil Sinha, IPS, Addl.Secretary at Amritsar which were attended by the senior functionaries of the Bank covering almost 80% of the Bank's Branches. Besides, various Training Programmes on Operational Risk Management, Prevention, Detection & Investigation of Frauds were conducted by the Bank during the Financial Year at NIBSCOM, NOIDA, CBRT Chandigarh & programmes organized by CBI Academy, Ghaziabad, National Institute of Criminology & Forensic Science, Rohini, Delhi and Vigilance Study Circle, Kolkata.

2. As a result of Vigilance Department's continuous follow up with Disciplinary Authorities and Inquiry Authorities, there is significant improvement in disposal of RDA (Regular Disciplinary Action Cases) as well as timely completion of inquiry process. This is evident from the detail given below. This is for the first time that number of inquiry cases pending for more than 6 months has come down to as low as 3.

	2010–11	2011–12	2012–13
वर्ष के दौरान निपटाए गए आरडीए मामले	58	76	104
6 माह से अधिक समय से विलंबित पडे जांच मामले (31 मार्च के अनुसार)	19	12	03

3. सशक्त एवं प्रभावी निगरानी के कारण, वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों में भी कमी आई है। 31.03.2012 के अनुसार सीवीसी से प्राप्त 7 शिकायतों सहित 20 विलम्बित शिकायतों की तुलना में 31.03.2013 के अनुसार सीवीसी से प्राप्त 2 शिकायतों सहित अनिर्णीत शिकायतों की संख्या भी 5 से कम रह गई है।

	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
सीवीसी से सम्बद्ध शिकायतों सहित कुल अनिर्णीत शिकायतें	25	20	05
उपरोक्त कुल अनिर्णीत शिकायतों में सीवीसी से सम्बद्ध शिकायतें	10	07	02

खुदरा वित्त एवं विपणन :

बैंक ने खुदरा वित्त व्यापार में बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण किया तथा बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु ब्याज–दरों को औचित्यपूर्ण बनाया।

इसके अतिरिक्त आवास ऋण तथा ऑटो ऋण–उधारियों के लिए विशेष त्यौहार उपहार योजना आरंभ की। वर्ष के दौरान कुछ नए उत्पादों को भी आरंभ किया गया। वर्ष के दौरान नए खुदरा ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी दौरान आवास ऋण खंड में 34 प्रतिशत तथा ऑटो ऋण खंड में 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान सकल अग्रिमों में खुदरा ऋण के वृद्धिशील प्रतिशत 31.03.2013 को 7.13 प्रतिशत के लगभग थे।

विभिन्न विकास प्राधिकारियों द्वारा आरंभ की गई बुकिंग योजना में बैंक द्वारा अग्रिम जमा राशि हेतु वित्त प्रदान करने हेतु सहभागिता की गई और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में अत्यधिक अच्छे परिणाम मिले।

विपणन एवं बीमा प्रभाग :–

सामान्य बीमा :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बजाज आलियांज नॉन लाईफ जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से कुल 2.21 करोड़, रू. की आय हुई।

जीवन बीमा :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान नवीकरण कमीशन के रूप में अवीवा लाईफ इंश्योरेंस की व्यापारिक क्रियाशीलता से कुल 2.87 करोड़ रू. की आय हुई।

यूटीआई म्यूचुअल फंड व्यापार :–

वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान 0.0005 करोड़ रू. (पांच हजार रूपये) की आय हुई।

सुरक्षा व्यवस्था :

बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है। विभाग ने बैंक की सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं इसका निरीक्षण किया। बैंक में प्रबल सुरक्षा परिदृश्य बनाने हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक तथा अबाधित सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए मजबूत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय बैंकिंग संघ के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य व्यवस्था प्रबंधनों को लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध करवा दिया गया है।

	2010-11	2011-12	2012-13
RDA cases disposed during the year	58	76	104
Pending Inquiries more than 6 months old (as on 31st March)	19	12	03

3. Due to vigorous follow up and effective monitoring, the pendency of complaints has also come down to as low as 5 as on 31.03.2013 including 2 complaints received from CVC as compared to 20 complaints pending as on 31.03.2012 including 7 complaints received from CVC.

	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
Total Pending complaints including CVC referred complaints	25	20	05
Out of above total Pending CVC referred complaints	10	07	02

RETAIL & MARKETING

"The Bank aggressively ventured into Retail financing and liberalized the policy for products under the Retail segment and rationalized the interest rates to make the products most competitive in the market.

Further, Special Festival Bonanza Scheme was launched for Housing Loan and Auto Loan borrowers. Certain new products were also launched during the year. The growth in fresh Retail lending was above 28% over previous year, whereas the Housing Loan Segment registered 34 % and Auto Loan segment registered a growth of 51% during the year.

The percentage of Retail loans to gross advances were around 7.13% as on 31-03-13.

The Bank participated in the booking schemes launched by various Development Authorities for financing of the earnest money and received an overwhelming response particularly in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh."

MARKETING & INSURANCE

GENERAL INSURANCE

The income earned for the financial year 2012-13 is Rs.2.21 Cr. from Bajaj Allinaz non- life General Insurance.

LIFE INSURANCE

The renewal commission received from Aviva life insurance business activity is Rs.2.87 Cr. from the financial year 2012-13.

UTI MUTUAL FUND BUSINESS

The income earned for the financial year 2012-13 is 0.0005 Cr.(Rs. Five thousand only).

SECURITY ARRANGEMENT

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The Department has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

अंचल सुरक्षा अधिकारियों ने प्रचलित सुरक्षा प्रबंधनों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित अंतराल पर शाखाओं के सिक्योरिटी ऑडिट किए तथा सुरक्षा प्रबंधनों को मजबूत करने के लिए परामर्श दिए। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेन्सियों से गहरा सम्बन्ध बनाया है। बैंक में सुदृढ़ सुरक्षा परिदृश्य हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है। प्रधान कार्यालय से मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी ने भी अतिसंवेदनशील शाखाओं के साथ सभी करेंसी चेस्टों का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को सभी करेंसी चेस्टों में मज़बूत किया गया है। करेंसी चेस्ट सुदृढ़ कक्ष में प्रवेश नियमन प्रक्रिया तथा करेंसी चेस्ट के तहखाने में में प्रवेश/बाहर जाने का पूर्ण रिकॉर्ड रखा गया है।

सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट विवरण अनुरूप कोष–कक्ष सभी शाखाओं में उपलब्ध है।

बैंक की कुल 12 करेंसी चेस्ट हैं। 11 करेंसी चेस्टों में पुलिस गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने बाहरी स्रोतों से, डीजीआर द्वारा प्रायोजित एक निजी सुरक्षा एजेंसी से भिलाई करेंसी चेस्ट हेतु सुरक्षा सेवाएं ली हैं। इस करेंसी चेस्ट में आर्म्ड पुलिस गार्ड की तैनाती के लिए प्रयास जारी हैं। बैंक की समस्त शाखाओं में आर्म्ड गार्ड उपलब्ध हैं तथा सभी रोकड़–विप्रेषण आर्म्ड गार्ड से अनुरक्षित हैं।

करेंसी चेस्ट/शाखाओं में तैनात आर्म्ड गार्डों को वार्षिक आधार पर फायरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रथम चरण में, समस्त करेंसी चेस्टों तथा चिन्हित की गई 81 उच्च जोखिम व अतिसंवेदनशील शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी पद्धति इंस्टॉल करवा दी गई है, आंतक बोध, नकदी राशि तथा वैल्यूएबल हैण्डल्ड एवं निरन्तर निगरानी की आवश्यकता के मद्देनज़र शेष शाखाओं में भी चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी निगरानी पद्धति इंस्टॉल कर दी जाएगी, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग में आरएफपी (RFP) प्रक्रिया में हैं।

राजभाषा कार्यान्वियन

वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 58 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 972 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 937 शाखाओं में हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 4429 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया तथा 3421 कार्मिकों को यूनिकोड का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 941 शाखाओं/कार्यालयों के राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किए गए।

प्रधान कार्यालय द्वारा आंचलिक कार्यालय स्तर पर ''राजभाषा शील्ड'' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्रवार 'क' क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय 'देहरादून', 'ख' क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय 'जालंधर' तथा 'ग' क्षेत्र में आंचलिक कार्यालय 'चैन्नई को राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया। साथ ही प्रधान कार्यालय के 'योजना एवं विकास विभाग' तथा 'स्थानीय प्रधान कार्यालय' को भी 'राजभाषा शील्ड' से पुरस्कृत किया गया।

इस वर्ष 11 सितम्बर, 2012 को चण्डीगढ में वित्त–मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सरकारी–क्षेत्र के बैंको, वित्तीय संस्थाओं व बीमा कम्पनियों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133 वीं बैंठक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी–क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक का सफल आयोजन हमारे बैंक के आतिथ्य में किया गया। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे प्रयास की सराहना भी की।

'बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति', दिल्ली द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान बैंक में बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सम्मानित किया गया। इसी वर्ष दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु हमारे बैंक की पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' को भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त नराकास के तत्वावधान में अन्य बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी बैंक की चिकपेट शाखा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नराकास, करनाल द्वारा हमारे बैंक को तृतीय राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। दिल्ली नराकास के तत्वावधान में बैंक द्वारा 29.06.2012 को 'हिन्दी–क्विज ज्ञान–विज्ञान प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के 17 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। स्थानीय प्रधान कार्यालय, चण्डीगढ द्वारा नराकास चण्डीगढ़ के तत्वावधान में हमारे बैंक द्वारा कवि–सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरुकता दिवस पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट तीन स्लोगनों को पुरस्कृत किया गया। नराकास, जालंधर द्वारा आंचलिक कार्यालय जालंधर को राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंचलिक कार्यालय (अमृतसर) को अमृतसर नराकास की ओर से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। दिनांक 27.09.2012 को आंचलिक कार्यालय, अमृतसर द्वारा नराकास स्तर पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। नराकास, पानीपत द्वारा शाखा जी.टी.रोड पानीपत को सितम्बर, 2012 तिमाही में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 'ख' श्रेणी में ''रिफाइनरी राजभाषा शील्ड'' का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक में कार्यरत कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी आंचलिक कार्यालयों/शाखाओं में ''हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को सम्मानित किया गया।

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Bank's Currency Chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests. Police guards have been provided at 11 currency chests. The Bank has outsourced round the clock guarding of Bhilai Currency Chest to a Private Security Agency sponsored by DGR. Efforts are continuing for deployment of Armed Police Guards at this Currency Chest. All the branches of Bank are provided armed guards and all the cash remittances are escorted by armed guard.

Training, including firing practice, for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Also, all the security officers undergoes refresher training on security once in a year.

CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chest branches and 81 identified High Risk and vulnerable branches in the first phase, keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance. CCTV systems shall be installed at branches in a phased manner, for which vendors have already been finalized for installation at 500 branches within 3-4 months. For the remaining branches the installation will be got done within 2013-14.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During the financial year 2012-13, Bank made significant developments in implementation of Official Language Policy and promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. In this financial year 2012-13 a total of 58 workshops were organized, in which 972 personnel were trained. Besides that 4429 personnel were trained during 937 Hindi Desk Training Programmes and 3421 personnel were imparted training for using Unicode on computers. With the aim of reviewing the progress of Official language, inspections were conducted in 941 Branches/Offices.

Under 'Rajbhasha Shield' Competition, organized by H.O. Rajbhasha Vibhag, Zonal Office, Dehradun for 'A' region, Zonal office, Jalandhar for 'B' region and Zonal office Chennai, for 'C' region were honoured and H.O Planning and Development Deptt., and Local Head Office, Chandigarh were honoured jointly by 'Rajbhasha Shield' for best work performance for the implementation of Official Language.

During this year on 11th September 2012, Our Bank successfully hosted, 133rd meeting of Official Language Implementation committee of Ministry of Finance, Financial Services Division for Government Sector's Banks, Financial Institutions & Insurance Companies and 130th meeting of RBI's Official Language Implementation Committee for Government Sector's Banks at Chandigarh, Finance Ministry's and RBI's officials appreciated Bank's endeavour.

This year 'Delhi Town Official Language Implementation Committee' honoured our Bank for the best work performance in implementing the Official Language in the Bank. This year Delhi Bank TOLIC, awarded First Prize to our Bank's in-house Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur'. Apart from this 5 employees of our bank won prizes in various competitions organized by different banks under the auspices of Delhi Bank TOLIC. Our Chickpet, Bangalore branch won first prize in interbank 'Rajbhasha Shield' competition organized by Bangalore TOLIC and third prize in 'Rajbhasha Shield' competition organized by Karnal TOLIC.

Our Bank organized 'Hindi Gyan-Vigyan Quiz Competition' on 29.06.2012 in which 17 participants from different banks participated under the auspices of Delhi Bank TOLIC.

Our Local Head Office, Chandigarh successfully organized 'Kavi Sammelan' under the auspices of TOLIC, Chandigarh. Apart from this 'Slogan Competition' was conducted by H.O Vigilance Deptt. on 'Vigilance Awareness Day' in which top 3 Hindi slogans won prizes. Zonal office Jalandhar won third prize in 'Rajbhasha Shield' competition organized by Jalandhar TOLIC. Zonal office Amritsar won third prize for implementation of Rajbhasha from TOLIC. A 'Vad-vivad Pratiyogita' was successfully organized by Zonal Office, Chandigarh. G.T Road, Panipat branch won 'Refinery Rajbhasha Shield' in 'B' region for best implementation of Official Language for September Quarter from Panipat TOLIC.

Various Hindi Competitions were organized and the winners were honoured during 'Hindi Day/Fortnight' at Head Office as well as at all Zonal Offices/Branches to motivate the employees of the bank to work in Hindi.

इसके अतिरिक्त, बैंक में 17वें ''अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन'' का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी एक सहायक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

खेल–कूद

बैंक के लिए यह बडे गर्व की बात है कि वर्ष के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने बैंक की हॉकी टीम के कोच श्री गुनदीप कुमार को ''ध्यानचन्द अवार्ड'' से सम्मानित किया।

बैंक की सीनियर हॉकी टीम की उपलब्धियाँ :

टूर्नामेंट का नाम	**स्थान**	**स्थिति**
गुरमीत हॉकी टूर्नामेंट	चण्डीगढ़	सेमी फाइनल
सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट	जालंधर	क्वार्टर फाइनल
नेहरू हॉकी टूर्नामेंट	दिल्ली	क्वार्टर फाइनल
महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप	दिल्ली	रनर–अप
ओबेदुल्लाह गोल्ड कप	भोपाल	रजत पदक
सिंधिया गोल्ड कप	ग्वालियर	रनर–अप
नेहरू हॉकी कप	रायपुर	संयुक्त विजेता
गुरु गोबिंद सिंह हॉकी टूर्नामेंट	लुधियाना	सेमी फाइनल

उपरोक्त अवधि के दौरान हमारे बैंक के श्री सरवनजीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे।

- श्री भूपिंदर सिंह तथा श्री सुरेश कुमार ठाकुर ने वर्ल्ड सीरीज हॉकी चैम्पियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय अम्पायर के रूप में पर्यवेक्षण किया।
- श्री हरबीर सिंह, श्री गुरमेल सिंह तथा श्री सतबीर सिंह को मलेशिया में अजलान शाह कप में सहभागिता करने वाली भारतीय हॉकी टीम के लिए चुना गया।
- श्री प्रभदीप सिंह को भी ओलम्पिक, 2012 लंदन में भारतीय हॉकी कैम्प के लिए चुना गया।
- श्री बलजीत सिंह सैनी को अजलान शाह कप, मलेशिया में सहभागिता करने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया।
- पंजाब स्टेट हॉकी टीम में हमारे बैंक के 6 खिलाड़ियों ने सीनियर नैशनल चैम्पियनशिप, बैंगलुरु में प्रतिनिधित्व किया तथा स्वर्ण पदक जीता।

बैंक की हॉकी अकादमी उपलब्धियाँ (15 से 18 वर्ष का आयु समूह)

बैंक की हॉकी अकादमी के खिलाडियों, जो स्थानीय लायलपुर खालसा कालेज के साथ खेलते हैं, ने निम्न स्थान प्राप्त किए:–

श्री राजिन्दर सिंह (ओलम्पियन) को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय तथा भारतीय विश्वविद्यालय के कोच के रूप में नियुक्त किया गया, जिसने इन्टरवर्सिटी हॉकी चैम्पियनशिप में 18 साल बाद स्वर्ण पदक जीता।

इंटर कालेज हॉकी टूर्नामेंट	अमृतसर	स्वर्ण पदक
नॉर्थ जोन इंटर वर्सिटी चैम्पियनशिप	जीएनडीयू कुरुक्षेत्र	रजत पदक
सेल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट	ग्वालियर	क्वार्टर फाइनल
आल इंडिया इंटर वर्सिटी चैम्पियनशिप	जीएनडीयू अमृतसर	स्वर्ण पदक

इसके अतिरिक्त अकादमी के 2 खिलाडी पंजाब राज्य हॉकी टीम के सदस्य थे, जिसने हैदराबाद में जूनियर नैशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

इसके अतिरिक्त अकादमी के 6 खिलाडियों ने नैशनल चैम्पियनशिप में भारतीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सुखमनजीत सिंह तथा श्री तलविन्दर सिंह को जूनियर हॉकी कैम्प के लिए चुना गया।

इस अवधि के दौरान इन्डो–पाक फेस्टिवल/सीरीज में टीम के कोच श्री संजीव कुमार ने स्वर्ण पदक जीता।

Besides, 17th 'Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan' was organized in bank, On this occasion a helping Manual for implementation of Rajbhasha was also released.

SPORTS

Firstly, the Bank should feel proud that Hon',ble President of India Sh. Pranav Mukherji honoured Sh.Gundeep Kumar Coach of our Hockey Team with Dhyan Chand Award during this period.

BANK'S HOCKEY TEAM

ACHIEVEMENTS OF BANK's SENIOR HOCKEY TEAM

Name of the Tournament	Place	Position
Gurmit Hockey Tournment	Chandigarh	Semi – Final
Surjit Hockey Tournment	Jalandhar	Quarter Final
Nehru Hockey Tournment	Delhi	Quarter Final
Maharaja Ranjit Singh Gold Cup	Delhi	Runners :Up
Obaidulluh Gold Cup	Bhopal	Bronze Cup
Scindia Gold Cup	Gwalior	Runners Up
Nehru Hockey Cup	Raipur	Joint Winners
Guru Gobind Singh Hockey Tournament	Ludhiana	Semi- Final

- Sh. Sarvanjit Singh of our Bank was the member of Indian Hockey Team during the above period.
- Sh.Bhupinder Singh & Suresh Kumar Thakur International Umpires supervised World Series Hockey Championship.
- Sh.Harbir Singh, Sh.Gurmail Singh and Sh.Satbior Singh was selected for Indian Hockey team that participated in Azlaan Shah Cup in Malaysia.
- Sh.Prabhdeep Singh was selected as probable in the Indian Hockey Camp for the London Olympics 2012.
- Sh.Baljeet Singh Saini was appointed as Coach of the Indian Hockey Team, which participated in Azlaan Shah Cup in Malaysia.
- Our 6 players represented Senior National Championship at Bangluru from Punjab State Hockey Team and won the Gold Metal.

ACHIEVEMENTS OF BANK'S HOCKEY ACADEMY (AGE GROUP 15 TO 18 YEARS)

Our Bank's Hockey Academy Players attached with local Lyallpur Khalsa College Jalandhar has performed as under :

Sh. Rajinder Singh (Olympian) was appointed as the Coach of Indian University and Guru Nanak Dev University, which won Gold Medal Intervarsity Hockey Championship after 18 years.

Inter College Hockey Tournament	Amritsar	Gold Medal
North Zone Inter Varsity Championship	GNDU Kurukshetra	Silver Medal
SAIL Nehru Hockey Tournament	Gwalior	Quarter Final
All India Inter Varsity Championship	GNDU Amritsar	Gold Medal

Besides these our 2 Players of the academy were the members of Punjab State Hockey Team that won the Gold Medal in Junior National Championship at Bangluru.

Apart from this, six players of our academy represented Indian University in National Championship.

Sh.Sukhmanjit Singh & Sh.Talwinder Singh were selected for Junior India Hockey Camp.

Sh.Sanjeev Kumar was the team coach for the Indo Pak Festival/Series that won the Gold Medal during this period.

बैंक की सब जूनियर हॉकी अकादमी की उपलब्धियाँ (12 से 15 वर्ष का आयु समूह)

वर्ष 2012–13 के दौरान उपरोक्त अकादमी किसी भी टूर्नामेंट में सहभागिता नहीं कर पाई।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की तीन हॉकी टीमों के अधिकारियों ने विभिन्न शाखाओं के लिए 10 करोड़ रू. की राशि तथा विदेशी मुद्रा जुटाई।

चुनौतियाँ

धीमी गति की अर्थव्यवस्था में भारतीय बैंक डूबते बड़े ऋणों का सामना कर रहे हैं और यदि आधारभूत संरचनाओं के ऋणों का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो इससे भी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। भुगतान न करना, देश के बढ़ते भारी ऋण–विषाद को और बढ़ा देगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली पहले ही लड़खड़ाई हुई है, जिससे आय पर प्रभाव पड़ रहा है। गैर–निष्पादित आस्तियों का बढ़ता स्तर, जो कि मार्च, 2011 के कुल जमा के 2.36% से बढ़कर मार्च, 2012 में 2.94% तथा दिसम्बर, 2012 में 3.53% हो गया है, एक बड़ी चुनौती है।

बैंकिंग जगत में यह 'सेवा–निवृत्ति' दशक है तथा वास्तविकता यह है कि आगामी 3–5 वर्षों में वर्तमान स्टाफ में से (विशेष रूप से उच्च पदों में से) आधे से ज्यादा स्टाफ सेवा–निवृत्त होने जा रहा है तथा इन रिक्तियों को अनुभवी स्टाफ से भरे जाने पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न है।

हाल ही के बजट भाषण में, वित्त–मंत्री जी ने बैंकिंग उद्योग में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की बात कही है। नए बैंक निश्चित ही वर्तमान व्यवस्था में अवसर तलाशने की कोशिश करेंगे, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े अदाकार हैं।

बेसल–III के नियमों के अनुसार बैंकों को उच्च स्तर पर पूंजी प्रबंधन की आवश्यकता होगी तथा जिसके लिए 2017–18 तक कठोर उपाय करने होंगे।

अवसर

बाज़ार नए उत्पादों व सेवाओं से होने वाली वृद्धि में उतार–चढ़ाव देख रहा है, जिससे खुदरा क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड, ग्राहक वित्त एवं वित्त–प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तथा थोक विक्रय–क्षेत्र में शुल्क आधारित आय तथा निवेश बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में अनेक अवसर शामिल हैं, जिससे विक्रय तथा विपणन एवं ऋण व परिचालन प्रक्रिया के क्षेत्र में नए हुनर की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता की पारिवारिक ईकाई आय तथा आयु वर्णन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रदत्त जनसांख्यिकीय तबदीली से बैंक के सेवा स्तर व संस्थागत योग्यताओं में विस्तार होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ–साथ कुछ समय बाद, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में मांग के कारण बैंकिंग सेवाओं विशेषतः खुदरा बैंकिंग, बंधक तथा सेवा–क्षेत्र में निवेश के मज़बूत होने की आशा की जा रही है।

चेतावनियां :

1) मुद्रास्फीति के बढने से ब्याज–दर में वृद्धि होगी।
2) विदेशी प्रतिद्वंदियों की संख्या में वृद्धि तथा नए प्रतियोगियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ–साथ निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नई चुनौतियां आएंगी।

समायोजन :–

वित्तीय–वर्ष 2012–13 के दौरान आई.बी.आर. एवं डीडी में बकाया राशि का 99 प्रतिशत तक मिलान किया गया एवं शेष बकाया प्रविष्टियों को भी कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सामान्य प्रशासन

1. 'बैंक हाऊस' बिल्डिंग के नवीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा छठे, सातवें व आठवें तल पर नवीकरण कार्य पूरा हो चुका है।
2. बैंक ने गुड़गॉव, फोर्ट मुम्बई, पोसंगीपुर में बैंक के खाली पड़े प्लॉटों में बैंक भवन–निर्माण कार्य प्रारंभ किया है।
3. पोसंगीपुर में बैंक द्वारा स्टाफ़ की सुविधा हेतु बैंक हाऊस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है।
4. बैंक ने वरिष्ठ अधिकारियों के निवास के लिए कॉमनवेल्थ खेल–गॉव कॉम्प्लेक्स में 4 प्रीमियम फ्लैट खरीदे हैं।
5. स्टाफ़ प्रशिक्षण कॉलेज कॉम्प्लेक्स, सेक्टर– 3, रोहिणी दिल्ली में निर्माणाधीन है तथा इस कलैण्डर वर्ष में इसके निर्माण–कार्य के पूरा होने की सम्भावना है।

निदेशक मण्डल की संरचना

वर्ष 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

ACHIEVEMENTS OF BANK'S SUB JUNIOR HOCKEY ACADEMY (AGE GROUP 12 TO 15 YEARS)

During the year 2012-2013, our above academy could not participate in any tournament.

Apart from these achievements, the officials attached with entire Bank's three Hockey Teams has contributed about Rs.10 crores deposit along with foreign exchange to various branches during this financial year.

CHALLENGES:

Indian Banks are struggling to cope with large bad debts in a slowing economy and could have more trouble ahead if repayment obligations in big sectors like in the infrastructure are not met in time and will add to the woes of the country's banking system already reeling under mounting bad loans that are eating into the earnings. Containing the high level of Non-Performing Assets which has increased from 2.36 % of total credit in Mar 2011 to 2.94 % in Mar 2012 and 3.53 % in Dec 2012 is a great challenge.

This is a decade of retirement in Banking Industry and in view of the fact that more than half of the existing staff (mainly in the higher positions) is retiring in next 3-5 years and finding suitable replacement of the experienced staff is a big challenge before the industry.

In the recent budget speech, Hon'ble Finance Minister has announced for giving licenses for setting up more private banks in the industry. The new banks would certainly make endeavour to find a niche in the existing structure and to sustain market share of the industry extra efforts will be required by us.

Banks from the very beginning of the fiscal, shall be faced the challenge of meeting capital requirement under Basel-III norms, in which stringent prescriptions have been made till year 2017-18.

OPPURTUNITIES:

The market is witnessing persistent growth driven by new products and services that includes opportunities in credit cards, consumer finance and wealth management on the retail side and in fee based income and investment banking on the whole sale side. These require new skills in sales and marketing, credit and operations.

With the growth in the Indian Economy expected to be strong for quite some time specially in its service sector the demand for banking services especially retail banking, mortgages and investment services are expected to be strong.

THREATS:

i) Rise in inflation figures, would lead to increase in interest rate.

ii) Increase in the number of foreign players and new entrants would pose a threat for the PSBs as well as the private Banks.

RECONCILIATION

Total outstanding in IBR&DD as on 31.03.2012 has been reduced by 99% during the financial year 2012-13. The efforts are being continued to reduce the old outstanding entries also.

GENERAL ADMINISTRATION

1. Renovation of Bank House building has been undertaken and work has been completed on 6th, 7th & 8th floor.
2. Bank has initiated the construction of bank building works on Bank's vacant Plots at Gurgaon, Fort Mumbai, Possangipur.
3. At Possangipur Bank is constructing a Staff Housing Complex for the benefit of staff.
4. Bank has purchased four premium flats at Commonwealth Games Village Complex for the residence of Senior Executives.
5. The Staff Training College complex is under Construction at Sector -3, Rohini and is likely to be completed in this calendar year.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the Year ended 31st March, 2013.

संचालक मण्डल में परिवर्तन

वर्ष 2012–13 के दौरान निदेशक मण्डल के संगठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 20.07.2012 के अधिसूचना सं. एफ. नं. 6/3/2012–बीओ. 1 के अनुसार श्री रजत सचर बैंक के निदेशक मण्डल में वित्त मंत्रालय के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 30.01.2013 के विज्ञापन सं. एफ. नं. 6/16/2011– बीओ. 1 के अनुसार श्री महेश कुमार गुप्ता को बैंक के निदेशक मण्डल में सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक मनोनित किया गया।

पद से मुक्ति

» श्री ए. भट्टाचार्य ने दिनांक 20.07.2012 को बैंक के निदेशक मण्डल में वित्त मंत्रालय के निदेशक के रूप में सेवा अवधि पूरी की।

बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के अतिरिक्त, वर्ष 2012–13 के दौरान निदेशक मण्डल की 11 बैठकें, प्रबंधन समिति की 16 बैठकें तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित की गई।

निगमित प्रशासन :

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मज़बूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य–प्रणाली, बैंक के पारदर्शी स्वामित्व सरंचनाएं जोखिम प्रबंधन कार्य–प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा–परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है। इनके कार्यों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली संतोषजनक बोर्ड प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण कार्य सम्मिलित है।

बैंक निगमित प्रशासन के मामले में सम्बन्धित सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच सांविधिक केन्द्रीय लेखा–परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों की जिम्मेदारियां :

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाबंदी तैयार करने में –

» लागू लेखा–मानकों के साथ–साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है, का पालन किया गया है।

» भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।

» वित्तीय–वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए।

» भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया तथा खातों को उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है।

अभिस्वीकृतियां :

» बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सद्भावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

» निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा–परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

» निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ–सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह०/–
(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

INCLUSIONS

During the year 2012-13, the following new appointment took place in the Composition of Board of Directors.

Sh. Rajat Sachar was nominated as Ministry of Finance Director on the Board of Directors of the Bank,vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification no.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 20.07.2012

Sh. Mahesh Kumar Gupta was nominated as part time non-official director under Chartered Accountant category on the Board of Directors of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification no.F.No. 6/16/2011-BO.1 dated 30.01.2013.

CESSATIONS

- Shri A. Bhattarcharya completed his term as MOF Director on the Board of the Bank on 20.07.2012.

11 meetings of the Board of Directors, 16 meetings of the Management Committee and 8 meetings of the Audit Committee of the Board were held during 2012-2013, besides other Committee Meetings of the Board.

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organisation. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors. Its functioning include the satisfactory Board processes and the oversight function played by the board.

Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which has been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2013:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2013
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

- The Directors thank the valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.
- The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.
- The Directors place on record their deep appreciation of the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(D.P.Singh)
Chairman & Managing Director

बासल II के लिए प्रकटीकरण – 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
तालिका डी एफ–1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण		
क)	इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख)	नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश, वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (I) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है; (II) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है; (III) जिन्हें छूट दी गई है; तथा (IV) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ग)	सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
घ)	बैंक की कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी हैं, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामितत्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थाओं में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 – पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन–पत्र के कूपन जारी किए हैं जिनका भुगतान वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डस को देशी दर–निर्धारण ऐजेन्सियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्डस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैंः–

» बॉण्डस की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 109 माह से 127 माह के बीच होती है।

» यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खंड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

» यह प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों र्के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर– II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर–I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र , बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टीयर–II पूंजी तथा नवोन्मेष प्रपत्र ज़ारी नहीं किए हैं जोकि टीयर–I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।

रू. करोडों में

क) टीयर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	**राशि**
» प्रदत अंश पूंजी;	454.02
» आरक्षितियाँ;	3443.51

BASEL II DISCLOSURES-YEAR ENDING 31st MARCH-2013

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures		
(a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Qualitative Disclosures		
(c)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d)	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

◊ The bonds have a tenor ranging from 109 months to 127 months from date of the issue.

◊ The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.

◊ The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.

(₹/Crores)

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	454.02
- Reserves;	3443.51

» नवोन्मेषी प्रपत्र;	160.00
» अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
» उप योग	4057.53
» घटाएंः टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.28
कुल टीयर I पूंजी	4057.25
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियॉ)	2194.13
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
» कुल बकाया राशि	लागू नहीं
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यू टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
» कुल बकाया राशि	1365.00
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1273.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	6251.38

तालिका डीएफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च–कोटि की वैश्विक कार्य–प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनज़र बैंक की पूॅजीगत आवश्यक्ताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक अंशधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत,कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूॅजी रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूॅजी आवश्यक्ताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है। बैंक का मानना है कि पूॅजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर /संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूॅजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई–सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूॅजी गणना के अलावा बासल ए के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूॅजी गणना की जाती है। बैंक ने पूॅजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूॅजी पर्याप्तता ढांचा – बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :–

» ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
» परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
» बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानक प्रारूप को अपनाया है, फिर भी बैंक आंतरिक रेंटिंग अधारित प्रारूप हेतु प्रयास जारी रखेगा।

- Innovative instruments;	160.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	**4057.53**
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.28
TOTAL TIER I CAPITAL	**4057.25**
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	2194.13
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	0.00
- Total amount outstanding.	N.A.
- Of which amount raised during the current year	N.A.
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	N.A.
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1365.00
- Of which amount raised during the current year.	0.00
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1273.00
(e) Other deductions from capital, if any.	0.00
(g) Total eligible capital.	**6251.38**

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि–रूपए/करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	3918.02
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	**राशि–रूपए/करोड़**
» ब्याज–दर जोख़िम	70.32
» विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	0.77
» इक्विटी जोख़िम	17.39

परिचालन जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि–रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	297.27

बैंक हेतु कुल तथा टीयर I पूंजी अनुपातः

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.91%
बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.38%
बासल I के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.71%
बासल I के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.25%

विवेक पूर्ण स्तर पर पूंजी की आवश्यकता

राशि–करोड़ रूपये

संशोधित ढांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 9 प्रतिशत की दर से।	4356.49
उधार एवं बाज़ार ज़ोखिमों के लिए बासल–I के ढ़ांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता का 80 प्रतिशत (4426.47 करोड़ का 80 प्रतिशत)	3541.18
विवेकपूर्ण स्तर–उपरोक्त स्तर से अधिक	4356.49

तालिका डी.एफ. 4 ऋण–जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेक पूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

(क) जहॉं मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

(ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण; ओ.डी.सी.सी.के संबंध में तुलन –पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता अनियमित हो जाता है।

(ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जहॉं बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

(घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हों।

Capital requirements for credit risk:

	Amt. ₹/Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	3918.02
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. ₹/Crores**
- Interest rate risk	70.32
- Foreign exchange risk (including gold)	0.77
- Equity risk	17.39

Capital requirements for operational risk:

	Amt. ₹/Crores
Basic indicator approach	297.27

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	12.91%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.38%
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	12.71%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	8.25%

Prudential Floor on the Capital Required

	Amt. ₹/Crores
Minimum Capital required as per the Revised Framework @ 9%	4356.49
80% of Minimum Capital required as per Basel I Framework for Credit & Market Risk (80% of 4426.47 crore)	3541.18
Prudential Floor – Higher of the above	4356.49

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a. Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b. The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d. The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

(ङ) दीर्घ–अवधि की फसलों के लिए जहाँ मूल–धन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

(च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है ।

(छ) व्युत्तपन सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियॉं जोकि व्युतपन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहां "अतिदेय राशि" से अभिप्राय किसी भी ऋण–सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि है यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नही होता है। जहॉं कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भा.रि.बैं. द्वारा जारी निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन कर रहा है । (क) पुनर्सरंचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंर्तगत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्त्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (च) अधिग्रहण वित्त (छ) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (ज) बी. आई.एफ.आर/टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंर्तगत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (त्र) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी को बेचना (ट) गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय–विक्रय (ठ) खातों के उन्नयन (ङ) तुलन–पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते आदि।

(ख) ऋण ज़ोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण ज़ोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखि़म क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखि़म दर्शन का लक्ष्य जोखि़म में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों की इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है ।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय–समय पर ऋण–नीति की पुनरीक्षा करता है । बैंक की ऋण–नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का ध्यान रखा जाता है :–

» विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्त्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण ।

» ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोखि़म रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।

» ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी–निर्देश ।

» ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क ।

» निरीक्षण–तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी–निर्देशों का अनुपालन ।

ऋण–जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढॉंचा :

» ऋण ज़ोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक–मण्डल है, जो ज़ोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है ।

» ज़ोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि निदेशक मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित ज़ोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।

» परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण ज़ोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को ऋण जोखि़म प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखि़म की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण–उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढॉंचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुडे ऋण जोखि़म के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखि़मों का आकलन करता है।

e. The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated May 7, 2012.

g. In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

◊ Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
◊ Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
◊ Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
◊ Credit Rating framework.
◊ Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

◊ The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.

◊ The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.

◊ At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.

- » महाप्रबंधक की अध्यक्षता में ज़ोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक–मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण ज़ोखिम का परिमापन नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मंडल/जोखिम प्रबंधन समिति/ ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोख़िम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोख़िम प्रबंधन कक्ष, बाज़ार जोख़िम प्रबंधन कक्ष;(ए.एल.एम) तथा संचालनगत जोख़िम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- » महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कमियों को दूर करने के उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा–परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण ज़ोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधनः

- » ऋण अनुमोदन कर्त्ता प्राधिकारी–शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध ज़ोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है ,जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- » विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्त्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं ।
- » जोख़िम, रेटिंग / मूल्यांकन –बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोख़िम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन–निर्णयों में मददगार होते हैं।
- » ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है ।
- » संविभाग प्रबंधन शुरूआती दौर में बैंक नें एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा ।

जोखिम आंकलन :

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि–रू. करोड़
1	निधि–आधारित ऋण राशि	51843.35
2	गैर–निधि आधारित ऋण राशि	3578.73

ऋण जोख़िम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि–रू. करोड़
1	**विदेशी** » निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	» गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	**देशी** » निधि आधारित ऋण जोखिम	51843.35
	» गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3578.73

◊ The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.

◊ The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

◊ Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.

◊ Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

◊ Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

◊ Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

◊ Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

Risk Measurement

At present, Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	**Amt. ₹/Crores**
1	Fund Based Credit Exposures	51843.35
2	Non Fund Based Credit Exposures	3578.73

Geographic distribution of exposures

	Category	**Amt. ₹/Crores**
1	**Overseas** - Fund Based Credit Exposures	NIL
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	**Domestic** - Fund Based Credit Exposures	51843.35
	- Non Fund Based Credit Exposures	3578.73

ऋण जोखिम का उद्योग वार वितरण

राशि – रू. करोड़

क्र.स.	उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1	खाद्यान एवं उत्खनन	250.67	98.92	349.59
2	खाद्य प्रसंस्करण	1068.17	36.65	1104.83
3	बेवरेज एवं तम्बाकू	388.74	18.12	406.85
4	कपड़ा उद्योग	1369.15	79.81	1448.96
5	चमड़ा – चमड़ा उत्पाद	104.32	10.83	115.15
6	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	84.60	7.15	91.75
7	कागज तथा कागज उत्पाद	69.68	1.32	71.00
8	पैट्रो/कोयला/ नाभकीय ईधन	52.36	0.62	52.98
9	रसायन – रसायन उत्पाद	544.05	27.80	571.85
10	रबड़, प्लाकस्टिक एवं इसके उत्पाद	220.67	17.45	238.12
11	कांच एवं इसके बने उत्पाद	6.41	0.72	7.13
12	सीमेंट – सीमेंट उत्पाद	398.96	17.71	416.67
13	मूल धातु – धातु उत्पाद	2189.97	305.46	2495.43
14	समस्त इंजीनियरिंग	482.86	109.90	592.77
15	वाहन/वाहन कलपूर्जे एवं टीपीटी औजार	317.60	103.16	420.76
16	रतन और आभूषण	63.69	114.88	178.57
17	निर्माण	931.66	285.21	1216.87
18	मूल भूत आवश्यक तत्व	16753.51	1047.13	17800.64
19	अन्य उद्योग	609.10	45.18	654.28
20	अवशिष्ट्	25937.16	1250.69	27187.86
	कुल योग	51843.35	3578.73	55422.08

उल्लेखनीय प्रकटीकरण

उद्योग जहां कुल प्रकटीकरण, कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5 प्रतिशत से अधिक है:

राशि रू. करोड़ में

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण
1	बुनियादी सुविधायें	17800.64
2	अवशिष्ट	27187.86

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. ₹/Crores

S. No.	Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
1	Mining & Quarrying	250.67	98.92	349.59
2	Food Processing	1068.17	36.65	1104.83
3	Beverages & Tobacco	388.74	18.12	406.85
4	Textiles	1369.15	79.81	1448.96
5	Leather & Leather Products	104.32	10.83	115.15
6	Wood & Wood Products	84.60	7.15	91.75
7	Paper & Paper Products	69.68	1.32	71.00
8	Petro/Coal/Nuclear Fuels	52.36	0.62	52.98
9	Chemical & Chemical Prod.	544.05	27.80	571.85
10	Rubber, Plastic & Its Prod.	220.67	17.45	238.12
11	Glass & Glassware	6.41	0.72	7.13
12	Cement & Cement Prod.	398.96	17.71	416.67
13	Basic Metal & Metal Prod.	2189.97	305.46	2495.43
14	All Engineering	482.86	109.90	592.77
15	Vehicles/V.Parts/TPT.Eqpm.	317.60	103.16	420.76
16	Gems & Jewellary	63.69	114.88	178.57
17	Constructions	931.66	285.21	1216.87
18	Infrastructure	16753.51	1047.13	17800.64
19	Other Industries	609.10	45.18	654.28
20	Residuary	25937.16	1250.69	27187.86
	Grand Total	51843.35	3578.73	55422.08

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. ₹/Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	17800.64
2	Residuary	27187.86

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :–

राशि रू. करोड़ में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश–बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमाराशियाँ	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
1 दिन	467.20	0.01	68.88	201.46	189.21	0.00
2–7 दिन	774.13	145.09	1.55	144.23	1141.98	603.45
8–14 दिन	1072.48	136.13	3.72	24.91	824.58	0.00
15–28 दिन	1869.07	294.49	5.91	40.35	1409.79	0.00
26 दिनों से 3 माह	8721.55	1857.11	119.19	203.09	10073.89	89.40
3 माह से अधिक से 6 माह तक	3141.98	209.56	62.94	142.25	7188.61	101.50
6 माह से अधिक से 9 वर्ष तक	3444.52	581.00	85.88	0.00	23489.39	0.00
9 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक	15470.22	3145.60	79.24	0.00	11902.15	44.14
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	6660.41	2068.11	1.42	0.00	4810.51	158.28
5 वर्षों से अधिक	9809.24	14105.38	0.00	0.00	9611.39	1543.28
कुल	51430.79	22542.48	428.73	756.29	70641.50	2540.05

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	**राशि रू. करोड़**
1	अवस्तरीय	902.01
2	संदिग्ध 1	445.93
3	संदिग्ध 2	184.15
4	संदिग्ध 3	3.95
5	हानि	0.86

निवल :– एन.पी.ए

राशि रू. करोड़ में

निवल.एन.पी.ए	1110.38

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	**प्रतिशत**
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	2.96%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	2.16%

एन.पी.ए. (सकल) में उतार–चढ़ाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	763.44
जमा	1093.60
कमी	320.14
इति शेष	1536.90

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. ₹/Crores

Maturity Pattern (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
1 day	467.20	0.01	68.88	201.46	189.21	0.00
2-7 days	774.13	145.09	1.55	144.23	1141.98	603.45
8-14 days	1072.48	136.13	3.72	24.91	824.58	0.00
15-28 days	1869.07	294.49	5.91	40.35	1409.79	0.00
29 days to 3 months	8721.55	1857.11	119.19	203.09	10073.89	89.40
Over 3 months to 6 months	3141.98	209.56	62.94	142.25	7188.61	101.50
Over 6 months to 1 year	3444.52	581.00	85.88	0.00	23489.39	0.00
Over 1 year to 3 years	15470.22	3145.60	79.24	0.00	11902.15	44.14
Over 3 years to 5 years	6660.41	2068.11	1.42	0.00	4810.51	158.28
Over 5 years	9809.24	14105.38	0.00	0.00	9611.39	1543.28
TOTAL	51430.79	22542.48	428.73	756.29	70641.50	2540.05

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. ₹/Crores
1	Substandard	902.01
2	Doubtful 1	445.93
3	Doubtful 2	184.15
4	Doubtful 3	3.95
5	Loss	0.86

Net NPAs

	Amt. ₹/Crores
Net NPAs	1110.38

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	2.96%
2	Net NPAs to Net advances	2.16%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. ₹/Crores
Opening Balance	763.44
Additions	1093.60
Reductions	320.14
Closing Balance	1536.90

एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	206.44
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	293.99
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	87.87
इतिशेष	412.56

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	25.03

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	25.03

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	67.95
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य
बट्टे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	45.22
इतिशेष	22.73

तालिका डी.एफ. 5 – ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम–भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, ईक्रा, फिच इंडिया तथा केयर एवं अनिवासी कारपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एंड पी, फिच तथा मूडीज़ को अनुमोदित किया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल– II के अंतर्गत क्रिसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिसका इस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है।

   संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोडकर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. ₹/Crores
Opening Balance	206.44
Provisions made during the period	293.99
Write-off	
Write-back of excess provisions	87.87
Closing Balance	412.56

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. ₹/Crores
Amount of Non-Performing Investments	25.03

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. ₹/Crores
Provisions held for non-performing investments	25.03

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. ₹/Crores
Opening Balance	67.95
Provisions made during the period	0.00
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	45.22
Closing Balance	22.73

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.

3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कारपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है । नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है ।

7. जहाँ ज़ारी–कर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150% जोख़िम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों मे जहाँ जोख़िम कम करने की तकनीक़ प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार मे प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोख़िम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोख़िम भार लागू होगा।

   बैंक के विरूद्व दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोख़िम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कारपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर–निर्धारित दीर्घ अवधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।

9. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग –अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है । यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें विभिन्न जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है ।

10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलें में दावा निवेश नही है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

    I) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि यह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा ग़ैर–निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल ग़ैर–निर्धारित मामले पर लागू है।

    II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर निर्धारित मामलों के लिए लागू जोख़िम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारित किया गया है तो उसी प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित मामलों के लिए वही जोख़िम भार निर्धारित होगा जोकि निर्धारित ऋण जोख़िम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ –साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋम जोख़िम भार से कम है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोख़िम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

राशि रू. करोड़

जोख़िम भार श्रेणी	निर्धारित ऋण जोख़िम	गैर निर्धारित ऋण जोख़िम	ऋण जोख़िम कम करने के बाद जोखिम भार
100% जोख़िम भार से कम	9309.68	18819.72	28129.40
100% जोख़िम भार	3948.63	17695.55	21644.18
100% जोख़िम भार से अधिक	2962.37	1181.96	4144.32
कटौती	000	0.00	0.00
कुल	**16220.67**	**37697.23**	**53917.90**

5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
    i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
    ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. ₹/Crores

Risk Weight Category	Rated Exposure	Un-Rated Exposure	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	9309.68	18819.72	28129.40
100 % risk weight	3948.63	17695.55	21644.18
More than 100 % risk weight	2962.37	1181.96	4144.32
Deducted	000	0.00	0.00
TOTAL	**16220.67**	**37697.23**	**53917.90**

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करनाः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखि़म कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैः–

» संपार्श्विक संचालन
» ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग
» गारंटियां

2. **पात्रा वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां**

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नही माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्न हैः

1. नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
2. 99.99% की शुद्धता प्रमाणित सोना।
3. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां।
4. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र।
5. जीवन बीमा पॉलिसियां।
6. ऋण प्रतिभूतियां. शर्तों के अनुसार वर्गीकृत
7. बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण प्रतिभूतियां
8. शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड है जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग

ऑन.बैलेंस.शीट.नेटिंग केवल ऋण / अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध हैं जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंघन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी, और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटरों / प्रति गारंटरों के वर्ग में सम्मिलित हैः

i. संप्रभु, संप्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस.ए आई.एम.एफ.ए यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ.साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखि़मयुक्त हैं।
ii. अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार करता हैं। फिर भी बेसिल– II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन करने से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं।

बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- → Collateralised transactions
- → On-balance-sheet-netting
- → Guarantees

2. **Eligible financial collateral**:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
iii. Securities issued by Central and State Governments
iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
v. Life insurance policies
vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत 3046.80 करोड

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरणः मानकीकरण दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण / बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए। पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।

1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय–विक्रय ।

1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :** पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

   बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

   मानक समूह आस्तियो का समनुदेशन. रू629.48 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम परिभाषा के अनुसार, बाजार कीमतों में विपरीत हलचल के कारण, बैंक को संभाव्य हानि हो सकती हैं। बाजार जोखिम स्थितियां पूंजीगत प्रभार आवश्यकताओ के अनुसार निम्न हैः

» ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर संबंधी प्रलेखों पर ब्याज दर जोखिम।

» ट्रेडिंग बुक में शेयरों से संबंधित मूल्य जोखिम।

जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने अनेक सीमाए निर्धारित की हैं जैसे कि स्टाप लॉस लिमिट्स आदि। पूर्वनिर्धारित सीमाओ का उल्लंधन करने के मामले की जानकारी जोखिम प्रबंधन विभाग को दी जाती हैं जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर उचित कार्यवाई की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम हेतु एक मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक संविभाग बनाया है। इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियो में परिवर्तित कर दिया जाता है। सी.आर.ए.आर. निकालने के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम भार आस्ति पर विचार किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	**राशि करोड़ो में**
ब्याज दर जोखिम	36.89
शेयर स्थिति जोखिम	16.61
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ **3046.80 crore**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.5 To maximize the returns by churning assets fast.

1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. **For Deploying Surplus Funds:** Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

Assignment of Standard Pool Assets- ₹ **629.48** crores

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk is defined as the risk of potential losses that the bank may incur due to adverse movements in market prices. The market risk positions subject to capital charge requirement are:

- Interest Rate Risk pertaining to Interest Rate related instruments in trading book.
- Price risk pertaining equities in trading book.

To manage the risk, the Bank has laid down various limits such as stop loss limits etc. Violations of pre-determined limits are reported to Risk Management Department where actions to address them are determined by the appropriate authorities.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading portfolio as per RBI guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted assets. The aggregated Risk weighted Assets for Credit Risk and Market Risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. ₹/Crores**
Interest rate risk;	36.89
Equity position risk;	16.61
Foreign exchange risk;	0.77

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियॉ तैयार की हैं। बैंक का नदेषक–मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकडों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (आर.बी.आई.ए) गठित की गई है। आआर.एम.सी की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्न करता है। रू. 3 करोड से उपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा–परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धेखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय–समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से संबंधित विनियामक रिपोर्टिंग को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है।

परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि, परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना की उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक साथ–साथ कर रहा है।

तलिका डीएफ 10 – बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियॉ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय–क्षेत्र तथा जोखिम सूचना–तंत्र की प्रकृति/नीतियॉ आदि डी.एफ.–8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य–पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुर्नमूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/ मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल.चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नही।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवकेपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ज़ोखिम पर आय

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	रु 81.09 करोड

आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.)– 5.41%

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK
Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management' and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is head by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	₹ **81.09** Crores

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) -5.41%

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट 2012–13

आचार संहिता

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक – दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्य–निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए, शेयर–धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृषता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजो के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडलः

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2013 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप–समितियों में सदस्यता /अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1	श्री डी. पी. सिंह आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		10	शून्य	शून्य	+
2	श्री पी.के आनन्द	कार्यकारी निदेशक	1057	9	शून्य	शून्य	*
3	श्री रजत सच्चर	निदेशक–वित्त मंत्रालय द्वारा नामित		8	शून्य	शून्य	**
4	श्री बी.पी.कानूनगो	निदेशक–भा.रि.बैं. द्वारा नामित		6	शून्य	शून्य	@
5	श्री महेश कुमार गुप्ता	निदेशक–सनदी लेखाकार निदेशक गैर–अधिकारिक निदेशक		3	शून्य	शून्य	***

Report on Corporate Governance (2012-13)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2013 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2013	No. of memberships in Sub Committees of the Bank	No. of Directorships held in other Companies i.e. Other than the Bank.	Memberships/ Chairmanships held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. D.P. Singh, I.A.S.	Chairman & Mg. Director		10	Nil	Nil	+
2.	Sh P.K. Anand	Executive Director	1057	9	Nil	Nil	*
3.	Sh Rajat Sachar	Director – MOF Nominee Director		8	Nil	Nil	**
4.	Sh B.P. Kanungo	Director – RBI Nominee Director		6	Nil	Nil	@
5.	Sh.Mahesh Kumar Gupta	Director- Chartered Accountant-Non-Official Director		3	Nil	Nil	***

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2013 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप–समितियों में सदस्यता /अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
6	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर–आधिकारिक निदेशक	499	4	2	शून्य	$
7	श्री संजीव कुमार अरोडा	गैर–अधिकारी निदेशक		4	शून्य	शून्य	#
8	श्री करनपाल सिंह सेखों	गैर–आधिकारिक निदेशक	1025	7	1	शून्य	++
9	श्री सुरेश ठाकुर	गैर–अधिकारी निदेशक		3	1	शून्य	+++
10	श्री एन. राजेन्द्रन	गैर–आधिकारिक निदेशक	500	3	शून्य	शून्य	++++
11	श्री एस.पी.एस. विर्क	कामगार कर्मचारी निदेशक	शून्य	2	शून्य	शून्य	+++++

+ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 सं. एफ.नं.9/8/2009–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) अर्थात पदग्रहण करने (04.11.2011) और दिनांक 31.01.2014 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 सं. एफ.नं.9/12/2009–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित कार्यकारी निदेशक) अर्थात पदग्रहण करने (07.12.2009) और दिनांक 31.05.2013 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2009 सं. एफ.नं.9/7/2007–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9/2/2007–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

*** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2013 सं. एफ.नं.6/16/2011–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3जी) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–अधिकारिक सांविधिक लेखाकार की श्रेणी के अंतर्गत निदेशक नियुक्त।

$ शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 03.06.2011 से निदेशक नियुक्त।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/59/2010–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक नियुक्त।

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2013	No. of memberships in Sub Committees of the Bank	No. of Directorships held in other Companies i.e. Other than the Bank.	Memberships/ Chairmanships held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
6.	ShSukhen Pal Babuta	Director –Non-Official Director	499	4	2	Nil	$
7.	Sh. Sanjiv Kr. Arora	Non-Official Director		4	Nil	Nil	#
8.	Sh Karanpal Singh Sekhon	Non-Official Director	1025	7	1	Nil	++
9.	Sh. Suresh Thakur	Non-Official Director		3	1	Nil	+++
10.	Sh.N. Rajendran	Non-Official Director	500	3	Nil	Nil	++++
11.	Sh. Surinder Pal Singh Virk	Workmen Employee Director	Nil	2	Nil	Nil	+++++

+ Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.9/8/2009-BO-I dated 31st October 2011as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge (04.11.2011) and upto 31.01.2014 i.e. the last date of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders,whichever is earlier

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.9/12/2009-BO-I dated 7th December 2009 as a whole time Director (designated as Executive Director) w.e.f. the date of taking charge (07.12.2009) and upto 31.05.2013 i.e. the last date of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 20th July 2012 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/2/2007-BO-I dated 30th July 2010 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

*** Appointed as part-time non-official Director under chartered accountant category in terms of GOI MOF letter No F.No 6/16/2011-BO-I dated 30th January 2013 under of sub section (3g) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations,2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.

Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/59/2010-BO-I dated 15th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders whichever is earlier.

++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9/54/2009–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक नियुक्त।

+++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2011 सं. एफ.नं.6/57/2010–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक नियुक्त।

++++ शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 03.06.2011 से निदेशक नियुक्त।

+++++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2011 सं. एफ.नं.9/35/2009–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (इ) के तहत अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष तक एवं या वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कामगार कर्मचारी रहेंगे या इनमें से जो भी पहले हो, कामगार कर्मचारी निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशको की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुएः

(क) नियुक्तियां –

» दिनांक 20.07.2012 को श्री रजत सच्चर को बैंक के निदेशक मंडल में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

» दिनांक 30.01.2013 को श्री महेश कुमार गुप्ता को बैंक के निदेशक मंडल में सांविधिक लेखाकार की श्रेणी के अंतर्गत गैर–अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

» दिनांक 20.07.2012 को श्री ए. भट्टाचार्य ने बैंक के निदेशक मंडल में वित्त मंत्रालय नामित निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड से सेवानिवृत हुए।

2.3 वर्ष 2012-13 के दौरान नियुक्त निदेशको का परिचयः

(क) श्री रजत सच्चर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री रजत सच्चर
2.	पिता का नाम	श्री जुगल किशोर सच्चर
3.	जन्म तिथि एवं आयु	04.06.1961, 51 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी–17, हुडको प्लेस, नई दिल्ली–110049
5.	ईमेल पता	rsachar@nic.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एन.डी.सी.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
8.	अनुभव	सरकारी सेवाओं जैसे योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय, श्रमिक मंत्रालय तथा वाणिज्यिक विभाग में 27 वर्ष का अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदो का विवरण, यदि कोई है	.....

++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/54/2009-BO-I dated 5th July 2010 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders whichever is earlier.

+++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/57/2010-BO-I dated 13th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

++++ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations,2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.

+++++ Appointed as Workmen Employee Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9 /35/2009-BO-I dated 23rd November 2011under Clause (e) of sub section 3 of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of his notification or till he ceases to be a Workmen employee of Punjab &Sind Bank or until further orders, whichever is earlier.

2.2 **Appointment / Cessation of Directors During The Year:**

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2012-2013:

[A] Appointment:

◊ Sh. Rajat Sachar was nominated as Ministry of Finance Director on the Board of the Bank w.e.f. 20.07.2012

◊ Sh.Mahesh Kumar Gupta was Appointed as part-time non-official Director under Chartered Accountant category w.e.f. 30.01.2013

[B] Directors out going / resigned during the year:

◊ Shri A. Bhattacharya, Ministry of Finance Nominee Director retired from the Board of the Bank on 20.07.2012

2.3 **Profiles of directors appointed during 2012-13:**

[A] Shri Rajat Sachar

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI RAJAT SACHAR
2.	FATHER'S NAME	SHRI . JUGAL KISHORE SACHAR
3.	DATE OF BIRTH & AGE	04.06.1961- 51 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B-17, Hudco Place, New Delhi-110049
5.	EMAIL ADDRESS	rsachar@nic.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A. (Economics); NDC
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF Nominee Director
8.	EXPERIENCE	27 Years of experience in Govt. service working in Planning Commission, Ministry of Defence, Ministry of Labour and Department of Commerce
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-

(ख) श्री महेश कुमार गुप्ता

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री महेश कुमार गुप्ता
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.01.1951, 62 वर्ष
4.	वर्तमान पता	मकान संख्या 5, बाबर लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली
5.	ई–मेल पता	Apsbdirector1000@gmai-com
6.	शैक्षिक योग्यता	एफ.सी.ए., बीकॉम(ऑनर्स)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	सनदी लेखाकार निदेशक श्रेणी के अंतर्गत् अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	1976 से सनदी लेखाकार
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	......

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 11 बैठकें हुई जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित शर्त 12 की न्यूनतम 6 बैठकों के विरूद्ध है।

05.05.2012	22.06.2012	17.07.2012	28.07.2012	31.08.2012
29.09.2012	26.10.2012	12.12.2012	14.01.2013	31.01.2013
05.03.2013				

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	11
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	11
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2012 से 20.07.2012	3	3
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	21.07.2012 से 31.03.2013	8	7
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	7
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–अधिकारिक निदेशक	30.01.2013 से 31.03.2013	1	1
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	9
श्री सुखन पाल बबूता – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	11
श्री एन. राजेन्द्रन – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	9

[B] Shri Mahesh Kumar Gupta

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI MAHESH KUMAR GUPTA
2.	FATHER'S NAME	LT. SHRI OM PRAKASH GUPTA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.01.1951- 62 Years
4.	PRESENT ADDRESS	H.No. 5, Babar Lane, Bengali Market, New Delhi.
5.	EMAIL ADDRESS	apsbdirector1000@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	F.C.A., B.COM (Hons.)
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Part-time non-official director under Chartered Accountant category
8.	EXPERIENCE	C.A. in practice since 1976.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2012-13, total 11 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

05.05.2012	22.06.2012	17.07.2012	28.07.2012	31.08.2012
29.09.2012	26.10.2012	12.12.2012	14.01.2013	31.01.2013
05.03.2013				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11
Sh P.K. Anand – ED	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11
Sh A. Bhattacharya – MOF Nominee Director	01.04.2012 to 20.07.2012	3	3
Sh Rajat Sachar – MOF Nominee Director	21.07.2012 to 31.03.2013	8	7
Sh B.P. Kanungo –RBI Nomonee Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	7
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Diredtor	30.01.2013-31.03.2013	1	1
Sh. Karanpal Singh Sekhon- Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	9
Sh. Sukhen Pal Babuta- Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11
Sh. N.Rajendran- Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	9

श्री श्री सुरेश ठाकुर – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	9
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	11
श्री एस.पी.एस. विर्क – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	11	11

2.5 आचार संहिताः

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य बैठक :

3.1. वार्षिक सामान्य बैठकः

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक 23 जून, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें निम्न निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री पी.के. आनंद	कार्यकारी निदेशक
3. श्री करन पाल सिंह सेखों	निदेशक
4. श्री सुखेन पाल बबूता	निदेशक
5. श्री राजेन्द्रन नारायणन	निदेशक
6. श्री सुरेश ठाकुर	निदेशक
7. श्री संजीव अरोड़ा	निदेशक
8. श्री एस.पी.एस. विर्क	निदेशक

3.2. असाधारण सामान्य बैठक :

भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार के लिए इक्विटी शेयरों को अधिमान आबंटन करने पर विचार करने हेतु दिनांक 11. 03.2013 को असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि रू. 10/– मूल्य के 1,98,13,189 इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर रू. 70.66/– (रू. 60.66 के प्रीमियम सहित) पर भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए जाए ताकि पूंजी पर्याप्तता में सुधार हो सके और बैंक की सामान्य व्यापारिक आवश्यकताओं को निधि प्रदान की जा सके।

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार–विमर्श के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर जोर दिया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्न हैं–

Sh Suresh Thakur Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	9
Sh Sanjiv Kumar Arora Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11
Sh. S.P.S. Virk Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11

2.5 **Code of Conduct:**

The Code of Conduct for Board of Directors and Key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors, in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. **General Meeting:**

3.1. **Annual General Meeting :**

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Thursday, 23rd June, 2012 at New Delhi, where the following Directors were present

1. Sh. D.P. Singh	Chairman and Managing Director
2. Sh. P.K. Anand	Executive Director
3. Sh. Karanpal Singh Sekhon	Director
4. Sh. Sukhen Pal Babuta	Director
5. Sh. Rajendran Narayanan	Director
6. Sh. Suresh Thakur	Director
7. Sh. Sanjeev Arora	Director
8. Sh. S.P.S. Virk	Director

3.2. **Extra Ordinary General Meeting :**

The Extra Ordinary General Meeting of the Bank was held on 11.03.2013 to consider for allotment of preferential issue of equity shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] and it was resolved to issue and allot 1,98,13,189 equity shares of Rs.10/- each to The President of India acting through the Government of India [GOI] on preferential basis at a price of Rs.70.66 (including premium of Rs.60.66) to improve capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.

4. **COMMITTEE OF DIRECTORS:**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

क्र.सं.	समिति का नाम 31.03.2012 को
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति
11.	कार्यपालकों के प्रोमोशन पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	मानव संसाधन विकास समिति
14.	वसूली की निगरानी समिति

4.1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड–13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री डी.पी.सिंह–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
4.	श्री महेश कुमार गुप्ता – सनदी लेखाकार निदेशक
5.	श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक
6.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक
7.	श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक

S.No	Name of the Committee as on 31.03.2012
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Shareholder's / Investors Grievance Committee
9.	Nomination Committee
10.	I T Committee
11.	Committee of Directors on Executive's Promotions
12.	Committee of Directors on Appellate / Reviewing Authority
13.	HRD Committee
14.	Committee for Monitoring of Recovery

4.1. **Management Committee of the Board:**

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consists of Chairman and Managing Director , Executive Director and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the committee as on 31st March 2013 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. D.P.Singh- Chairman & Managing Director
2.	Sh P.K. Anand – Executive Director
3.	Sh B.P. Kanungo – RBI Nomiinee Director
4.	Sh Mahesh Kumar Gupta – CA Director
5	Sh Karanpal Singh Sekhon – Non-Official Director
6.	Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non-official Director
7.	Sh. Suresh Thakur– Non-Official Director

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 16 बैठक का आयोजन हुआः

13.04.2012	26.04.2012	05.05.2012	14.06.2012	22.06.2012
17.07.2012	28.07.2012	31.08.2012	29.09.2012	17.11.2012
01.12.2012	12.12.2012	05.01.2013	14.01.2013	05.03.2013
23.03.2013				

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	16	16
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	16	16
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	16	06
श्री महेश कुमार गुप्ता	30.01.2013 से 31.03.2013	02	02
श्री सुखन पाल बबूता	01.04.2012 से 30.06.2012 तथा 15.07.2012 से 14.01.2013	05 09	05 09
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	01.04.2012 से 14.07.2012 तथा 14.12.2012 से 31.03.2013	05 04	05 04
श्री करनपाल सिंह सेखों	14.06.2012 से 13.12.2012 तथा 01.01.2013 से 31.03.2013	09 04	07 03
श्री सुरेश ठाकुर	01.04.2012 से 13.06.2012 तथा 01.07.2012 से 31.12.2012 तथा 15.01.2013 से 31.03.2013	03 07 02	03 05 02

4.2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जो कि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

31.03.2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री सुखन पाल बबूता – सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक

During the Financial Year 2012-13, the Management Committee of the Board met on 16 occasions on the following dates:

13.04.2012	26.04.2012	05.05.2012	14.06.2012	22.06.2012
17.07.2012	28.07.2012	31.08.2012	29.09.2012	17.11.2012
01.12.2012	12.12.2012	05.01.2013	14.01.2013	05.03.2013
23.03.2013				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	16	16
Sh P.K. Anand – ED	01.04.2012 to 31.03.2013	16	16
Sh B.P. Kanungo-RBI Nominee	01.04.2012 to 31.03.2013	16	06
S. Mahesh Kumar Gupta	30.01.2013 to 31.03.2013	02	02
Sh. Sukhen Pal Babuta	01.04.2012 to 30.06.2012 & 15.07.2012 to 14.01.2013	05 09	05 09
Sh. Sanjiv Kunar Arora	01.04.2012 to 14.07.2012 & 14.12.2012 to 31.03.2013	05 04	05 04
Sh. Karanpal Singh Sekhon	14.06.2012 to 13.12.2012 & 01.01.2013 to31.03.2013	09 04	07 03
Sh. Suresh Thakur	01.04.2012 to 13.06.2012 & 01.07.2012 to 31.12.2012 & 15.01.2013 to 31.03.2013	03 07 02	03 05 02

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

(i) Sh Sukhen Pal Babuta - CA Director (Chairperson)
(ii) Sh P.K. Anand – Executive Director
(iii) Sh Rajat Sachar – MOF Nominee Director
(iv) Sh B.P. Kanungo – RBI Nominee Director
(v) Sh Mahesh Kumar Gupta – Non Official Director

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक, उनके समक्ष उल्लिखित तिथी से सदस्य नही रहे :

श्री ए. भट्टाचार्य – 20.07.2012
श्री सुरेश ठाकुर – 29.01.2013

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 08 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई :

27.04.2012	05.05.2012	28.07.2012	10.9.2012	26.10.2012	22.12.2012
05.01.2013	31.01.2013				

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री सुखन पाल बबूता – सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2012 से 31.03.2013	8	8
2.	श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	8	8
3.	श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2012 से 20.07.2012	2	1
4.	श्री रजत सच्चर – निदेशक	21.07.2012 से 31.03.2013	6	5
5.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	8	2
6.	श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक	30.01.2013 से 31.03.2013	0	0
7.	श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 29.01.2013	8	7

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा–निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यो की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिकध्बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा–परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003–04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरूद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था।

The following Directors ceased to be members of ACB during the financial year 2012-13 on the dates shown against their respective names:

(i) Sh. A Bhatacharya – 20.07.2012
(ii) Sh. Suresh Thakur – 29.01.2013

During the Financial Year 2012-13, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 08 occasions on the dates given below:

27.04.2012	05.05.2012	28.07.2012	10.9.2012	26.10.2012	22.12.2012
05.01.2013	31.01.2013				

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1.	Sh Sukhen Pal Babuta CA (Chairperson)	01.04.2012 to 31.03.2013	8	8
2.	Sh P.K. Anand - ED	01.04.2012 to 31.03.2013	8	8
3.	Sh A. Bhattacharya –MOF Director	01.04.2012 to 20.07.2012	2	1
4.	Sh Rajat Sachar – Director	21.07.2012 to 31.03.2013	6	5
5.	Sh B.P. Kanungo - RBI Director	01.04.2012 to 31.03.2013	8	2
6.	Sh Mahesh Kumar Gupta,Non Official Director	30.01.2013 to 31.03.2013	0	0
7.	Sh. Suresh Thakur, Non Official Director	01.04.2012 to 29.01.2013	8	7

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 **Committee for Monitoring of Large Value Frauds:**

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds.

अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलो की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का ही कार्य करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यो में अन्य बातों के साथ–साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सके।

(ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।

(ग) सीबीआई / पुलिस जांच–पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।

(घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।

(ङ) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं

(च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

निदेशक मंडल के पांच सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित को शामिल नही करते हुए, 2 अन्य सदस्यों का समावेश है।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री डी.पी.सिंह–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
3.	श्री सुखन पाल सिंह बबूता – गैर आधिकारिक निदेशक
4.	श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिती का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2012 से 20.07.2012	1	1
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	21.07.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री सुखन पाल बबूता – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	3
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक	30.01.2013 से 31.03.2013	1	1
श्री सुरेश ठाकुर – गैर– आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 04.03.2013	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4

It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

◊ Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

◊ Identify the reasons for delay in detection, if any and reporting to top management of the Bank and RBI

◊ Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position

◊ Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time

◊ Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and

◊ Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The Special Committee is constituted with five members of the Board of Directors consists of: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

Sr. No.	Name of the Director
1.	Shri D.P.Singh- CMD
2.	Shri Rajat Sachar – MOF Director
3.	Shri Sukhen Pal Babuta- Non- Official Director
4.	Shri Mahesh Kumar Gupta- Non- Official Director
5.	Shri Karanpal Singh Sekhon- Non- Official Director

The Committee met 4 times during the Financial Year 2012-13 as per the details below:

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri D.P. Singh-CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri A. Bhattacharya – M.O.F. Director	01.04.2012 to 20.07.2012	1	1
Shri Rajat Sachar – M.O.F. Director	21.07.2013 to 31.03.2013	3	3
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	3
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	30.01.2013 to 31.03.2013	1	1
Shri Suresh Thakur -Non- Official Director	01.04.2012 to 04.03.2013	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon- Non-Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

अभी कुछ समय पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04. 001/2009–10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत् 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रू. 1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रू. 1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार–बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

बोर्ड की विशेष समिति (एस.सी.बी.) के निर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण विशेषकर जहाँ संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, एक समिति का गठन किया गया है। संपत्ति का मूल्यांकन, हक विलेख की वास्तविकता और बहुविध बंधीकरण ऐसे पहचाने गए मुख्य क्षेत्र हैं।

4.4 सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यो की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित
श्री बी.पी.कानूनगो – भारतीय रिज़र्व बैंक नामित

वित्तीय वर्ष 2012–13 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित	01.04.2012 से 19.07.2012	1	1
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित	20.07.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	2

Recently. RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 has advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In term of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been established on 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were being dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up will result in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

In terms of the directions of Special Committee of Board (SCB), a Committee has also been formed in view of increasing trend of frauds particularly in those cases where property is kept as security. The identified vulnerable areas being valuation of property, genuineness of the title deeds and multiple mortgages.

4.4 **Vigilance Committee**

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a vigilance committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members.

Shri D.P. Singh- CMD
Shri P.K. Anand – Executive Director
Shri Rajat Sachar- M.O.F. Director
Shri B.P. Kanungo- RBI Nominee Director

The Committee met on the following dated during the FY – 2012-13

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	**Period**	**Meetings held during their tenure**	**Meetings attended**
Shri D.P. Singh – CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri P.K. Anand – ED	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri A. Bhattcharya – MOF Nominee	01.04.2012 to 19.07.2012	1	1
Shri Rajat Sachar – MOF Nominee	20.07.2012 to 31.03.2013	3	3
Shri B.P. Kanungo – RBI Nominee	01.04.2012 to 31.03.2013	4	2

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना निम्न है:

1. श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
3. श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक
4. श्री एन. राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक
5. श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2012–13 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई :

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	**अवधि**	**उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकें जिनमें सहभागिता की**
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री राजेन्द्रन नारायणन – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढ़ाचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढ़ाचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितो की सुरक्षा की देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2013 को समिति के निम्न सदस्य हैं–

श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री एस.पी.एस.विर्क – कामगार निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and take an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

1. Shri D.P. Singh - Chairman & Managing Director
2. Shri P.K. Anand - Executive Director
3. Shri Sanjiv Kumar Arora, Non Official Director
4. Shri N. Rajendran - Non Official Director
5. Shri Karanpal Singh Sekhon - Non Official Director

The Committee met on the following dated during the FY – 2012-13

22.06.2012	29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh-CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri P.K. Anand-ED	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri Sanjiv Kumar Arora– Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri Rajendran Narayanan– Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2013:

1. Shri D.P. Singh - Chairman & Managing Director
2. Shri P.K. Anand - Executive Director
3. Shri S.P.S. Virk - Workmen Director
4. Shri Suresh Thakur – Non Official Director

समिति के कार्यो में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें साथ–साथ निम्नलिखित का समावेश है :

i. ग्राहक सेवा समिति शीर्षस्थ समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।

iii. ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई :

22.06.2012	29.09.2012	14.01.2013	23.03.2013

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	**अवधि**	**उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकें जिनमें सहभागिता की**
श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री एस.पी.एस. विर्क – कामगार निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	3
श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4

(ख) ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं–

i. बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।

ii. आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20/1/2005–बीओ.I द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप काय–निष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन एवं देय/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2012-13, the Committee met on the following dates:

22.6.2012	29.09.2012	14.01.2013	23.03.2013

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh - CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri P.K. Anand - ED	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri S.P.S. Virk – Workmen Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	3
Shri Suresh Thakur- Non-Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

(i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.

(ii) To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

31.03.2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री सुखन पाल बबूता – गैर–आधिकारिक निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक

4.8 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

दिनांक 09.06.2010 को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) को जारी करते समय, बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतें, यदि कोई है, के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

1. श्री सुखन पाल बबूता – गैर–आधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष)
2. श्री डी.पी.सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक–सदस्य
4. श्री एन राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक – सदस्य

वित्तीय वर्ष 20012–13 को समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

05.05.2012	28.07.2012	26.10.2012	31.01.2013

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री सुखन पाल बबूता–सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री एन राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक – सदस्य	01.04.2012 से 31.03.2013	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है :

01.04.2012 को बकाया	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2013 को बकाया
शून्य	42	42	शून्य

दिनांक 31.03.2013 को कोई भी शिकायत लंबित नही थी। कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.9 मानव संसाधन विकास समिति

दिनांक 05.05.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 19841 द्वारा मानव संसाधन विकास समिति का गठन किया गया है।

The composition of the present Committee as on 31st March, 2013 is as under :

Shri. Rajat Sachar, MOF Nominee Director
Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director
Shri Sukhen Pal Babuta, Non-Official Director
Shri Karanpal Singh Sekhon, Non-Official Director

4.8 Shareholders / Investors Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted 09.06.2010 on launch of IPO by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

(i) Shri Sukhen Pal Babuta -CA Director - Chairman

(ii) Shri D.P. Singh-Chairman & Managing Director

(iii) Shri P.K. Anand - Executive Director - Member

(iv) Shri N. Rajendran , Non Official Director-Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2012-13

05.05.2012	28.07.2012	26.10.2012	31.01.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Sukhen Pal Babuta - Chairman	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri D.P. Singh- CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri P.K. Anand - Executive Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri N. Rajendran- Non- Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2012	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2013
NIL	42	42	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2013. Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 HRD Committee

The HRD Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समिति संरचना निम्न प्रकार है :

श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	**अवधि**	**उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकें जिनमें सहभागिता की**
श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री पी.के.आनंद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित	21.07.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	3	3

4.10 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रोपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हो। उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है।

4.11 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति :

सीबीएस परियोजना को लागू करने में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से, समय से पहले और लाभ के विश्लेषण अनुसार, दिनांक 31.03.2013 को बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के निम्न सदस्य है :

श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित
श्री करन पाल सिंह सेंखो – गैर–आधिकारिक निदेशक
श्री राजेन्द्रन नारायण – गैर–आधिकारिक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

(i) Shri D.P. Singh-Chairman & Managing Director

(ii) Shri P.K. Aaand - Executive Director - Member

(iii) Shri Rajat Sachar , MOF Nominee Director-Member

(iv) Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director- Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2012-13

29.09.2012	12.12.2012	23.03.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh- CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	3	3
Shri P.K. Anand - Executive Director	01.04.2012 to 31.03.2013	3	3
Shri Rajat Sachar-MOF Director	21.07.2012 to 31.03.2013	3	3
Shri Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	3	3

4.10 4.10 Nomination Committee:

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a “Nomination Committee” had been constituted.

4.11 IT Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2013.

Shri Rajat Sachar - M.O.F. Director
Shri Karanpal Singh Sekhon- Non Official Director
Shri Rajendran Narayan – Non Official Director

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2012 से 20.07.2012	1	1
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	21.07.2012 से 31.03.2013	3	3
श्री राजेन्द्रन नारायण – गैर–आधिकारिक निदेशक	21.07.2012 से 31.03.2013	4	4
श्री करन पाल सिंह सेंखो – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013	4	4

4.12 कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर बोर्ड की समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है। दिनांक .06.06.2012 को महाप्रबंधक के पद हेतु साक्षात्कार के लिए समिति की बैठक हुई थी।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

दिनांक 06.06.2012 को महाप्रबंधकों के पदों हेतु साक्षात्कार के लिए समिति की एक बार बैठक हुई।

4.13 समीक्षा/अपील प्राधिकरण हेतु बोर्ड की समिति :

उच्च प्रबंधन स्तर पर अनुशासन से सम्बन्धित मामलों की अपील/समीक्षा करने के सम्बन्ध में अपील/समीक्षा प्राधिकारी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2013 के अनुसार जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–आधिकारिक निदेशक

4.14 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012–बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, का गठन बैंक की वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना निम्न है :

श्री डी.पी. सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के. आनंद – कार्यकारी निदेशक
श्री रजत सच्चर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri A. Bhatrtacharya- MOF Director	01.04.2012 to 20.07.2012	1	1
Shri Rajat Sachar-MOF Director	21.07.2012 to 31.03.2013	3	3
Shri Rajendran Narayan-Non-Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
Shri Karanpal Singh Sekhon - Non- Official Director	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

4.12 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee met on 06.06.2012 for conducting interview for the post of General Managers.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

Shri D.P. Singh- Chairman & Managing Director
Shri Rajat Sachar, -MOF Nominee Director
Shri B.P. Kanungo, -RBI Nominee Director

The Committee met once on 06.06.2012 for conducting interview for the post of General Managers.

4.13 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2013:

Sh. B.P. Kanungo - RBI Nominee Director
Sh. Sanjiv Kumar Arora - Non-Official Director
Sh Karanpal Singh Sekhon - Non-Official Director

4.14 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi,vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

Shri D.P. Singh- Chairman & Managing Director
Shri P.K. Anand – Executive Director
Shri Rajat Sachar, -MOF Nominee Director

4.15 शेयर अंतरण समिति :

पांच कार्यपालकों की समिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गई। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से एक महीने के अंदर सभी शेयरों का अंतरण हो जाए।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर–कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित परिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप, समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतान :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रू.)
1	श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	16,58,942.02
2	श्री पी.के. आनंद	कार्यकारी निदेशक	15,39,993.00

ख) वर्ष 2012–13 हेतु दिए गए कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन : (राशि रूपए में)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्य–निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन राशि
1	श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2,44,932.00
2	श्री पी.के. आनंद	कार्यकारी निदेशक	4,00,000.00

वर्ष 2012–13 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है
(पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नही है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रू.)
1.	श्री सुखन पाल बबूता	300000.00
2.	श्री महेश कुमार गुप्ता	25000.00
3.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	185000.00
4.	श्री के.पी.एस. सेंखो	225000.00
5.	श्री सुरेश ठाकुर	220000.00
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	155000.00
7.	श्री एस.पी.एस. विर्क	125000.00
	कुल योग	1235000.00

4.15 Share Transfer Committee:

A committee of five officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approved the demat/transfer/transmission of shares atleast once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the year 2012-13. The Bank ensures that all the transfer of shares are affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2012-13:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri D.P. Singh	Chairman & Managing Director	16,58,942.02
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	15,39,993.00

B. Performance Linked Incentives paid during 2012-13: (Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Performance Linked Incentives
1	Shri D.P. Singh	Chairman & Managing Directror	2,44,932.00
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	4,00,000.00

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2012-13 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India) :

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh Sukhen Pal Babuta	300000.00
2.	S. Mahesh Kumar Gupta	25000.00
3	Sh Sanjiv Kumar Arora	185000.00
4	Sh K P S Sekhon	225000.00
5	Sh Suresh Thakur	220000.00
6	Sh N. Rajendran	155000.00
7	Sh S.P.S. Virk	125000.00
	TOTAL :	1235000.00

6. **सामान्य सभा की बैठके :**

विगत् तीन वर्षों के दौरान अंशधारियों की आयोजित की गई सामान्य सभा की बैठकों का विवरण निम्न है:

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थल
एजीएम	शनिवार 23.06.2012	प्रातः 9.00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010
ईजीएम.	सोमवार 11.03.2013	प्रातः 9.00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010

7. **प्रकटीकरण :**

(क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।

(ख) सरकारी कारोबार के इतर शुल्क, कमीशन, गारंटियों पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, अग्रिम बिल तथा कर वापसियों पर कमाए ब्याज की गणना वास्तविक वसूली के आधार पर की जाती है।

(ग) संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

(घ) बैंक पर विगत् तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और नही ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।

(ङ) वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्ण रूप से परिचालित है।

(च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2013 तक निदशकों के मध्य किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

8. **अनिवार्य एवं गैर–अनिवार्य आवश्यकताएं :**

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	गैर–अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर करेंगे।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की नीति तैयार करेगी।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजना।	शेयरधारकों की सूचना हेतु अर्ध–वार्षिक/तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था और बैंक की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया था।
4.	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने हेतु कई कदम उठाए हैं।

6. GENERAL BODY MEETINGS

Details of the General Body Meetings of the shareholders held during the last three years is as under :

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Saturday, 23.06.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010
EGM	Monday, 11.03.2013	9.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010

7. DISCLOSURES:

a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

b) Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax Refunds are accounted for on realization basis.

c) Dividend on Shares in Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.

d) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.

f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2013.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Chairman & Managing Director and Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Half yearly/Quarterly financial results were published in leading newspapers and were also placed on the website of the Bank for the information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements.	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.

5.	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन करने और उसका सर्वोत्तम ढ़ग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यवसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ–साथ, कंपनी के व्यवसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के विषय में प्रशिक्षित करें।	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यवसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ–साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई हैं।
6.	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर–कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर–कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, एक नामांकन समिति का गठन किया गया है एवं चयनित / नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रोपर दिशा–निर्देश लागू होते हैं।
7.	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के विषय में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (विसल ब्लोअर) नीति बनाए।	वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (विसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचालित है।

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक परिणाम बैंक की वेबसाईट http://www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना :

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध हैं:–

1. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,
25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001
बीएसई कोडः 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051
एनएसई कोडः पीएसबी–ईक्यू

एक्सचेंजो में सूचीबद्ध, सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकरण :

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board.
6.	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the directors to be elected under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 shall be subject to determination of their fit & proper status.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the NCT of Delhi where the Head Office of the Bank is situated.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank are posted on the Bank's
Website – **http://www. psbindia.com**

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) Bombay Stock Exchange Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Fort, Mumbai 400 001
BSE CODE : 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex
Bandra,(East)
Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 Dematerialisation of Securities :

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

31 मार्च, 2013 को बैंक के पास 254021189 इक्वटी शेयर हैं जिनमें से 254019256 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

धारिता का स्वरूप	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत**
भौतिक	1933	0.0008
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	43305822	17.0481
सी.एस.डी.एल.	210713434	82.9511
कुल	**254021189**	**100.0000**

* इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 20,28,69,189 ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

10.2 ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) :

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयर धारकों को सभी केंद्रों जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस. सेवाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

10.3 इलैक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती हैं और निवेशक–शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है :

मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.
(इकाई : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल,
नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
पी.वी.आर. नारायणा के पास,
नई दिल्ली – 110028
दूरभाषः (011) 41410592 से 0594
फैक्सः (011) 41410591
ई मेलः delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
(शेयर कक्ष) 21, राजेंद्र प्लेस,
नई दिल्ली –110008
दूरभाषः (011) 25782926, 25728930, 25812922
फैक्सः (011) 25781639
ई–मेलः comlianceofficer@psb.org.in

As on March 31, 2013 the Bank has 254021189 Number of Equity Shares of which 254019256 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	1933	0.0008
Dematerialized		
NSDL	43305822	17.0481
CDSL *	210713434	82.9511
Total	**254021189**	**100.0000**

* includes 20,28,69,189 equity shares held by the Government of India.

10.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

10.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt Ltd as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I, Near PVR Naraina,

New Delhi-110 028.

Phone : (011) 41410592 to 0594

Fax : (011) 41410591
E Mail : **delhi@linkintime.co.in**

The Bank has also established Shares Cell at Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi - 110008 wherein the shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below:

Punjab & Sind Bank
HO Accounts Deptt. (Shares Cell), 21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax : (011) 25781639

E-mail : **complianceofficer@psb.org.in**

(उक्त ई–मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 47(एफ) के अधीन नामित किया गया है)

10.4 निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	वर्ष के आरंभ में शेयर धारकों की संख्या	29	2952
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	9*	450
3.	वर्ष के अंत में शेयर धारकों की संख्या	20	2502*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013	
खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफार्शों पर विचार–विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	01.05.2013 बुधवार
भारतीय रिज़र्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	15.05.2013 बुधवार
तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक का समय तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	20.06.2013 बृहस्पतिवार 9 बजे प्रातः काल निर्यात भवन, फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड रेफेरल के सामने, नई दिल्ली – 110057
संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	22.05.2013 से 25.05.2013 (बुधवार) (शनिवार)
बहियों को बंद करने की तारीख	08.06.2013 से 20.06.2013 (शनिवार) (बृहस्पतिवार)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	15.06.2013 को शायंकाल 5 बजे तक (शनिवार)
लाभांश हेतु वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	29.06.2013 से 01.07.2013 (शनिवार) (सोमवार)
लाभांश/ई–क्रेडिट भुगतान की तारीख	03.07.2013 (बुधवार)

नोटिस भेजने की अंतिम दिनांक रू 17.05.2013 (शुक्रवार)

तृतीय ए.जी.एम. के अनुमोदन के पश्चात् सभी व्यक्तियों जिनका नाम दिनांक 07.06.2013 (शुक्रवार) को दर्ज होगा, को लाभांश का भुगतान किया जाएगा (अर्थात् लेखाबंदी आरंभ होने से एक दिन पूर्व)

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges).

10.4 Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c :

S. No.	Particulars	No. of Share-holders	No. of Shares
1.	No. of shareholders at beginning of the year	29	2952
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	9*	450
3.	No. of shareholders at the end of the year	20	2502*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2012 to 31st March, 2013	
Board Meeting for considering of Accounts and recommendation of dividend.	01.05.2013 Wednesday
Submission of audited statement of accounts to RBI.	15.05.2013 Wednesday
Date of Third Annual General Meeting	20.06.2013 Thursday
Time of Third Annual General Meeting	9.00 A.M.
Venue of Third Annual General Meeting	Niryat Bhawan, Federation of Indian Export Organistions, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057
Posting of Abridged Annual Report	22.05.2013 to 25.05.2013 (Wednesday) (Saturday)
Book Closure dates	08.06.2013 to 20.06.2013 (Saturday) (Thursday)
Last Date for receipt of Proxy Forms	15.06.2013 up to 5P.M. (Saturday)
Probable date of dispatch of warrants for Dividend	29.06.2013 to 01.07.2013 (Saturday) (Monday)
Payment date – Dividend / E credit	03.07.2013 (Wednesday)

Cut-off date for sending notice : 17.05.2013 (Friday)
After approval in the Second AGM, the dividend shall be paid to all persons whose name appears on 07.06.2013 (Friday) (i.e., previous day of start of book closure)

13. 31 मार्च, 2013 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	202869189	79.86
2.	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई	2	476915	0.19
3.	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	25	13301473	5.24
4.	बीमा कंपनियां	0	0	0
5.	विदेशी संस्थागत निवेशक	26	9909237	3.90
6.	कॉर्पोरेट निकाय	952	4326861	1.70
7.	वैयक्तिक निवासी	169934	21869163	8.61
8.	अनिवासी भारतीय	1415	919490	0.36
9.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	0	0	0
10.	न्यास	16	295572	0.12
11.	समाशोधन सदस्य	98	56289	0.02
	कुल	**172469**	**254021189**	**100.00**

13.1. भारत के राष्ट्रपति जोकि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को ईक्विटी शेयरों का अधिमान आधार पर आबंटन

दिनांक 11.03.2013 को शेयर धारकों की ई.जी.एम. में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को रू. 10/– के अंकित मूल्य के 1,98,13,189 ईक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर रू. 60.66 पर आबंटन किया गया जो कि कुल रूपए 139,99,99,934.74 राशि के थे।

14. 31 मार्च, 2013 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	राशि (अंकित मूल्य)	राशि का प्रतिशत
1 – 2500	159612	92.54	9820662	98206620	3.87
2501 – 5000	7162	4.15	2691278	26912780	1.06
5001 – 10000	3239	1.88	2461930	24619300	0.97
10001 – 20000	1364	0.79	1930406	19304060	0.76
20001 – 30000	378	0.22	966722	9667220	0.38
30001 – 40000	167	0.10	589325	5893250	0.23
40001 – 50000	124	0.07	583269	5832690	0.23
50001 – 100000	216	0.13	1545152	15451520	0.61
100001 से अधिक	207	0.12	233432445	2334324450	91.89
कुल योग	**172469**	**100.00**	**254021189**	**2540211890**	**100.00**

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2013 :

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	202869189	79.86
2.	Mutual Funds/UTI	2	476915	0.19
3.	Financial Institutions / Banks	25	13301473	5.24
4.	Insurance Companies	0	0	0
5.	Foreign Institutional Investors	26	9909237	3.90
6.	Bodies Corporate	952	4326861	1.70
7.	Resident Individuals	169934	21869163	8.61
8.	Non Resident Indians	1415	919490	0.36
9.	Overseas Corporate Bodies	0	0	0
10.	Trusts	16	295572	0.12
11.	Clearing Members	98	56289	0.02
	Total	**172469**	**254021189**	**100.00**

13.1. Allotment of Equity Shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] on Preferential basis.

As approved by Special Resolution in the EGM of shareholders of the Bank, held on 11.03.2013, 1,98,13,189 equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium of Rs. 60.66 per share aggregating to Rs. 139,99,99,934.74 were issued to GOI on preferential allotment basis on 11.03.2013.

14. Distribution of Shareholders – Category-wise as on 31st March 2013

Category	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	Amount(Face Value)	% of Amount
1 – 2500	159612	92.54	9820662	98206620	3.87
2501 – 5000	7162	4.15	2691278	26912780	1.06
5001 – 10000	3239	1.88	2461930	24619300	0.97
10001 – 20000	1364	0.79	1930406	19304060	0.76
20001 – 30000	378	0.22	966722	9667220	0.38
30001 – 40000	167	0.10	589325	5893250	0.23
40001 – 50000	124	0.07	583269	5832690	0.23
50001 – 100000	216	0.13	1545152	15451520	0.61
100001 & Above	207	0.12	233432445	2334324450	91.89
TOTAL	**172469**	**100.00**	**254021189**	**2540211890**	**100.00**

15. 31 मार्च, 2013 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	% (शेयरों की संख्या)
1.	अंडमान एवं निकोबार	5	383	0.0002
2.	आंध्र प्रदेश	6941	1320601	0.5199
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	550	0.0002
4.	असम	728	118203	0.0465
5.	बिहार	1593	217795	0.0857
6.	चंडीगढ़	1189	229685	0.0904
7.	छत्तीसगढ़	828	123455	0.0486
8.	दादरा एवं नगर हवेली	22	1696	0.0007
9.	दमन एवं द्वीप	8	566	0.0002
10.	दिल्ली	16157	207655991	81.7475
11.	गोवा	199	29851	0.0118
12.	गुजरात	33928	3300862	1.2994
13.	हरियाणा	5660	791485	0.3116
14.	हिमाचल प्रदेश	316	44214	0.0174
15.	जम्मू एण्ड कश्मीर	239	36768	0.0145
16.	झारखंड	1529	173846	0.0684
17.	कर्नाटक	7772	1368155	0.5386
18.	केरल	1809	349451	0.1376
19.	मध्यप्रदेश	4420	597368	0.2352
20.	महाराष्ट्र	36199	19273828	7.5875
21.	मणिपुर	12	1199	0.0005
22.	मेघालय	31	2944	0.0012
23.	नागालैंड	14	3240	0.0013
24.	उड़ीसा	1011	124120	0.0489
25.	पांडीचरी	112	17858	0.0070
26.	पंजाब	5260	1063585	0.4187
27.	राजस्थान	14818	1278200	0.5032
28.	सिक्किम	7	550	0.0002
29.	तमिलनाडू	8530	1512196	0.5953
30.	त्रिपुरा	20	3105	0.0012
31.	उत्तर प्रदेश	8432	1296893	0.5105

15. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2013

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	5	383	0.0002
2.	ANDHRA PRADESH	6941	1320601	0.5199
3.	ARUNACHAL PRADESH	2	550	0.0002
4.	ASSAM	728	118203	0.0465
5.	BIHAR	1593	217795	0.0857
6.	CHANDIGARH	1189	229685	0.0904
7.	CHATTISGARH	828	123455	0.0486
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	22	1696	0.0007
9.	DAMAN & DIU	8	566	0.0002
10.	DELHI	16157	207655991	81.7475
11.	GOA	199	29851	0.0118
12.	GUJARAT	33928	3300862	1.2994
13.	HARAYANA	5660	791485	0.3116
14.	HIMACHAL PRADESH	316	44214	0.0174
15.	JUMMU & KASHMIR	239	36768	0.0145
16.	JHARKHAND	1529	173846	0.0684
17.	KARNATAKA	7772	1368155	0.5386
18.	KERALA	1809	349451	0.1376
19.	MADHYA PRADESH	4420	597368	0.2352
20.	MAHARASHTRA	36199	19273828	7.5875
21.	MANIPUR	12	1199	0.0005
22.	MEGHALAYA	31	2944	0.0012
23.	NAGALAND	14	3240	0.0013
24.	ORISSA	1011	124120	0.0489
25.	PONDICHERRY	112	17858	0.0070
26.	PUNJAB	5260	1063585	0.4187
27.	RAJASTHAN	14818	1278200	0.5032
28.	SIKKIM	7	550	0.0002
29.	TAMIL NADU	8530	1512196	0.5953
30.	TRIPURA	20	3105	0.0012
31.	UTTAR PRADESH	8432	1296893	0.5105

32.	उत्तराखण्ड	1000	163354	0.0643
33.	पश्चिम बंगाल	12225	2089535	0.8226
34.	ए.पी.ओ./अन्य	12	930	0.0004
	योग	171028	243192462	95.7371
	एन.आर.आई	1441	10828727	4.2629
	कुल योग	172469	254021189	100.0000

16. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत (दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)		
	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम(रू.)	सौदों की मात्रा(संख्या)	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	सौदों की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2012	79.80	71.05	2156818	80.00	71.30	716354
मई, 2012	73.85	61.00	3065142	74.40	61.00	1759753
जून, 2012	74.00	62.00	3029552	73.50	62.20	1078793
जुलाई, 2012	72.95	59.75	1836408	72.90	60.00	483628
अगस्त, 2012	69.30	59.05	1117915	64.85	59.00	302029
सितम्बर, 2012	71.25	59.30	3909531	71.20	59.00	1494320
अक्टूबर, 2012	71.50	64.20	3201282	72.00	64.10	1040828
नवम्बर, 2012	70.00	63.30	3243992	69.40	63.50	980806
दिसम्बर, 2012	77.00	64.35	5999456	77.00	67.20	1780332
जनवरी, 2013	82.50	68.75	9719878	82.30	70.05	2810852
फरवरी, 2013	74.95	61.40	1532378	71.45	61.65	366974
मार्च, 2013	67.45	57.05	1631511	67.55	57.00	467819
कुल			40443863			13380811

32.	UTTARAKHAND	1000	163354	0.0643
33.	WEST BENGAL	12225	2089535	0.8226
34	APO/ OTHERS	12	930	0.0004
	Total	**171028**	**243192462**	**95.7371**
	NRI	**1441**	**10828727**	**4.2629**
	Grand Total	**172469**	**254021189**	**100.0000**

16. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2011 to 31.03.2012)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2012	79.80	71.05	2156818	80.00	71.30	716354
MAY 2012	73.85	61.00	3065142	74.40	61.00	1759753
JUNE 2012	74.00	62.00	3029552	73.50	62.20	1078793
JULY 2012	72.95	59.75	1836408	72.90	60.00	483628
AUG 2012	69.30	59.05	1117915	64.85	59.00	302029
SEPT 2012	71.25	59.30	3909531	71.20	59.00	1494320
OCT 2012	71.50	64.20	3201282	72.00	64.10	1040828
NOV 2012	70.00	63.30	3243992	69.40	63.50	980806
DEC 2012	77.00	64.35	5999456	77.00	67.20	1780332
JAN 2013	82.50	68.75	9719878	82.30	70.05	2810852
FEB 2013	74.95	61.40	1532378	71.45	61.65	366974
MARCH 2013	67.45	57.05	1631511	67.55	57.00	467819
TOTAL			**40443863**			**13380811**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

कृते जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001415एन

(सीए जी.एस. गोयल)
पार्टनर
एम.नं. 014428

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001818 एन

(सीए एस.बी. गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 089415

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 500028एन

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम.नं. 081808

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000932सी

(सीए आर.पी.तिवारी)
पार्टनर
एम.नं.071448

कृते बी.के. श्राफ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302166ई

(सीए एल.के श्राफ)
पार्टनर
एम.नं.060742

कृते आर. कोठारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 307069ई

(सीए संजीब अग्रवाल)
पार्टनर
एम.नं. 056400

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 मई, 2013

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To : The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2013, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For G.S. Goel & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001415N

(CA.G.S.Goel)
Partner
M. No. : 014428

For S.B.G. & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001818N

(CA.S.B. Gupta)
Partner
M. No. : 089415

For O.P. Tulsyan & Co.
Chartered Accountants
FRN : 500028N

(CA.Rakesh Agarwal)
Partner
M. No. : 081808

For R.M. Lall & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000932C

(CA.R.P. Tewari)
Partner
M. No. : 071448

For B.K. Shroff & Co.
Chartered Accountants
FRN : 302166E

(CA.L.K. Shroff)
Partner
M. No. : 060742

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants
FRN : 307069E

(CA.Sanjeeb Agarwal)
Partner
M. No. : 056400

Place : New Delhi
Date : 01.05.2013

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

घोषणा–पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49(1) (डी) के अनुसार कार्यकारी निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49(1) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.05.2013

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(I)(D) 2012-13

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2013 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For **Punjab & Sind Bank**

(D.P. Singh)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 01.05.2013

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,
विषयः वर्ष 2012-13 के लिए सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण - समेकित।

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2012–13 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नही है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।

(ii) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नही किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए है या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया हैः

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है।

(ii) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(डी.पी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.05.2013

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2012-13

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2013 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee:

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For **Punjab & Sind Bank**

(D.P. Singh)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 01.05.2013

31 मार्च, 2013 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2013

(000 छोडकर) /(000'S OMITTED)

पूंजी तथा देयताएं CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची/ SCHEDULE	रू/Rs. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित) /[Audited]	रू/Rs. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित) /[Audited]
पूंजी/Capital	1	4540212	4342080
आरक्षित निधि एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	2	41500803	38147399
जमाराशियां/Deposits	3	706415025	631239786
उधार/Borrowings	4	25400507	33823282
अन्य देयताएं तथा प्रावधान/Other liabilities & Provisions	5	26922486	21500104
जोड़/ TOTAL		**804779033**	**729052651**
आस्तियां/ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष/Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	32489201	36401526
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन/Balances with banks & money at call and short notice	7	8302906	6752657
निवेश/Investments	8	225424808	200641305
अग्रिम/Advances	9	514307860	461514075
स्थिर आस्तियां/Fixed Assets	10	8441281	8083838
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	15812977	15659250
जोड़/ TOTAL		**804779033**	**729052651**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	80116615	105279834
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		11588513	7943301
उल्लेखनीय लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं। Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2013

(000 छोडकर) /(000'S OMITTED)

		अनुसूची/ SCHEDULE	रू/Rs. 31.03.2013 को समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.13	रू/Rs. 31.03.2012 को समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.12
I	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest earned	13	73401243	64745004
	अन्य आय/Other income	14	4171541	4174641
	जोड़/ TOTAL		**77572784**	**68919645**
II	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	56991021	49734403
	परिचालन व्यय/Operating expenses	16	11193272	11585274
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions and contingencies		5996289	3087116
	जोड़/ TOTAL		**74180582**	**64406793**
III	**लाभ/हानि/PROFIT/LOSS**			
	वर्ष के शुद्ध लाभ / हानि(–) /Net Profit/ Loss (-) for the period		3392202	4512852
	अग्रानीत लाभ / हानि(–) /Profit/ Loss(-) brought forward		14225065	11728782
	आहरण: सामान्य आरक्षितियां/Withdrawal from: General Reserve			
	जोड़/ TOTAL		**17617267**	**16241634**
	मूल तथा तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ई.पी.एस.) Basic & Diluted Earning per share (EPS)		13.49	19.24
IV	**विनियोंजन/APPROPRIATIONS**			
	विनियोग को अंतरण / सांविधिक आरक्षित निधियां/Transfer to: Statutory Reserve		850000	1130000
	पूंजी आरक्षित निधि (निवेश)/Capital Reserve [Investment]		93488	48175
	सामान्य आरक्षितियां/General Reserve		0	0
	विशेष आरक्षित निधियां धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत/Special Reserve u/s 36(1)(viii)		234188	75411
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि/Corporate Social Responsibility Fund		20000	0
	प्रस्तावित लाभांश: /Proposed Dividend:			
	पीएनसीपीएस/PNCPS		170000	190000
	ईक्वटी/Equity		680777	468416
	लाभांश वितरण कर/Dividend Distribution Tax		138017	104567
	शेष को आगे तुलन–पत्र में ले जाया गया /Balance carried over to Balance Sheet		15430797	14225065
	जोड़/ TOTAL		**17617267**	**16241634**
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं। Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

डी.पी.सिंह D.P.Singh अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Mg.Director	**पी.के.आनन्द** P.K.Anand कार्यकारी निदेशक Executive Director	**रजत सच्चर** Rajat Sachar निदेशक Director	**सुरेश ठाकुर** Suresh Thakur निदेशक Director	**एस.के.अरोड़ा** S.K.Arora निदेशक Director
एस.पी.बबुता S.P.Babuta निदेशक Director	**एन.राजेन्द्रन** N.Rajendran निदेशक Director	**महेश गुप्ता** Mahesh Gupta निदेशक Director	**एस.पी.एस.विर्क** S.P.S.Virk निदेशक Director	**जी.एस.बिन्द्रा** G.S.Bindra मुख्य महाप्रबंधक Chief Gen. Manager
जी.एस.सचदेवा G.S.Sachdeva महाप्रबंधक General Manager	**हर्षबीर सिंह** Harsh Bir Singh महाप्रबंधक General Manager	**दीपक मैनी** Deepak Maini महाप्रबंधक General Manager	**एस.पी.एस.कोहली** S.P.S.Kohli महाप्रबंधक Gen. Manager	**जी.एस.ढल** G.S.Dhall महाप्रबंधक Gen. Manager
भूपिन्दर सिंह Bhupinder Singh सहायक महाप्रबंधक Assistant G. Manager	**वी.के.मेहरोत्रा** V.K.Mehrotra मुख्य प्रबंधक Chief Manager			

कृते जी.एस.गोयल एण्ड कं. For G.S.Goel & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 001415एन FRN 001415N	**कृते एस.बी.जी.एण्ड कं.** For S.B.G. & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 00181एन FRN 001818N	**कृते आर.एम.लाल एण्ड कं.** For R.M.Lal & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 000932सी FRN 000932C
(गुलाब सिंह गोयल) (Gulab Singh Goyal) एम.नं. 014428 M No. 014428	**(एस.बी.गुप्ता)** (S.B.Gupta) एम.नं. 089415 M No. 089415	**(आर.पी.तिवारी)** (R. P. Tiwari) एम.नं. 071448 M No. 071448
कृते ओ.पी.तुल्सियान एण्ड कं. For O.P.Tulsyan & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 500028एन FRN 500028N	**कृते बी.के. श्रौफ एण्ड कं.** For B.K.Shroff & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 302166ई FRN 302166E	**कृते आर. कोठारी एण्ड कं.** For R.Kothari & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआरएन 307069ई FRN 307069E
(राकेश अग्रवाल) (Rakesh Aggarwal) एम. नं. 081808 M No. 081808	**(एल.के.श्रौफ)** (L.K.Shroff) एम.नं. 060742 M No. 060742	**(संजीब अग्रवाल)** (Sanjeeb Agarwal) एम.नं. 056400 M No. 056400

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.05.2013

Place : New Delhi
Dated : 01.05.2013

(000 छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 1 – पूंजी /SCHEDULE 1-CAPITAL	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
I)	प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital ईक्वटी शेयर पूंजी /Equity Share Capital प्रत्येक रु 10/–के 75,00,00,000 शेयर/ 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II)	अधिमान शेयर पूंजी/ Preference Share Capital बेमियादी गैर संचयी (पी.एन.सी.पी.एस.) /(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) प्रत्येक रु 10/–के 225,00,00,000 शेयर/ 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		3,00,00,000	30000000
	निर्गम अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed and Paid-up Capital:**		
i)	ईक्वटी शेयर पूंजी /Equity Share Capital प्रत्येक रु 10/–के 25,40,21,189 शेयर पिछले वर्ष 23,42,08,000 शेयर जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु 10/–के 20,28,69,189 शेयर (पिछले वर्ष 18,30,56,000) सम्मिलित हैं] /25,40,21,189 (Previous Year 23,42,08,000) shares of Rs.10/- each [including 20,28,69,189 (Previous Year 18,30,56,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	2540212	2342080
ii)	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर संचयी (पी.एन.सी.पी.एस.) केंद्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10/-के 20,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 20,00,00,000) Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 20,00,00,000 (Previous Year 20,00,00,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government	2000000	2000000
	जोड़/ TOTAL	**4540212**	**4342080**

			(000 छोडकर) /(000'S OMITTED)
		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष /SCHEDULE 2 RESERVES & SURPLUS	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि /Statutory Reserves**		
	अथशेष /Opening Balance	7409406	6279406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Addition during the year	850000	1130000
	उप–योग /Sub Total I	8259406	7409406

II.	**पूंजी आरक्षित निधि – स्थायी आस्तियां /Capital Reserves:**		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि /a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	अथशेष /Opening Balance	7295071	7539695
जमा:	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	0	0
घटा:	वर्ष के दौरान कटौतियां /Less:Deduction during the year	-229372	-244624
	उप–योग II.क /Sub Total II.a	7065699	7295071
	ख. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) /b.Capital Reserve [Investments]		
	अथशेष /Opening Balance	2510719	2462544
	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	93488	48175
	उप–योग II.ख /Sub-Total II.b	2604207	2510719
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium:**		
	अथशेष /Opening Balance	5055257	4216390
जमा:	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	1201868	841530
घटा:	सार्वजनिक निर्गम व्यय /Less: Share Issue Expenses	-2500	-2663
	उप–योग III /Sub-Total III	6254625	5055257
IV.	**राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां/Revenue & Other Reserves**		
	क) सामान्य आरक्षित / a). General Reserves		
	अथ शेष /Opening Balance	1089107	1089107
जमा:	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	0	0
घटा:	वर्ष के दौरान कटौतियां /Less: Deduction during the year	0	0
	उप–योग IV क /Sub-Total IV.a	1089107	1089107
	ख) राजस्व आरक्षित निधि : / b). Revenue Reserve:		
	अथशेष /Opening Balance	105700	105700
जमा:	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	0	0
	उप–योग IV ख /Sub-Total IV.b	105700	105700
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) / c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	अथशेष /Opening Balance	457074	381663
जमा:	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Add: Addition during the year	234188	75411
	उप–योग IV ग /Sub-Total IV.c	691262	457074
V.	**लाभ–हानि खाते में शेष /Balance in Profit & Loss Account**	**15430797**	**14225065**
	कुल योग /Total [I to V]	**41500803**	**38147399**

			(000 छोडकर) /(000'S OMITTED)
		रूपए/Rs.	**रूपए/Rs.**
	अनुसूची 3–जमा राशियां /SCHEDULE 3-DEPOSITS	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
क) A	I. मांग जमा /Demand Deposits i. बैंकों से /From Banks ii. अन्य से /From others	 461883 35143450	 80842 34800674
	II. बचत बैंक जमा राशियां /Savings Bank Deposits	121782532	116144869

	III. **सावधि जमा** /Term Deposits i. बैंकों से /From Banks ii. अन्य से /From others	55643648 493383512	47662054 432551347
	जोड़ /TOTAL [I+II+III]	**706415025**	**631239786**
ख) B	भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of branches in India	706415025	631239786
	अनुसूची 4–उधार /SCHEDULE 4-BORROWINGS		
	I. भारत में उधार /Borrowings in India i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India ii) अन्य बैंक /Other Banks iii) अन्य संस्थान और अभिकरण /Other institutions & agencies iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखित (आईपीडीआई) /Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) /Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS] vi) गौण ऋण /Subordinated Debt	4000000 0 2956237 1600000 2000000 13650000	0 12982940 1707967 1600000 2000000 13650000
	II. भारत से बाहर उधार /Borrowings outside India	1194270	1882375
	जोड़ /TOTAL [I & II]	25400507	33823282
	उपरोक्त जोड़ I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार /Secured borrowings Included in I & II above	NIL	NIL
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान /SCHEDULE 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
	I. देय बिल /Bills Payable	2382557	1991144
	II. अंतः कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-office adjustments [net]	2995275	795073
	III. प्रोदभूत ब्याज /Interest accrued	6354274	5531873
	IV. स्थगित कर देयता /Deferred Tax Liability	1106899	1136036
	V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) /Others (including provisions)	14083481	12045978
	जोड़ /TOTAL	**26922486**	**21500104**

	अनुसूची 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष /SCHEDULE 6 **CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) /Cash in hand [including foreign currency notes]	1751839	1560214
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष /Balances with Reserve Bank of India i) चालू खातों में /in Current Account ii) अन्य खातों में /in Other Account	30737362 0	34841312 0
	जोड़ (I तथा II) /TOTAL [I & II]	**32489201**	**36401526**

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 7 **बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन** **SCHEDULE 7** **BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
	I. भारत में /In India		
	i) बैकों में शेष /Balance with banks		
	क) चालू खातों में / a) in Current Accounts	843466	1131180
	ख) अन्य जमा खातों में /b) in other Deposit Accounts	2250000	1500000
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at call & Short notice		
	क) बैंकों से /a) with banks	1500000	3000000
	ख) अन्य संस्थाओं से /b) with other institutions	1000000	0
	उप योग– (I) SUB-TOTAL [I]	5593466	5631180
	II. भारत के बाहर /Outside India		
	i) चालू खातों में /In Current Accounts	1375458	1121477
	ii) अन्य जमा खातों में /In Other Deposit Accounts	1333982	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at call & Short notice	0	0
	उप–योग (II) /SUB-TOTAL [II]	2709440	1121477
	जोड़ (I तथा II) /TOTAL [I & II]	**8302906**	**6752657**

	अनुसूची 8 – निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**		
	I. भारत में निवेश /Investments in India in		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां** /Government Securities **	187060332	170703101
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां /Other approved securities	113932	284170
	iii) शेयर्स /Shares	1724943	1581819
	iv) डिबैंचर तथा बांड्स /Debentures & Bonds	11941940	12077958
	v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान / Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	vi) अन्य /Others:		
	क) वाणिज्यिक पत्र / प्रतिभूत रसीदें / सीडी / आर.आई.डी.एफ./a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts/ RIDF	24370055	15791238
	ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड /b) Units of UTI, other MF	207069	196482
	उप–योग (I) /SUB-TOTAL [I]	225424808	200641305
	II. भारत से बाहर निवेश /Investments outside India	**शून्य /NIL**	**शून्य /NIL**
	कुल योग (I+II) /TOTAL [I + II]	**225424808**	**200641305**
	कुल मूल्य /Gross Value	**225902431**	**201574524**
	मूल्य ह्रास का प्रावधान (–) /Provision for Depreciation [-]	477623	933219
	निवल निवेश /Net Investments	225424808	200641305

	** इनमें रू. 276.42 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य रू. 276.99 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रू. 1481.60 करोड़ थी (अंकित मूल्य रू. 1504.40 करोड़) / ** Includes encumbered securities of Rs.276.42 crore [Face Value Rs.276.99 crore] previous year Rs.1481.60 crore [Face Value Rs.1504.40 crore]

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	रूपए/Rs.
	अनुसूची 9 अग्रिम / SCHEDULE 9 ADVANCES	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
क) A	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल /Bills purchased & discounted	4803417	8732226
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार / Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	160488534	135546444
	iii) मीयादी ऋण /Term Loans	349015909	317235405
	जोड़ /Total	**514307860**	**461514075**
ख) B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित) / Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	398260595	333842594
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित /Covered by Bank/ Government Guarantees	55689694	41292398
	iii) गैर जमानती /Unsecured	60357571	86379083
	जोड़ /Total	**514307860**	**461514075**
ग) C	**भारत में अग्रिम /ADVANCES IN INDIA**		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र /Priority Sector	139900130	129260940
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	127844627	106727691
	iii) बैंक /Banks	471810	7303662
	iv) अन्य /Others	246091293	218221782
	जोड़ /Total	**514307860**	**461514075**
	अनुसूची 10 स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 FIXED ASSETS		
	I. परिसर /Premises		
	परिसर का मूल्य (अथ शेष) /Cost [Opening Balance]	286161	286033
	पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन /Appreciation in cost on account of revaluation	7666013	7666013
	उप-योग /Sub-Total	**7952174**	**7952046**

	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year		
	वास्तविक लागत पर /Original Cost	431697	128
	पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation Cost	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां /Deductions during the year on		
	वास्तविक लागत पर /Original Cost	0	0
	पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation Cost	0	0
	घटाएं– अद्यितत दिनांक को मूल्यह्रास /Less Depreciation to date on		
	वास्तविक लागत पर /Original cost	-159906	-137213
	पुनर्मूल्यन लागत पर /Revaluation cost	-600313	-370941
	जोड़–I /Total-I	**7623652**	**7444020**
	II. अन्य स्थायी आस्तियां /Other Fixed Assets		
	(इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) /(including Furniture & Fixtures)		
	मूल्य (अथ शेष) /Cost [Opening Balance]	2119415	1785413
	वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	420967	362455
	वर्ष के दौरान कटौतियां /Deductions during the year	-52611	-28453
	अद्यतन मूल्यह्रास /Depreciation to date	-1670142	-1479597
	जोड़ II /Total II	**817629**	**639818**
	कुल जोड़ (I+II) /TOTAL I & II	**8441281**	**8083838**

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	**रूपए/Rs.**
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
	I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-office adjustments [net]	0	0
	II. प्रोदभूत ब्याज /Interest accrued	4026688	3467965
	III. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर / Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3157252	3488520
	IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प /Stationery & Stamps	30484	26656
	V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां/ Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
	VI. अन्य /Others	8598553	8676109
	जोड़ /TOTAL	**15812977**	**15659250**
	अनुसूची– 12 – आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES		
	I. बैंक विरुद्व ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है /Claims against the bank not acknowledged as debts	33669	132838
	II. अंशत : प्रदत्त निवेशों के लिए देयता /Liability for partly paid investments	0	0
	III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता / Liability on account of outstanding forward exchange contracts	50456175	75739978

	IV. संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतियां / Guarantees given on behalf of Constituents		
	क) भारत में / a) In India	22681745	18096526
	ख) भारत के बाहर / b) Outside India	0	0
	V. स्वीकृतियां, पृष्ठाकन तथा अन्य बाध्यताएं /Acceptances, Endorsements and other obligations	4334366	11310454
	VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है /Other items for which the bank is contingently liable	2610660	38
	जोड़ /TOTAL	**80116615**	**105279834**

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	**रूपए/Rs.**
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
	I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल Interest/discount on advances/ bills	57095047	49524345
	II. निवेशों पर आय Income on investments	15792268	14696506
	III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज /Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	299803	306083
	IV. अन्य /Others	214125	218070
	जोड़ /TOTAL	**73401243**	**64745004**

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	**रूपए/Rs.**
	अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
	I. कमीशन, विनिमय और दलाली /Commission, exchange and brokerage	798087	746565
	II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of Investments [net]	629814	547837
	III. भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) / Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	1239	206
	IV. विनिमय लेन–देन पर लाभ (निवल) /Profit on exchange transactions [net]	333013	420602
	V. विविध आय /Miscellaneous Income	2180016	2214807
	VI. पुनर्मूल्यन आरक्षित खातें से अंतरण /Transfer from Revaluation Reserve Account	229372	244624
	जोड़ /TOTAL	**4171541**	**4174641**

(000 को छोडकर) /(000'S OMITTED)

		रूपए/Rs.	**रूपए/Rs.**
	अनुसूची 15 – अपचित ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**	**31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.13**	**31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.12**
	I. जमाराशियों पर ब्याज /Interest on deposits	54247378	46752736
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज /Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	943531	1227346
	III. अन्य /Others	1800112	1754321
	जोड़ /TOTAL	**56991021**	**49734403**
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय / **SCHEDULE 16-OPERATING EXPENSES**	**31.03.2013 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.13 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**	**31.03.2012 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.12 (लेखा परीक्षित)/[Audited]**
	I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान /Payments to and provisions for employees	7735134	8324253
	II. किराया, कर और रोशनी /Rent, taxes and lighting	678421	538999
	III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री /Printing and stationery	72359	83238

	IV. विज्ञापन और प्रचार /Advertisement & publicity	80928	68755
	V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास /Depreciation on Bank's property	496905	438309
	VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय /Directors' fees, allowances and expenses	2952	1553
	VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) /Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	70850	66528
	VIII. विधि प्रभार /Law Charges	81121	85373
	IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि /Postages, Telegrams, Telephones etc.	81845	83700
	X. मरम्मत और अनुरक्षण /Repairs & maintenance	127055	113037
	XI. बीमा /Insurance	620739	561436
	XII. अन्य व्यय /Other expenditure	1144963	1220093
	जोड़ /TOTAL	**11193272**	**11585274**

अनुसूची – 17
प्रमुख लेखा नीतियाँ
1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, समय.समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रूपये में परिवर्तन तुलन.पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैड़ाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ–हानि की गणना लाभ.हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है । ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा.निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन–देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख पत्र का मूल्यांकन फैड़ाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय आनुमानिक दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों,दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे ''परिपक्वता तक रखना'' ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' तथा ''व्यापार हेतु रखना'' जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया हैः

i. सरकारी प्रतिभूतियां
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii. शेयर (अंश)
iv. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बाण्ड
v. सहायक ईकाइयां / संयुक्त उपक्रम तथा
vi. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को ''परिपक्वता तक रखना'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, को ''व्यापार के लिए रखने'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णयता किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

3.4 प्रतिभूतियां जिन्हे ''परिपक्वता तक रखना है'' का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में '' निवेशों पर आय '' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग.अलग लिया गया है।

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **GENERAL**

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

2. **Foreign Exchange Transactions**

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. **Investments**

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

i. Government Securities
ii. Other approved securities
iii. Shares
iv. Debentures
v. Subsidiaries / Joint Ventures and
vi. Others

3.3 Basis Of Classification:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually

3.5 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप–वार किया गया है तथा ह्रास। वृद्धि को श्रेणी–वार पृथक किया गया है । शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.6 ''व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों'' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' एवं ''व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति'' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को 'बाजार दर' निर्धारण हेतु स्टाक एक्सचेजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन आँफ इंडिया (पी.डी.ए.आई.) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन आँफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्डस	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप (वाई.टी.एम.) पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई/ फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर्स	नवीनतम तुलन –पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य के आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है । ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड़.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनःपूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान	शुद्ध लागत पर ।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।

ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली / कमीशन / स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।

ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है।

प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ/ हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है । फिर भी, ''परिपक्वता तक रखना'' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा. निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities:	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.9 In determining acquisition cost of investments:

a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;

b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;

c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 **Non Performing Investments**

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर–निष्पादक आस्तियों में किया गया है।

आस्तियों की श्रेणी	बैंक के प्रावधान मानदंड – वर्तमान (जून, 2012 को समाप्त तिमाही तक)	बैंक के 01.07.2012 से प्रभावी प्रावधान मानदंड – (संशोधित)
अवमानक	आरक्षित ऋणाों का 20% गैर आरक्षिम ऋणों का 20% गैर आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में जहॉ निलंब खाते का	आरक्षित ऋणाों का 15% गैर आरक्षित ऋणों' का 25% आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों गैर जमानती ऋणों' का 20%
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 30% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 25% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 50% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 40% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%	बुक बकाया का 100%

* गैर जमानती ऋणों को ऐसे ऋण परिभाषित किया गया है जहां बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकक/भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूाति का मूल्य ऋण से 10 प्रतिशत से अधिक नही है।

संशोधित प्रावधानान नियमों का नई चूकों पर भावी प्रभाव होगा और 30.09.2012 को समाप्त तिमाही के बाद से वर्तमान एनपीए की स्थिति खराब होगी। तथापि, 30.06.2012 को वर्तमान एनपीए खातों में पहले से किए गए प्रावधानों को कम प्रत्यावर्तित नही किया जाएगा।

4.2 अग्रिमों को गैर.मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार ''अन्य दायित्वों तथा प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमो की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्च बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

5. अस्थायी प्रावधान :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां :

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है :

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशार्निदेशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।

4. **Advances**

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.

Category of Assets	Bank's Provision norms (up to quarter ending June 2012)	Bank's Provision norms w.e.f. 01.07.2012) (Revised)
Sub-Standard	20% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available
Doubtful-I	30% on Secured 100% on Unsecured	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	50% on Secured 100% on Unsecured	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

The revised provisioning norms will have prospective effect on the fresh slippage and further deterioration in the existing NPAs from the quarter ending 30.09.2012 onwards. However, the provisions already made in any existing NPA account as on 30.06.2012 will not be reduced/ reversed.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

5. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 **Fixed Assets**

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 **Depreciation on Fixed Assets**

7.1 Depreciation is provided for on -

7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

7.1.3 जहां कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहां परिसरों का मूल्य समिश्र मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई / निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुर्नमूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व मान्यताः

8.1 जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चो को उपचय आधार पर लिया गया है ।

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

8.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लाकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा , अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रौसोसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.8 टीयर-II पूंजी में उन्नयन के कारण बॉंड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृति लाभ :

9.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

9.2 वर्तमान कर्मचारियों जिन्होने पहले पेशन की स्वीकृति नही दी थी हेतु पेंशन विकल्प के पुनः खोलने पर अतिरिक्त देएता तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010–11 की शर्तों के अनुसार, ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का भुगतान में संशोधन ग्रेच्युटी की सीमा रू. 10 लाखए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पांच वर्ष की अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2010–11 से आरंभ होगी परिशोधित कर दी है। अग्रेषित गैर परिशोधित व्यय में निकाले गए/सेवानिवृत कार्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नही है।

9.3 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आय पर कर

10.1 चालू आय कर को लागू कर.दरों तथा विधिक निर्णयों /परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

10.2 एएस 22 – आस्थगित–कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर–परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर–आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8 **Revenue Recognition**

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 **Staff Retirement Benefits**

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The additional liability on account of re-opening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as amendment in the 'Payment of Gratuity Act, 1972' enhancing the gratuity limit to Rs.10 lacs as per Actuarial Valuation is amortized over a period of five years commencing from the FY 2010-11 in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011. The unamortized expenditure carried forward does not include any amount relating to separated/ retired employees.

9.3 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10 **Taxes on Income**

10.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

10.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची–18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों का शेष मिलान और उनका समायोजन

1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर+डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट–क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 28.02.2013 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।

1.3 बैंकों, नोस्ट्रों, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंट वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, एम.ई.एफ.टी./आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार प्रावधान कर दिए गए हैं।

प्रबंधन की राय में, लाभ–हानि खाते व तुलन–पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा।

1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30.9.2012 की अवधि तक तथा 31.3.2013 को बकाया अन्तर्शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षो में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए है।

यद्यपि अन्तर्शाखा खाता में सकल जमा शेष रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996, की स्थिति के अनुरुप रु. 3.48 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.40 करोड़) को अवरूद्व नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 3.99 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.39 करोड) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।

2. दिनांक 31.03.2013 को रु. 15.18 करोड की वास्तविक लागत की 7 बैंकों की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 5 संपत्तियां 3.88 करोड की थी)

3. पूंजी

वर्तमान वर्ष के दौरान सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार भा.रि.बैंक/एमओएफ से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने रू. 10/– प्रति शेयर के हिसाब से 1,98,13,189 इक्विटी शेयरों का आबंटन भारत सरकार को रू. 70.66 प्रति शेयर के अनुसार अधिमान शेयर के आधार पर आबंटित किए। तदानुसार बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी रू.19.81 करोड से बढी और अब यह रू.254.02 करोड हो गई और शेयर प्रीमियम रू.119.94 करोड से बढकर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रू.120.19 करोड घटा शेयर जारी व्यय रू.0.25 करोड़) रू.625.46 करोड हो गया है।

(रू करोड़ों में)

	मदें	2012–13	2011–12
(i)	सी आर ए आर (%) (बासल–I)	12.71%	12.81%
(ii)	सी आर ए आर- टियर-I पूंजी (%) (बासल–1)	8.25%	8.26%
(iii)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी(%) (बासल–1)	4.46%	4.55%
(iv)	सी आर ए आर (%) (बासल–II)	12.91%	13.26%
(v)	सी आर ए आर-टियर-I पूंजी (%) (बासल-II)	8.38%	8.55%
(vi)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी (%) (बासल II)	4.53%	4.71%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	79.86%	78.16%
(viii)	आईपीडीआई के निर्गम से प्राप्त राशि	–	160.00
(ix)	अपर टीयर II प्रपत्रों के निर्गम से प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
(x)	टियर–II की पूंजी के अंतर्गत वार्णित ऋण गौण राशि	1365.00	1365.00
(xi)	इनमें से टियर-II के लिए पात्र राशि	1273.00	1311.00

Schedule - 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 **Balancing of Books and Reconciliation.**

1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.

1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in Inter Branch Account (IBR+DD) Adjustments(including old outstanding entries) has been done up to 28.02.2013.and reconciliation is in progress.

1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, NEFT/RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet is not quantifiable.

1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2012 and remaining outstanding as on 31.03.2013 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision has been made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs.3.48 crore (previous year Rs 3.40 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs. 3.99 crore (previous year Rs.3.39 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

2 Legal formalities are yet to be completed in respect of seven Bank's properties having original cost of Rs.15.18 crore as on 31.03.2013 (Previous year 5 properties costing Rs.3.88 crore).

3. **Capital**

During the year, Bank has issued 1,98,13,189 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.70.66 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.19.81 crore to Rs.254.02 crore and Share Premium has increased by Rs.119.94 crore (Share Premium Received Rs.120.19 crore minus Share Issue Expenses Rs..0.25 crore) to Rs.625.46 crore.

(Rupees. in crore)

	Items	2012-13	2011-12
(i)	CRAR (%) (Basel-I)	12.71%	12.81%
(ii)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-I)	8.25%	8.26%
(iii)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-I)	4.46%	4.55%
(iv)	CRAR (%) (Basel-II)	12.91%	13.26%
(v)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-II)	8.38%	8.55%
(vi)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-II)	4.53%	4.71%
(vii)	Percentage of the shareholding of the Government of India	79.86%	78.16%
(viii)	Amount raised by issue of IPDI	-	160.00
(ix)	Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments	Nil	Nil
(x)	Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	1365.00	1365.00
(xi)	Out of which eligible for Tier II	1273.00	1311.00

4. **निवेश** (रु करोड़ों में)

				मदें	2012-13	2011-12
4.1	**निवेशों का मूल्य**					
	(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
			(क)	भारत में	22590.24	20157.45
			(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
		(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)			
			(क)	भारत में	47.76	93.32
			(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
		(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य			
			(क)	भारत में	22542.48	20064.13
			(ख)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(2)	**निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)**				
		(i)	अथ शेष		93.32	57.62
		(ii)	जमा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		17.15	35.70
		(iii)	घटा वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन		62.71	शून्य
		(iv)	**शेष**		47.76	93.32

4.2 **पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन**

4.2.1 **पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (सरकारी प्रतिभूतियां)**

(रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	शेष 31.03.2013
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	400.00	1200.00	65.48	400
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	शून्य	150	0.55	शून्य

4.2.2 **पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)** (रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	शेष 31.03.2013
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 **एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि**

	2012-13	2011-12
(i) निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

4. **Investments** (Rupees. in crore)

			Items	2012-13	2011-12
4.1	**Value of Investments**				
(1)	(i)	Gross Value of Investments			
		(a)	In India	22590.24	20157.45
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)			
		(a)	In India	47.76	93.32
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments			
		(a)	In India	22542.48	20064.13
		(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	**Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)**				
	(i)	Opening balance		93.32	57.62
	(ii)	Add: Provisions made during the year		17.15	35.70
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		62.71	Nil
	(iv)	**Closing balance**		47.76	93.32

4.2 **Repo / Reverse Repo Transactions**

4.2.1 **Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)**

(Rupees. in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2013
Securities sold under Repos	400.00	1200.00	65.48	400
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	150	0.55	Nil

4.2.2 **Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)**

(Rupees. in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2013
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 **Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :**

	2012-13	2011-12
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 **गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची रू 31.03.2013 को जारीकर्ता संगठन की स्थितिः**

(रू करोड़ों में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	342.61	292.95	शून्य	4.00	11.30
ii.	वित्तीय संस्थान	1516.27	1514.89	शून्य	शून्य	शून्य
iii.	बैंक	1287.91	152.03	शून्य	शून्य	शून्य
iv	निजी कंपनी	698.85	648.73	शून्य	1.03	1.03
v.	सहायक / संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	शून्य	शून्य
vi.	अन्य	26.04	3.82	शून्य	शून्य	शून्य
vii.	मूल्यह्रास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	47.27	47.27	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3825.06	2613.07	**शून्य**	5.03	12.33

4.5 **अनुपयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव**

(रू करोड़ों में)

विवरण	2012–13	2011–12
अथ शेष	25.03	25.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
इति शेष	25.03	25.03
कुल प्रावधान	25.03	25.03

4.6 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युपत्ति लेनदेन (वायदा दर समझौता / ब्याज दर अदला–बदली / विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियां) नहीं किया है। तदानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश (रू करोड़ों में)

विवरण	2012–13	2011–12
मानक आस्तियां जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.4 **Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2013**

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	342.61	292.95	NIL	4.00	11.30
ii.	FIs	1516.27	1514-89	NIL	NIL	NIL
iii.	Banks	1287.91	152.03	NIL	NIL	NIL
iv.	Private Corporate	698.85	648.73	NIL	1.03	1.03
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	NIL	NIL	NIL
vi.	Others	26.04	3.82	NIL	NIL	NIL
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	47.27	47.27	NIL	NIL	NIL
	Total	**3825.06**	**2613.07**	**NIL**	**5.03**	**12.33**

4.5 **Movement of Non Performing Non SLR Investments**

(Rupees in crore)

Particulars	**2012-13**	**2011-12**
Opening balance	25.03	25.03
Additions during the year	Nil	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing balance	25.03	25.03
Total Provisions held	25.03	25.03

4.6 **Derivatives**

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2012-13. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 **Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	**2012-13**	**2011-12**
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' शीर्ष से ''परिपक्वता तक रखने'' के शीर्ष में रू. 27.40 करोड तथा रू. 598.39 करोड के मूल्यह्रास करने के बाद रु. 1002.64 करोड़ (अंकित मूल्य) को ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' शीर्ष से ''परिपक्वता तक रखने'' के शीर्ष में अंतरित किया है।

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम प्रवर्ग को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम प्रवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य से 5% से अधिक नही है।

4.10 बैंक द्वारा आयातित स्वर्ण सिक्कों को प्रेषण के आधार पर बेचा जा रहा है और प्राप्त आय को विविध आय शीर्ष में रखा जा रहा है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुपयोज्य आस्तियां **(रू करोड़ों में)**

		मदें	2012–13	2011–12
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)		2.16	1.19
(ii)	प्रावधानन समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)		50.37	64.15
(iii)	**सकल एन पी ए में घट-बढ़**			
	(क)	अथ शेष	763.44	424.28
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1093.60	550.74
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	320.14	211.58
	(घ)	इति शेष	1536.90	763.44
(iv)	**निवल एन पी ए में घट-बढ़**			
	(क)	अथ शेष	547.56	237.94
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	883.50	430.09
	(ग)	वर्ष के दौरान कमी	320.68	120.47
	(घ)	इति शेष	1110.38	547.56
(v)	**एन पी ए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)**			
	(क)	अथ शेष	206.44	182.74
	(ख)	जमा वर्ष के दौरान प्रावधान	293.99	134.94
	(ग)	घटा अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पूर्णांकन	87.87	111.24
	(घ)	**इति शेष**	**412.56**	**206.44**

5.2 डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे, जो वैध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs.1002.64 crore (face value) from "Available for Sale" to "Held till Maturity" after providing depreciation of Rs. 27.40 and Rs. 598.39 from "Held till Maturity" to "Available for Sale".

4.9 The value of sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

4.10 Imported gold coins are being sold by the Bank on consignment basis and the income whereof is being booked under miscellaneous income.

5. **Asset Quality**

5.1 **Non-Performing Assets**

(Rupees in crore)

		Items	2012-13	2011-12
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)		2.16	1.19
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)		50.37	64.15
(iii)	**Movement of Gross NPAs**			
	(a)	Opening Balance	763.44	424.28
	(b)	Additions during the year	1093.60	550.74
	(c)	Reductions during the year	320.14	211.58
	(d)	**Closing balance**	**1536.90**	**763.44**
(iv)	**Movement of Net NPAs**			
	(a)	Opening Balance	547.56	237.94
	(b)	Additions during the year	883.50	430.09
	(c)	Reductions during the year	320.68	120.47
	(d)	**Closing balance**	**1110.38**	**547.56**
(v)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)			
	(a)	Opening Balance	206.44	182.74
	(b)	Add: provisions made during the year	293.99	134.94
	(c)	Less: write off, write back of excess provisions	87.87	111.24
	(d)	**Closing balance**	**412.56**	**206.44**

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

31.03.2013 को पुनः संरचित खातों का विवरण

(रु करोड़ों में)

क्र सं.	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था					एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनःसंरचना व्यवस्था					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		एसटीडी	सब एसटीडी	संदिग्ध	हानि	कुल	एसटीडी	सब एसटीडी	संदिग्ध	हानि	कुल	एसटीडी	सब एसटीडी	संदिग्ध	हानि	कुल	एसटीडी	सब एसटीडी	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खाते (प्रारम्भिक आकडे)*	ऋणियों की सं.	5				5	55				55	117				117	177				177
		बकाया राशि	137.52				137.52	90.39				90.39	1542.78				1542.78	1770.69				1770.69
		प्रावधान	10.30				10.30	3.30				3.30	31.38				31.38	44.98				44.98
2	वर्ष के दौरान नए पुनःसंरचित खाते	ऋणियों की सं.	5				5	27				27	55				55	87				87
		बकाया राशि	52.49				52.49	60.37				60.37	4602.64				4602.64	4715.5				4715.5
		प्रावधान	7.76				7.76	1.99				1.99	175.56				175.56	185.31				185.31
3	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित एसटीडी का उन्नयन	ऋणियों की सं.																				
		बकाया राशि																				
		प्रावधान																				
4	अग्रिम पुनःसंरचित एसटीडी जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त–वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त–वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित एसटीडी को दिखाने की आवश्यकता नही है	ऋणियों की सं.	1				1	43				43	91				91	135				135
		बकाया राशि	6.93				6.93	22.97				22.97	44.57				44.57	74.47				74.47
		प्रावधान	0.00				0.00	0.09				0.09	0.17				0.17	0.26				0.26
5	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं.(-)	2				2	26				26	14				14	42.00				42.00
		बकाया राशि(-)	68.43				68.43	74				74	36.59				36.59	179.02				179.02
		प्रावधान(-)	3.19				3.19	2.34				2.34	0.03				0.03	5.56				5.56
6	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की अपलिखित	ऋणियों की सं.																				
		बकाया राशि																				
7	31 मार्च को समाप्त वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खाते (अंतिम आंकडे,·)	ऋणियों की सं.	7				7	31				31	58				58	96.00				96.00
		बकाया राशि	120.83				120.83	216.53				216.53	5618.91				5618.91	5956.27				5956.27
		प्रावधान	10.18				10.18	6.80				6.80	206.81				206.81	223.79				223.79

*/स्थाई पुनः संरचित अग्रिम आंकड़ों के अतिरिक्त जो उच्च प्रावधानों या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)

नोटः वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए पुनः संरचित खातों का प्रकटन फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त फॉर्मेट में पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ें न तो समीक्षित/पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किए जा सके और न ही लिए जा सके।

5.3 Details of Accounts Restructured

Details of Restructured Accounts as on 31.03.2013

(Rupees in crore)

Sl.No.	Types of Restructuring		under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower	5				5	55				55	117				117	177				177
		Amt.o/s	137.52				137.52	90.39				90.39	1542.78				1542.78	1770.69				1770.69
		Prov. Thereon	10.30				10.30	3.30				3.30	31.38				31.38	44.98				44.98
2	Fresh Restructuring during the year	No. of Borrower	5				5	27				27	55				55	87				87
		Amt.o/s	52.49				52.49	60.37				60.37	4602.64				4602.64	4715.5				4715.5
		Prov. Thereon	7.76				7.76	1.99				1.99	175.56				175.56	185.31				185.31
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No. of Borrower																				
		Amt.o/s																				
		Prov. Thereon																				
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower	1				1	43				43	91				91	135				135
		Amt.o/s	6.93				6.93	22.97				22.97	44.57				44.57	74.47				74.47
		Prov. Thereon	0.00				0.00	0.09				0.09	0.17				0.17	0.26				0.26
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrower (-)	2				2	26				26	14				14	42.00				42.00
		Amt.o/s (-)	68.43				68.43	74				74	36.59				36.59	179.02				179.02
		Prov. Thereon (-)	3.19				3.19	2.34				2.34	0.03				0.03	5.56				5.56
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower																				
		Amt.o/s																				
7	Restructured accounts as on March 31 of the FY (Closing figures*)	No. of Borrower	7				7	31				31	58				58	96.00				96.00
		Amt.o/s	120.83				120.83	216.53				216.53	5618.91				5618.91	5956.27				5956.27
		Prov. Thereon	10.18				10.18	6.80				6.80	206.81				206.81	223.79				223.79

*/ Excluding the figures of standard restructured advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

Note: In view of new format of disclosures of restructured accounts having been introduced by RBI for the financial year 2012-13, previous year figures for the same could not be reviewed/recalculated/recasted on the said format and as such could not be given.

5.4 आस्ति पुनः संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रू करोड़ में)

	मदें	2012-13	2011-12
(i)	खातों की संख्या	1	शून्य
(ii)	एम सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	1.30	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	1.30	शून्य

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरणः

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रू करोड़ में)

		विवरण	2012-13	2011-12
1	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	(क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रू करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रू करोड़ में)

	मदें	2012-13	2011-12
	मानक आस्तियों पर प्रावधान	403.18	212.73

6 कारोबार अनुपात

(रू करोड़ में)

	मदें	2012-13	2011-12
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.60	9.30%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.55	0.60%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.23	1.09%
(iv)	आस्तियों से आय	0.44	0.65%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ों में) कारोबार (जमाराशियां+अग्रिम)	13.70	13.02
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़ों में)	0.04	0.06

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

Items		2012-13	2011-12
(i)	Number of Accounts	1	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	1.30	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	1.30	Nil

5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Items			2012-13	2011-12
1	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 **Provisions on Standard Assets**

(Rupees in crore)

	Item	2012-13	2011-12
	Provisions towards Standard Assets	403.18	212.73

6 **Business Ratios**

(Rupees in crore)

	Items	2012-13	2011-12
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	9.60%	9.30%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.55%	0.60%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.23%	1.09%
(iv)	Return on Assets	0.44%	0.65%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	13.70	13.02
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.04	0.06

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2013 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूपः **(रू करोड़ में)**

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	189.21	467.20	0.01	0.00	68.88	201.46
2–7 दिन	1141.98	774.13	145.09	603.45	1.55	144.23
8–14 दिन	824.58	1072.48	136.13	0.00	3.72	24.91
15–28 दिन	1409.79	1869.07	294.49	0.00	5.91	40.35
29 दिन से 3 माह तक	10073.89	8721.55	1857.11	89.40	119.19	203.09
3 माह से अधिक 6 माह तक	7188.61	3141.98	209.56	101.50	62.94	142.25
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	23489.39	3444.52	581.00	0.00	85.88	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	11902.15	15470.22	3145.60	44.14	79.24	0.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	4810.51	6660.41	2068.11	158.28	1.42	0.00
5 वर्ष से अधिक	9611.39	9809.24	14105.38	1543.28	0.00	0.00
कुल	**70641.50**	**51430.79**	**22542.48**	**2540.05**	**428.73**	**756.29**

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रूपये करोड़ों में)

			श्रेणी	31.03.2013	31.03.2012
1)	**प्रत्यक्ष ऋण**				
	क)	**रिहायशी बंधक**			
	i.	ऐसी संपत्तियां जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।		2360.33	1941.57
	ii.	व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं		1917.11	1636.72
	ख)	**व्यावसायिक वास्तविक संपदा**			
	i.	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी)के ऋण भी शामिल हैं।		2515.59	2178.99
	ग)	**बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋणे**		शून्य	शून्य
		क)	रिहायशी	शून्य	शून्य
		ख)	व्यावसायिक.वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण}			2805-75*	3034.84
	वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी			**7681.67**	**7155.40**

* एन.एच.बी. तथा हाऊसिंग फाईनेन्स कंपनी में रू 319.31 करोड़ सम्मिलित हैं।

7. Assets Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2013:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	189.21	467.20	0.01	0.00	68.88	201.46
2 – 7 days	1141.98	774.13	145.09	603.45	1.55	144.23
8 – 14 days	824.58	1072.48	136.13	0.00	3.72	24.91
15 - 28 days	1409.79	1869.07	294.49	0.00	5.91	40.35
29 days to 3 months	10073.89	8721.55	1857.11	89.40	119.19	203.09
Over 3 months & 6 months	7188.61	3141.98	209.56	101.50	62.94	142.25
Over 6 months & 1 year	23489.39	3444.52	581.00	0.00	85.88	0.00
Over 1 year & 3 years	11902.15	15470.22	3145.60	44.14	79.24	0.00
Over 3 years & 5 years	4810.51	6660.41	2068.11	158.28	1.42	0.00
Over 5 years	9611.39	9809.24	14105.38	1543.28	0.00	0.00
Total	**70641.50**	**51430.79**	**22542.48**	**2540.05**	**428.73**	**756.29**

8. **Exposures:**

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

			Category	31.03.2013	31.03.2012
1)	Direct Exposure				
	(a)	Residential Mortgages			
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented Out of which:		2360.33	1941.57
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		1917.11	1636.72
	(b)	Commercial Real Estate			
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;		2515.59	2178.99
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		Nil	Nil
		a.	Residential	Nil	Nil
		b.	Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]			2805.75*	3034.84
			Total Exposure to Real Estate Sector	7681.67	7155.40

* Includes Rs. 319.31 Cr. by way of investment in NHB & Housing Finance Company.

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता

(रू. करोड़ों में)

	मदें	31.03.2013	31.03.2012
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	159.93	139.26
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	0.02	0.03
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.01	0.25
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टाक ब्रोकरों को जमानती व ग़ैर-जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्किट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	52.32	50.58
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों /ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सोदों हेतु स्टाक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	3.71	2.42
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	**215.99**	**192.54**

8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैए बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं । अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस.जी.एल.) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल.) के विवरण वर्ष 2012–13 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

रू. करोड़ों में

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	ऋण जोखिम (%) दिनांक के अनुसार	31.03.2013 को ऋण सीमा/दियताएं	ऋण जोखिम(%)
1.	शून्य				
2.	शून्य				
3.					

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

	Items	31.03.13	31.03.12
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	159.93	139.26
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.02	0.03
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.01	0.25
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	52.32	50.58
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	3.71	2.42
	Total Exposure to Capital Market	**215.99**	**192.54**

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

During the year 2012-13, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following cases, which have been approved by the Board:

S. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.13	Exposure (%)
	Nil				
	Nil				

8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति-रहित अग्रिम

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	188.57	137.00
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	176.21	137.00

9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
क. वर्ष के दौरान बैक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकाश्योरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	2.87	16.95
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	2.21	2.63
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	0.0005	शून्य

10. **मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)**

10.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ए एस–5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 **लेखा प्रणाली मानक 15 – कर्मचारी लाभ**

10.2.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (एएस–15) के आधार पर किया गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्यूटी की सीमा. ओं में वृद्धि – प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी न.बीपी.बीसी. 80/21.04. 018/2011–12 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में किए संशोधनों के अनुसार की गई है। तदनुसार बैंक ने पैंशन खाता में 146.12 करोड, रू. तथा ग्रैच्युटी खाता में 26.57 करोड, रू. परिशोधन किए हैं। शेष राशि, पैंशन खाता के 292.96 करोड, रू. तथा ग्रैच्युटी खाता के 53.15 करोड, रू. को अगले दो वर्षों में परिशोधित कर दिए जाएंगे।

10.2.2 लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

10.2.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2318.41	2350.23	438.45	454.00	182.80	180.49
ब्याज लागत	179.90	195.31	32.48	36.08	13.55	14.36
वर्तमान सेवा लागत	252.21	234.82	8.75	32.42	30.70	20.41
घटाएंः प्रदत्त लाभ	(139.10)	(104.93)	(64.81)	(58.99)	(26.77)	(23.10)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(191.56)	(357.02)	(25.85)	(25.06)	(14.50)	(9.36)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rupees in crore)

Particulars	As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	188.57	137.00
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	176.21	137.00

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rupees in crore)

	2012-13	2011-12
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rupees in crore)

	2012-13	2011-12
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	2.87	16.95
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	2.21	2.63
C. UTI Mutual Fund Business	0.0005	NIL

10. **Disclosure as per Accounting Standard (AS)**

10.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 **Accounting Standard 15 - Employees Benefit**

10.2.1 Provisions for pension, gratuity, leave encashment and other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) (revised 2006) issued by the ICAI. However, the additional liability towards re-opening of pension option and amendment in the Gratuity Act, 1972 has been dealt in accordance with the provisions contained in Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2011-12) dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits . Accordingly the Bank has amortized Rs.146.12 crore on account of Pension and Rs.26.57 crore on account of Gratuity. The balance amount carried forward on account of Pension of Rs.292.96 crore and Gratuity Rs.53.15 crore shall be carried forward to be amortized in next two years.

10.2.2 The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

10.2.3 **Changes in the present value of the obligation**

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2318.41	2350.23	438.45	454.00	182.80	180.49
Interest cost	179.90	195.31	32.48	36.08	13.55	14.36
Current service cost	252.21	234.82	8.75	32.42	30.70	20.41
Less: Benefits paid	(139.10)	(104.93)	(64.81)	(58.99)	(26.77)	(23.10)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	(191.56)	(357.02)	(25.85)	(25.06)	(14.50)	(9.36)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80

10.2.4 योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	1803.30	1456.84	337.68	317.56	187.89	163.38
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	162.30	132.97	31.74	26.55	18.51	15.53
नियोक्ता अंशदान	180.21	320.05	34.63	52.56	10.05	32.11
घटाएं प्रदत्त लाभ	(139.10)	(104.93)	(64.81)	(58.99)	(26.77)	(23.10)
बीमांकिक हानि/(लाभ)	0.59	(1.63)	(3.23)	0.17	(0.73)	0.03
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	162.89	131.34	28.51	26.55	17.78	15.50

10.2.5 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) देयताएं (ए)	(191.56)	357.02	(25.85)	25.06	(14.50)	9.36
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(0.59)	(1.63)	3.23	(0.17)	0.73	(0.03)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(192.15)	(355.39)	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	(192.15)	(355.39)	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.2.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012.13	2011.12	2012.13	2011.12	2012.13	2011.12
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80
घटाएं: 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
तुलन–पत्र में पहचान की गई गैर–निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(412.57)	(515.11)	(53.01)	(100.77)	3.16	5.09

10.2.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
चालू सेवा लागत	252.21	234.82	8.75	32.42	30.70	20.41
ब्याज लागत	179.90	195.31	32.48	36.08	13.55	14.36
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(162.30)	(132.97)	(31.74)	(26.72)	(18.51)	(15.53)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि	(192.15)	355.39	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
मूल्यांकित मूल्य के अनुसार समायोजन (बी/एफ)	(152.23)	(209.27)	(26.41)	(27.14)	1.97	(5.09)
शुद्ध लाभ व्यय	229.90	267.50	13.28	44.03	10.00	15.00

10.2.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Fair value of Plan Assets as at 1st April	1803.30	1456.84	337.68	317.56	187.89	163.38
Expected return of Plan Assets	162.30	132.97	31.74	26.55	18.51	15.53
Employer contribution	180.21	320.05	34.63	52.56	10.05	32.11
Less: Benefit paid	(139.10)	(104.93)	(64.81)	(58.99)	(26.77)	(23.10)
Actuarial (loss)/ gain	0.59	(1.63)	(3.23)	0.17	(0.73)	0.03
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
Actual return on Plan Assets	162.89	131.34	28.51	26.55	17.78	15.50

10.2.5 **Net Actuarial Loss/ (Gain)**

(Rupees. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	(191.56)	357.02	(25.85)	25.06	(14.50)	9.36
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets. (B)	(0.59)	(1.63)	3.23	(0.17)	0.73	(0.03)
Net Actuarial loss/(gain)	(192.15)	(355.39)	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	(192.15)	(355.39)	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.2.6 **Amount recognized in the Balance Sheet**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(412.57)	(515.11)	(53.01)	(100.77)	3.16	5.09

10.2.7 **Expenses recognized in the Profit & Loss Account**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Current service cost	252.21	234.82	8.75	32.42	30.70	20.41
Interest cost	179.90	195.31	32.48	36.08	13.55	14.36
Expected return on plan assets	(162.30)	(132.97)	(31.74)	(26.72)	(18.51)	(15.53)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(192.15)	355.39	(22.62)	24.89	(13.77)	9.33
Adjustment as per actuarial valuation (B/F)	(152.23)	(209.27)	(26.41)	(27.14)	1.97	(5.09)
Net benefit expense	229.90	267.50	13.28	44.03	10.00	15.00

10.2.8 तुलनपत्र में पहचानी गई देयताओ में घट-बढ़

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
प्रारंभिक शुद्ध देयता/आस्तियां	515.11	776.93	100.77	136.44	(5.09)	27.29
शुद्ध लाभ व्यय	77.67	58.23	(13.13)	16.89	11.97	9.91
घटाएं–दृदिया गया अंशदान	180.21	320.05	34.63	52.56	10.05	32.11
अन्तिम देयता/आस्तियां	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)

10.2.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	21.04	22.88	3.18	33.78	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	35.35	35.23	-	26.32	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉडस	37.97	40.88	39.61	38.96	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं	-	-	-	-	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	5.63	1.01	57.21	0.94	100	100

10.2.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन (भारित औसत में प्रदर्शित)

(प्रतिशत में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
बट्टा दर	8.00	8.50	8.00	8.50	8.00	8.50
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	9.00	8.50	9.40	8.50	9.85	8.50
वेतन में वृद्धि की दर	5.50	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50
अनुशय दर	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.2.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन–पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल हैं।

10.2.8 **Movements in the liability recognized in the Balance Sheet**

(Rupees in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
Opening net Liability/(Asset)	515.11	776.93	100.77	136.44	(5.09)	27.29
Net benefit expense	77.67	58.23	(13.13)	16.89	11.97	9.91
Less: Contribution paid	180.21	320.05	34.63	52.56	10.05	32.11
Closing liability/(Asset)	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)

10.2.9 **Investment percentage maintained by the trust**

(In % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
Central Government Securities	21.04	22.88	3.18	33.78	Nil	Nil
State Government Securities	35.35	35.23	-	26.32	Nil	Nil
High quality corporate bonds	37.97	40.88	39.61	38.96	Nil	Nil
Special Deposit Scheme	-	-	-	-	Nil	Nil
Other investments	5.63	1.01	57.21	0.94	100	100

10.2.10 **Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date** (expressed as weighted average)

(In % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
Discount rate	8.00	8.50	8.00	8.50	8.00	8.50
Expected rate of return on plan assets	9.00	8.50	9.40	8.50	9.85	8.50
Rate of escalation in salary	5.50	5.00	5.50	5.50	5.50	5.50
Attrition rate	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.2.11 **Basis of Actuarial Assumptions considered**

Particulars	Basic of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.2.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर-निधि)

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण		सिल्वर जुबली बोनस		रूग्ण अवकाश		मेडिकल लाभ		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
देयता का वर्तमान मूल्य	11.74	10.20	0.32	0.27	25.56	20.51	0.47	0.46	1.25	0.74
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	0.41	शून्य	शून्य	(17.38)	5.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलनपत्र में पहचानी गई देयता	11.74	10.61	0.32	0.27	8.18	25.56	0.47	0.46	1.25	0.74

10.3 लेखामानक 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2013 (लेखा परीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2012 (लेखा परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	164221	152443
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	460851	407496
ग. फुटकर बैंकिंग	150148	127299
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	508	1958
कुल	**775728**	**689196**
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	592	5199
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	107577	97725
ग. फुटकर बैंकिंग	35049	30528
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	508	1958
कुल	**143726**	**135410**
3. गैर-आबंटित व्यय	**49841**	**59411**
4. परिचालन लाभ	**93885**	**75999**
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	45215	14573
6. आयकर	14747	16298
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	**33923**	**45128**
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2293817	2040891
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4290110	3933992
ग. फुटकर बैंकिंग	1397748	1228949
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	
ङ. गैर-आबंटित आस्तियां	66115	86695
कुल आस्तियां	**8047790**	**7290527**

10.2.12 **Other long term employee benefit (Unfunded)**

(Rupees in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Sick leave Including Casual leave		Medical Benefits		Retirement Gifts	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Present Value of Obligation	11.74	10.20	0.32	0.27	25.56	20.51	0.47	0.46	1.25	0.74
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	5.05	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional Liability recognized during the year	NIL	0.41	NIL	NIL	(17.38)	5.05	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	11.74	10.61	0.32	0.27	8.18	25.56	0.47	0.46	1.25	0.74

10.3 **Accounting standard 17-Segment Reporting**

Part A : Business Segment—

Particulars	**Year ended 31.03.2013 (Audited)**	**Year ended 31.03.2012 (Audited)**
1. Segment Revenue		
a) Treasury	164221	152443
b) Corporate/ Wholesale Banking	460851	407496
c) Retail Banking	150148	127299
d) Other Banking Operations	508	1958
Total	**775728**	**689196**
2. Segment Result		
a) Treasury	592	5199
b) Corporate/ Wholesale Banking	107577	97725
c) Retail Banking	35049	30528
d) Other Banking Operations	508	1958
Total	**143726**	**135410**
3. Unallocated Expenses	49841	59411
4. Operating Profit	**93885**	**75999**
5. Provisions & Contingencies	45215	14573
6. Income Tax	14747	16298
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	**33923**	**45128**
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2293817	2040891
b) Corporate/ Wholesale Banking	4290110	3933992
c) Retail Banking	1397748	1228949
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	66115	86695
Total Assets	8047790	7290527

10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2168713	1939606
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4056129	3738756
ग. फुटकर बैंकिंग	1321516	1167959
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर–आबंटित आस्तियां	41022	19311
कुल आस्तियां	**7587380**	**6865632**

नोटः मानक ए.एस–17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंगके उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जो कि अ.) राजकोष परिचालन ब.) कारपोरेट/थोक बैंकिग सी.) फुटकर बैंकिग डी.) अन्य बैंकिग परिचालन हैं।

कॉरपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भाग खः भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.4 लेखा मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी	
(i) श्री डी.पी. सिंह (ii) श्री पी.के. आनन्द	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यकारी निदेशक

क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रू. लाखों में.

नाम एवं पदनाम	**2012–13**	**2011–12**
श्री डी.पी सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	19.04	6.11
श्री पी.के.आनंद, कार्यकारी निदेशक	19.40	19.28

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण :

विवरण	**दिनांक 31.03.2013**	**दिनांक 31.03.2012**
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम-सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन नहीं किया गया है। एस–18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन करने से छूट देता है।

10.5 प्रति शेयर आय (एएस–20)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**2012–13**	**2011–12**
इक्वटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रू. करोड़ में)	317.46	429.25
इक्वटी शेयरों की भारित औसत संख्या (रू. करोड़ में)	23.53	22.32
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रू.)	13.49	19.24
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू.)	10.00	10.00

10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2168713	1939606
b) Corporate/ Wholesale Banking	4056129	3738756
c) Retail Banking	1321516	1167959
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	41022	19311
Total Liabilities	7587380	6865632

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.4 **Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures**

Key Managerial Personnel:		
(i) Mr. D.P. Singh (ii) Mr. P.K Anand	Chairman and Managing Director Executive Director	
a) Remuneration Paid to Key management personnel : (Rupees in lacs)		
Name and Designation	**2012-13**	**2011-12**
Mr. D.P. Singh, Chairman & Managing Director	19.04	6.11
Mr. P.K Anand, Executive Director	19.40	19.28
b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:		
Particulars	**As on 31.03.2013**	**As on 31.03.2012**
Loans outstanding	NIL	NIL

C) Name of Related Party Satluj Gramin Bank (An Associate)

The transactions with the associated bank have not been disclosed. In view of para 9 of AS 18 related party disclosure , which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

10.5 **Earning Per Share (AS-20)**

(Rupees in crore)

PARTICULARS	**2012-13**	**2011-12**
Net Profit After tax available for equity Shareholders (Rs. Crore)	317.46	429.25
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	23.53	22.32
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	13.49	19.24
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.6 लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन

10.6.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, ''आय पर करों का लेखांकन'' का अनुपालन किया है।

10.6.2 कर अस्तियों/दियताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैः

(रूपए करोड़ में)

	विषय	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य	2.02	1.94
2	वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	10.69	शून्य	शून्य	शून्य
3	उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	119.36	111.66
	कुल	**10.69**	**शून्य**	**121.38**	**113.60**

विशेष आरक्षिति पर धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत बनाई और अनुरक्षित की गई आस्थगित कर देयता रू.22.43 करोड (पूर्व वर्ष रू.14.82 करोड़) पर प्रबंधन के विशेष आरक्षिति से आहरित न करने के अटल निर्णय के दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

10.6.3 विधिक कर–विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर पर बैंक ने विचार किया है तथा तदनुसार रूपए 277.77 करोड़ (पूर्व वर्ष के रू 281.79 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.6.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बैनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.6.5 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रूपए 261.07 करोड़ (पूर्व वर्ष में रू.284.97 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है।

10.7 लेखा मानक 28– आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

ए.एस.28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को ''निगमित आस्तियां'' माना गया है न कि ''नकदी निर्मित इकाइयां''। प्रबंधन की राय के अनुसार. 31.03.2013 तक समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.8 लेखामानक–29 का अनुपालन–प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ का प्रावधान

ए.एस. – 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है :–

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है और

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

* यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके

या

* देयता राशि का शत–प्रतिशत अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रुप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है, का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहां विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.6 **Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

10.6.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.6.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

	Head	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	2.02	1.94
2	Provision for wage revision	10.69	Nil	Nil	Nil
3	Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	119.36	111.66
	Total	**10.69**	**Nil**	**121.38**	**113.60**

The Deferred Tax Liability of Rs.22.43 crore (previous year Rs.14.82 crore) on account of Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) has not been considered necessary in view of the management's irrevocable decisions not to withdraw from the Special Reserve.

10.6.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent difference and accordingly, deferred tax liability of Rs.277.77 crore (Previous Year Rs.281.79) has not been considered necessary.

10.6.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.6.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringed Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs.261.07 crore Previous year Rs.284.97 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.7 **Accounting Standard 28 - Impairment of Assets**

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2013, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.8 **Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets**

As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for --

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण :-

(रू करोड़ों में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	**2012-13**	**2011-12**
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	306.35	61.11
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	0.00	0.00
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	(–)18.16	71.64
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	152.88	11.98
आय-कर हेतु प्रावधान	147.47	162.97
अन्य	11.09	1.01
कुल	**599.63**	**308.71**

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ :-

(रू करोडों में)

	2012-13	**2011-12**
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण :-

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. शून्य लाख (पिछले वर्ष रू. 0 करोड़) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें :-

		2012-13	**2011-12**
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	67	15
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1567	1359
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1538	1307
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	96	67

11.5 लोकपाल निर्णीत मामले :-

		2012-13	**2011-12**
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	2	01
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	10	32
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	11	31
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	02

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण :

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण :

(रूपए करोड़ में)

	31.03.2013	**31.03.2012**
सबसे बडे 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	16661.05	16396.11
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	23.59%	25.97%

11.1 **Additional disclosures:**

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2012-13	2011-12
Provision for Non Performing Advances	306.35	61.11
Provision for Non Performing Investments	0.00	0.00
Provision for Depreciation in the value of Investments	(-)18.16	71.64
Provision for Standard Asset	152.88	11.98
Provision for Income Tax	147.47	162.97
Others	11.09	1.01
Total	**599.63**	**308.71**

11.2 **Movement of Floating Provisions**

(Rupees in crore)

	2012-13	2011-12
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 **Draw down from Reserve**

A sum of Rs.Nil crore (previous year Rs. Nil crore has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2012-13	2011-12
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	67	15
b)	No. of Complaints received during the year	1567	1359
c)	No. of Complaints redressed during the year	1538	1307
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	96	67

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2012-13	2011-12
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	01
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	10	32
c)	No. of Awards implemented during the year	11	31
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	02

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2013	31.03.2012
Total Deposits of twenty largest depositors	16661.05	16396.11
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	23.59%	25.97%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण :

(रूपए करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012
सबसे बड़े 20 ऋणियों को कुल अग्रिम	12307.24	11356.84
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	22.21%	22.79%

11.6.3 जोखि़मों का केंद्रीकरण :

(रूपए करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012
सबसे बड़े 20 ऋणियों / ग्राहकों पर कुल जोखि़म	12604.70	11761.44
बैंक के ऋणियों / ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों / ग्राहकों पर कुल जोखि़म का प्रतिशत	21.26%	22.25%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण :

(रूपए करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखि़म	321.59	168.82

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

	क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	
			31.03.2013	31.03.2012
	1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2.09	2.09%
	2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	3.24	1.72%
	3.	सेवा क्षेत्र	2.93	1.51%
	4.	व्यक्तिगत ऋण	2.52	1.75%

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
	1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	763.44	424.28
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन.पी.ए.)	1093.60	550.74
	उप-योग (क)	**1857.04**	**975.02**
	घटाः (i) कोटि उन्नयन	153.55	58.05
	(ii) वसूलियां (कोटि उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	116.98	153.32
	(iii) बट्टे खातों में डालना	49.61	0.21
	उप-योग (ख)	320.14	211.58
	31 मार्च को सकल एन.पी.ए. (इति शेष) (क-ख)	**1536.90**	**763.44**

11.9 विदेशी आस्तियां, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
कुल आस्तियां	270.97	111.80
कुल एन.पी.ए.	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.45	0.75

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. In crore)

	31.03.2013	31.03.2012
Total Advances to twenty largest borrowers	12307.24	11356.84
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	22.21%	22.79%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. In crore)

	31.03.2013	31.03.2012
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	12604.70	11761.44
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	21.26%	22.25%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. In crore)

	31.03.2013	31.03.2012
Total Exposure to top four NPA Accounts	**321.59**	**168.82**

11.7 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on	
		31.03.2013	31.03.2012
1.	Agricultural & allied activities	2.09	2.09%
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	3.24	1.72%
3.	Services	2.93	1.51%
4.	Personal Loans	2.52	1.75%

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. In crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	763.44	424.28
Additions (Fresh NPAs) during the year	1093.60	550.74
Sub-total (A)	**1857.04**	**975.02**
Less: (i) Up-gradations	153.55	58.05
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	116.98	153.32
(iii) Write-offs	49.61	0.21
Sub-total (B)	**320.14**	**211.58**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	**1536.90**	**763.44**

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rupees. In crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Assets	270.97	111.80
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.45	0.75

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रूपए करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12 एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन

अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान दरों में संशोधन किया गया है। ये प्रावधान 30.06.2012 तक तथा 01.07.2012 से प्रभावी हैं जो निम्नानुसार हैं:–

आस्तियों की श्रेणी	बैंक के प्रावधान मानदंड (जून, 2012 को समाप्त तिमाही तक)	बैंक के प्रावधान मानदंड (01.07.2012 से प्रभावी संशोधित)
अवमानक	आरक्षित ऋणों का 20%, गैर–आरक्षित ऋणों का 25%* गैर–आरक्षित ऋणों का 20%,* आधारभूत ऋण–खातों के संबंध में जहॉं निलंब खाते उपलब्ध हो	आरक्षित ऋणों का 15% गैर आरक्षित ऋणों' का 25%* जमानती ऋणों' का 20%* आधारभूत खातों के संबंध में जहां निलंब खाते उपलब्ध हों
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 30% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 25% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 50% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 40% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%
हानि	पुस्तक बकाया का 100%	पुस्तक बकाया का 100%

13. नवम्बर, 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन के खाते पर उदित आस्तियों की प्राप्ति के लिए 32.96 करोड, रू. के तदर्थ (एड–होक) प्रावधान किए गए हैं। अपेक्षित सूचना के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका तथा अस्थाई रूप से उपलब्ध कराया गया है।

14. बैंक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत पार्टियों की पहचान कर रहा है। उनकी पहचाान न होने के कारण देय राशि का पता नहीं लगाया जा सका है। अधिनियम के तहत बैंक प्रबंधन ने किसी प्रकार की वस्तु देयता का अनुमान नहीं लगाया है।

15. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोडकर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकडों को पुनः व्यवसथित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

11.10 Off-Balance sheet SPVs sponsored

(Rupees. In crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		**Overseas**	
31.03.2013	**31.03.2012**	**31.03.2013**	**31.03.2012**
Nil	Nil	Nil	Nil

12 Change in NPA Provisioning Norms

The rates of provisioning for Non-Performing Assets have been revised. The same up to 30.06.2012 and those effective from 01.07.2012 onwards are as under:

Category of Assets	Bank's Provisions norms (up to quarter ending June 2012)	Bank's Provisions norms w.e.f. 01.07.2012) (Revised)
Sub-Standard	20% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow a/cs are available
Doubtful-I	30% on Secured 100% on Unsecured	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	50% on Secured 100% on Unsecured	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding	100% of Book Outstanding

13. An ad-hoc provision of Rs. 32.96 crore has been made to meet the likely liability arising on account of Wage Revision effective from November 2012. In absence of requisite information, liability could not be ascertained and has been provisionally provided for.

14. The bank is in the process of identifying the parties registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. Pending such identification, the amount due to them could not be ascertained. The management of the bank does not foresee any material liability under the Act.

15. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी वाह विवरणी
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2013

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी वाह **A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**	**31.03.2013**	**31.03.2012**
लाभ–हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	3392202	4512852
समायोजन हेतु/Adjustments for:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies	5996289	3087116
मूल्यह्रास (निवल) /Depreciation (Net)	267533	193685
आस्तियों की बिक्री पर लाभ /Profit on sale of assets	-1239	-206
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज/ Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1696705	1658994
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि/Corporate Social Responsibility Fund	-20000	0.00
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ **/Operating Profit before working capital changes**	**11331490**	**9452441**
समायोजन हेतु /Adjustments for:		
निक्षेपों में वृद्धि (कमी) /Increase / (Decrease) in Deposits	75175239	34007848
उधारों में वृद्धि /(कमी) /Increase / (Decrease) in Borrowings	-8422775	2414407
अन्य देयताओं में वृद्धि(कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities	3748637	-4394
निवेशों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Investments	-24601899	-14921183
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Advances	-55859191	-35748811
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी /(Increase) / Decrease in Other Assets	-1628469	-1729791
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह / **Cash Flow from Operating Activities (A)**	**-220968**	**-6529483**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अचल आस्तियों में वृद्धि /Increase in Fixed Assets	-854348	-359655
आस्तियों की बिक्री पर लाभ /Profit on sale of assets	1239	206
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख) / **Cash Flow from Investing Activities (B)**	**-853109**	**-359449**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
इक्विटी शेयरों को जारी करना (आईपीओ) (अंकित मूल्य) /Issue of Equity Shares (IPO) (Face Value)	198132	111520
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम /Share Premium received thereon	1201868	841530
सार्वजनिक निर्गम व्यय /Public Issue Expenses		
गौण बांड जारी करना /Issue of Subordinated Bonds	0	3000000
गौण बांड का मोचन /Redemption of Subordinated Bonds	0	-450000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई / Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1696705	-1658994

पीएनसीपीएस पर लाभांश /Dividend on Equity & PNCPS	-850770	-658416
लाभांश आबंटन कर /Dividend Distribution Tax	-138017	-104567
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash Flow from Financing Activities (C)	**-1287999**	**1078410**
परिचालन गतिविधियों से नकदी /Cash from Operating Activities	-220968	-6529483
निवेश गतिविधियों से नकदी /Cash from Investing Activities	-853109	-359449
वित्तीय गतिविधियों से नकदी /Cash from Financing Activities	-1287999	1078410
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्वि / Increase in Cash & Cash Equivalents	**-2362076**	**-5810522**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य / Cash and Cash equivalents at the beginning of the Half year	43154183	48964705
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य / Cash and Cash equivalents at the end of the Half year	40792107	43154183

टिप्पणी : घटा के निशान वाले आंकडे “जावक नकदी प्रवाह” को दर्शाते हैं।
/Note: All figures in minus represents "Cash Outflow"

डी.पी.सिंह
D.P.Singh
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Mg.Director

पी.के.आनन्द
P.K.Anand
कार्यकारी निदेशक
Executive Director

रजत सच्चर
Rajat Sachar
निदेशक
Director

सुरेश ठाकुर
Suresh Thakur
निदेशक
Director

एस.के.अरोडा
S.K.Arora
निदेशक
Director

एस.पी.बबूता
S.P.Babuta
निदेशक
Director

एन.राजेन्द्रन
N.Rajendran
निदेशक
Director

महेश गुप्ता
Mahesh Gupta
निदेशक
Director

एस.पी.एस.विर्क
S.P.S.Virk
निदेशक
Director

जी.एस.बिन्द्रा
G.S.Bindra
मुख्य महाप्रबंधक
Chief Gen.Manager

जी.एस.सचदेवा
G.S.Sachdeva
महाप्रबंधक
General Manager

हर्षबीर सिंह
Harsh Bir Singh
महाप्रबंधक
General Manager

दीपक मैनी
Deepak Maini
महाप्रबंधक
General Manager

एस.पी.एस.कोहली
S.P.S.Kohli
महाप्रबंधक
General Manager

जी.एस.ढल्ल
G.S.Dhall
महाप्रबंधक
General Manager

भूपिन्दर सिंह
Bhupinder Singh
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

वी.के.महरोत्रा
V.K.Mehrotra
मुख्य प्रबंधक
Chief Manager

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार/As per our Report of Even Date

For G.S. Goel & Co.
कृते जी.एस.गोयल एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(G.S. Goel)
(जी.एस. गोयल)
Partner
साझेदार
M. No.014428
एमण्नं. 014428
एफआरएन 001415एन
FRN : 001415N

For G.B. Goel & Co.
कृते एस.बी.जी. एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(S.B. Gupta)
(एस.बी.गुप्ता)
Partner
साझेदार
M. No. 089415
एम.न. 089415
एफआरएन 001818एन
FRN : 001818N

For R.M.Lall & Co.
कुते आर.एम.लाल एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(R.P. Tewari)
(आर.पी.तिवारी)
Partner
साझेदार
M. No.071448
एम.नं. 071448
एफआरएन : 000932सी
FRN : 000932C

For O.P.Tulsyan & Co.
कृते ओ.पी.तुलसियान एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(Rakesh Agarwal)
(राकेश अग्रवाल)
Partner
साझेदार
M. No.081808
एम न. 081808
FRN : 500028N
एफआरएन : 500028 एन

For B.K.Shroff & Co.
कृते बी.के.श्रौफ एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(L.K. Shroff)
(एल.के.श्रौफ)
Partner
साझेदार
M. No. 060742
एम न. 060742
FRN : 302166E
एफआरएन : 302166 ई

For R.Kothari & Co.
कृते आर.कोठारी एण्ड कं.
Chartered Accountants
सनदी लेखाकार
(Sanjeeb Agarwal)
(संजीब अग्रवाल)
Partner
साझेदार
M. No. 056400
एम न. 056400
FRN : 307069E
एफआरएन : 307069 ई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2013 की वित्तीय विवरणियों जिसमें तुलन–पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ–हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पतणियों का लेखा परीक्षण किया है । इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 384 शाखाएं है। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाते में 725 शाखाओं से भेजी गई विवरणियां सम्मिलित हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नही है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 8.07, जमाराशियों का 28.66 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 7.89 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 24.75 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाईन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक कंट्रोल जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरुप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।

4. लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार की गई जांच सम्मिलित है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। अपनाई गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आंकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक जोखिम भरा आंकलन करने के लिए आंतरिक कंट्रोल पर विचार करता है जोकि प्रबंधन द्वारा तैयार की गई सही वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण पर उन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली सही लेखा परीक्षण नीति हो। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए है सामान्यता पूर्ण है और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

6. बगैर टिप्पणी किए, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   (i) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/ समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

   (ii) नोट सं. 10.6.2 जो कि रू. 23.42 करोड़ की आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) जिसमें धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत् बनाई तथा सुरक्षित रखी गई विशेष आरक्षितियां तथा प्रबंधन द्वारा उसको आहरित न करने के निर्णय के अनुसार एवं नोट सं. 10.6.3 जो कि रू.277.77 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) सम्मिलित है, लेखा वहियों के अनुसार समय में अंतर के कारण निवेश के मूल्य में उतार–चढ़ाव एवं आयकर अभिकलन पर विचार करते हुए कि अंतर स्थायी होगा।

   (iii) नोट संख्या 10.6.5 अपीलों में लंबित विवादित कर–देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

   (iv) बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल–i तथा बेसल– ii अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नितियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

   (v) वित्तीय विवरणी का नोट 10.2.1, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्यूटी की सीमा में वृद्धि – प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पैंशन एवं ग्रेच्युटी देएता जोकि रू. 761.27 करोड़ है, ,कर्मचारियों हेतु लाभ पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010–11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The President of India,
Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 384 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 725 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.07 per cent of advances, 28.66 per cent of deposits, 7.89 per cent of interest income and 24.75 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained are generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. Without qualifying our report, we draw attention to:

   (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.

   (ii) Note no. 10.6.2 in respect of special reserves created and maintained under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 of Rs. 23.42 crores on the basis of management decision not to withdraw the same and note no. 10.6.3 regarding non creation of deferred tax liability of Rs. 277.77 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per the books of account and for the income tax computation considering the difference to be permanent.

   (iii) Note no. 10.6.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.

   (iv) Capital adequacy as per Basel – I and Basel – II and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in paras 6 (i) to (iii) above.

   (v) Note no. 10.2.1 regarding deferment, amortization and carry forward of pension and gratuity liability of the bank pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the public sector bank from application of provisions of Accounting Standard (AS) 15 (revised) `Employees Benefits` vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 of Re-opening of pension option to the Employees of public sector banks and enhancement in gratuity limits – Prudential regulatory treatment .

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि :

i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन–पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्व तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढ़ंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2013 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।

ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।

iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2013 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।

9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें हमने संतोषजनक पाया है।

ख) बैंक के ऐसे सभी लेन–देन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत् थे।

ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

10. हमारी राय में, तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001415एन

(सीए जी.एस. गोयल)
पार्टनर
एम.नं. 014428

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001818 एन

(सीए एस.बी. गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 089415

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 500028एन

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम.नं. 081808

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000932सी

(सीए आर.पी.तिवारी)
पार्टनर
एम.नं.071448

कृते बी.के. श्राफ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302166ई

(सीए एल.के श्राफ)
पार्टनर
एम.नं.060742

कृते आर. कोठारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 307069ई

(सीए संजीब अग्रवाल)
पार्टनर
एम.नं. 056400

दिनांक : 01.05.2013
स्थान : नई दिल्ली

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For G. S. GOEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:001415N

(CA.G. S. GOEL)
PARTNER
M.NO:014428

For S. B. G. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:001818N

(CA S.B. Gupta)
PARTNER
M.NO:089415

For O. P. TULSYAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:500028N

(CA.RAKESH AGARWAL)
PARTNER
M.NO:081808

For R. M. LALL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:000932C

(CA.R.P.TEWARI)
PARTNER
M.NO:071448

For B. K. SHROFF & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 302166E

(CA. L.K.SHROFF)
PARTNER
M.NO:060742

For R. KOTHARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:307069E

(CA.SANJEEB AGARWAL)
PARTNER
M.NO:056400

NEW DELHI
May 1, 2013

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
प्र.का. 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
HO : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

उपस्थिति पर्ची
ATTENDANCE SLIP

तृतीय सामान्य बैठक 20.06.2013
{THIRD ANNUAL GENERAL MEETING} : 20.06.2013

कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के प्रवेशद्वार पर उसे सौंप दें
[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall]

दिनांक : / Date :	समयः / Time:
स्थानः / Place:	
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative	
पंजीकृत फोलियो / Regd. Folio	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी' / DPID & Client ID
(यदि अभौतिकरण नही किया गया) [if not dematerialized]	(यदि भौतिकरण किया गया) / [if dematerialized]
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसिज़ (एनईसीएस) द्वारा ई-क्रेडिट अधिदेश/बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म

E-CREDIT MANDATE THROUGH NATIONAL CLEARING SERVICES (NECS)/BANK ACCOUNT DETAIL FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON THE EQUITY SHARES

डीमेट रूप में धारित शेयरों के शेयरधारकों हेतु
For Shareholders Holding Shares in Demat Form

प्रिय शेयरधारक,
Dear Shareholder,

शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवा में निरंतर सुधार लाने हेतु, हम आपसे अनुरोध करते है कि आप अपने डिपॉजिटरी सहभागी को अपने बैंक खाते का अद्यतित ब्यौरा निम्न प्रारूप में दें।
In our continuous endeavour to improve services to shareholders, we request you to provide the details to your Depository Participant on the following format

भवदीय / Yours faithfully,
कंपनी सचिव / Company Secretary

1.	डिपॉजिटरी का नाम तथा डी.पी. / Name of Depository & DP	
2.	डीपीआईडी / ग्राहक आईडी नंबर / DP ID/ Client ID No.	
3.	निवेशक(ओं) का नाम / Investor's Name	
4.	निवेशक(ओं) का पता / Address of the Shareholder(s)	
	संपर्क नंबर / Contact No.	
	ई–मेल आईडी / E- Mail ID	
5.	बैंक खाते का ब्यौरा / Particulars of Bank Account	
A.	बैंक का नाम / Name of the Bank	
B.	शाखा का नाम / Name of Branch	
	पता / Address	
	दूरभाष नंबर / Telephone No.	
C.	बैंक एवं शाखा का 9 अंकों का कोड तथा आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या जैसा कि बैंक द्वारा जारी किए गए माईकर चेक पर अंकित है। 9 Digit Code No. of the Bank and Branch and IFSC Code No. as appearing on the MICR Cheque Issued by the Bank.	
D.	खाते का प्रकार (बचत / चालू / नकदी उधार / अन्य (उल्लेख करें) Type of Account (Savings/ Current/ Cash Credit/ Others (Specify)	
E.	खाता संख्या (जैसा चेक बुक पर लिखा है) Account No. (As appearing in the Cheque Book)	

महत्वपूर्णः **कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए निरस्त खाली चेक या चेक की छायाप्रति उक्त ब्यौरे की पुष्टि हेतु संलग्न करें।**
IMP: **Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the above particulars.**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिया गया ब्यौरा पूर्ण एवं सही है।
I hereby declare that the details given above are complete and correct

दिनांक/Date:
स्थान / Place:

लाभार्थी(यों) के हस्ताक्षर
Signature of the Beneficial Owner(s)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक) 20.06.2013

डी.पी.आईडी नंबर	
ग्राहक आईडी नंबर	
फोलियो नंबर	
शेयरों की संख्या	

फार्म 'बी'
प्राक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

मैं/हम ——राज्य ——————के जिला———————————————का/की/के निवासी ——————————————————————————पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा ————————————————————राज्य के ——————————————————————————जिला के निवासी श्री/श्रीमती —————————————————— को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिला ———————————————————— के निवासी श्री/श्रीमती ——————————————————————को वृहस्पतिवार, दिनांक 20 जून, 2013 को प्रातः 9.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की तृतीय वार्षिक सामान्य बैठक जोकि निर्यात भवन, फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड रेफेरल के सामने, नई दिल्ली – 110057 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्राक्सी नियुक्त करता हूं / करते हैं ।

.... माह के .... दिन 2013 को हस्ताक्षरित

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं

....

प्राक्सी के हस्ताक्षर

नाम व पता: ....

....

प्रथम/ एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)
HO : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{THIRD ANNUAL GENERAL MEETING} : 20.06.2013

DP ID No.	
Client ID No.	
Folio No.	
Number. of Shares	

FORM 'B'
FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We……..Resident of …………………………………………………. ………..in the district of……………….. in the State of ………… being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt ………………………………….. resident of………...…………………………..in the district of ……………………………..in the State of ……………………………………or failing him/her, Shri/Smt …………………………….. resident of …………………………………… in the district of ……………………………………. in the State of ………………………… as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Third Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on Thursday the 20th June, 2013 at 9.00 A.M. at Niryat Bhawan, Federation of Indian Export Organistions, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110057 and at any adjournment thereof.

Signed this ……………….. day of …..………… 2013

………………………
Signature of Proxy

…………………………………………………………………….
Signature of the first named / sole shareholder

Please affix
Revenue
Stamp

Name & Address: ……………………….

…………………………………………………

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने सबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्राक्सी प्रलेख वैध नही होगा जब तक किः
   क) व्यक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके ऑटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ख) संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके ऑटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या ऑटर्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।

2. प्राक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नही लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।

3. प्राक्सी के साथः
   क. अटर्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
   ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–11008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 15 जून 2013 को कार्य समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी ।

4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांसफर ऐजंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटर्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. यदि प्राक्सी प्रलेख फार्म "ठ" पर नही है तथा विधिवत् स्टाम्प नही है तो वह वैध नही माना जाएगा।
6. बैंक में जमा प्राक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
7. यदि प्राक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म पर विचार नही किया जाएगा।
8. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नही होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है ।
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त करने का अधिकार नही होगा।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.

3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, **Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. **on or before the closing hours [5.00 p.m.] of Saturday, the 15th day of June, 2013**
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

महाप्रबंधक / General Managers

श्री जी.एस. बिंद्रा
Sh. G.S. Bindra

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री जी.एस. सचदेवा
Sh. G.S. Sachdeva

श्री जी.एस. सेठी
Sh. G.S. Sethi

श्री इकबाल सिंह भाटिया
Sh. Iqbal Singh Bhatia

श्री दीपक कुमार मैनी
Sh. Deepak Kumar Maini

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

श्री एस.पी.एस. कोहली
Sh. S.P.S. Kohli

श्री आर.सी. नारायण
Sh. R.C. Narayan

श्री जी.एस. ढल्ल
Sh. G.S. Dhall

पी.एस.बी.

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi - 110 008

Website : www.psbindia.com

MP Printers, Noida